C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol.XIII, Sixth Session, 2015/1937 (Saka)
No.7, Friday, December 4, 2015/Agrahayana 13, 1937 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.81 to 84	8-50
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 85 to 100	51-110
Unstarred Question Nos.921 to 1150	111-630

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 631-642

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS
8th Report 643

BUSINESS OF THE HOUSE 644-648

ELECTION TO COMMITTEE
Central Advisory Committee for the National Cadet Corps 649

OBSERVATION BY THE SPEAKER 650

HIGH COURT AND SUPREME COURT JUDGES (SALARIES AND CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL, 2015 683-698

Shri D.V. Sadananda Gowda 683-684

Shri S.P. Muddahanumegowda 685-688

Dr. Satya Pal Singh 689-691

Shri Kalyan Banerjee 692-696

Dr. K. Kamaraj 697-698

MOTION RE: 14TH AND 15TH REPORTS OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTION 699

PRIVATE MEMBERS' BILLS -Introduced 700-714, 734-735

(i)Supreme Court of India (Establishment of a Permanent Bench at Jabalpur) Bill, 2015
By Shri Rakesh Singh 700

(ii) State of Telangana (Special Category Status and Financial Assistance) Bill, 2015
By Shri B. Vinod Kumar 701

(iii) Unwed Tribal Women (Protection and Welfare) Bill, 2015
By Shri Mullapally Ramachandran 702

(iv) Constitution (Amendment) Bill, 2015
(Amendment of article 58, etc .)
By Dr. Bhola Singh 702

(v)Constitution (Amendment) Bill, 2015
(Amendment of articles 275A and 371K)
By Dr. Bhola Singh 703

(vi)Constitution (Amendment) Bill, 2015
(Insertion of new article 31)
By Dr. Bhola Singh 703

(vii)Air (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2015
(Insertion of new Section 17A)

By Shri Feroze Varun Gandhi 704

(viii)Disaster Management (Amendment) Bill, 2015
(Amendment of section 4, etc.)
By Shri Feroze Gandhi 704

(ix)Constitution (Amendment) Bill, 2015
(Substitution of new article for article 340)
By Rajeev Satav 705

(x)Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Bill,2015
(Amendment of Sixth Schedule)
By Shri Vincent Pala 705

(xi)Constitution (Amendment) Bill, 2015
(Amendment of the Seventh Schedule)
By Shri Gajendra Singh Shekhawat 706

(xii)Gazetted Officers of the Central Government (Compulsory National Disaster Response Training) Bill, 2015
By Shri Gajendra Singh Shekhawat 706

(xiii)Prohibition of Racial Discrimination Bill, 2015

By Shri Mullapally Ramchandran 707

(xiv)Witnesses (Protection of Identity) Bill, 2015
By Shri Rabindra Kumar Jena 707

(xv)National Road Transport Safety and Miscellaneous Provisions Bill, 2015
By Shri Rabindra Kumar Jena 708

(xvi)Cancer Patients (Free Medical Treatment) Bill, 2015
By Shri P. Karunakaran 709

(xvii)Special Financial Assistance to the National Capital Territory of Delhi Bill, 2015
By Shri Maheish Girri 709

(xviii)Poor and Destitute Agricultural Workers (Welfare) Bill, 2015
By Shri Janardan Singh Sigriwal 710

(xix)Widows (Protection and Maintenance) Bill, 2015
By Shri Janardan Singh Sigriwal 711

(xx)Minimum Wages (Amendment) Bill, 2015
(Amendment of section 3, etc.)
By Shri E.T. Mohammad Basheer 711

(xxi)Aligarh Muslim University (Amendment) Bill, 2015
(Amendment of section 12)
By Shri E.T. Mohammed Basheer 712

(xxii)Constitution (Scheduled Caste) Order (Amendment) Bill, 2015
(Amendment of paragraph 3)
By Shri E.T. Mohammed Basheer 712

(xxiii) Constitution (Amendment) Bill, 2015
(Amendment of articles 15 and 16)
By Shri E.T. Mohammed Basheer 713

(xxiv)Constitution (Amendment) Bill, 2015
(Amendment of article 51A)
By Shrimati Jayshreeben Patel 713

(xxv)Constitution (Amendment) Bill, 2015
(Insertion of new articles 16A and 29A)
By Shrimati Jayshreeben Patel 714

(xxvi)Supreme Court of India (Establishment of a Permanent Bench at Ahmedabad) Bill, 2015
By Shrimati Jayshreeben Patel 714

(xxvii)Waste Segregation and Collection Bill, 2015
By Shrimati Supriya Sule 734

(xxviii) Environment (Protection) Amendment Bill, 2015
(Insertion of new Chapter IIIA)
By Shrimati Supriya Sule 734

(xxix)Compulsory Teaching of Financial Education in Educational Institutions Bill, 2015
By Shrimati Supriya Sule 735

(xxx)Mental Health (Amendment) Bill, 2015
(Insertion of new Chapter IIIA)
By Shrimati Supriya Sule 735

COMPULSORY VOTING BILL, 2014

Shri Nishikant Dubey 715-733, 736-742
Shri Adhir Ranjan Chowdhury 743-754
Shri Maheish Girri 755-758
Shri Ninong Ering 759-760

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 761

Member-wise Index to Unstarred Questions 762-767

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 768

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 769

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, December 4, 2015/Agrahayana 13, 1937 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from Shri Deepender Singh Hooda regarding widespread discontent due to partial implementation of 'One Rank One Pension' scheme; from Shri Jai Prakash Narayan Yadav regarding need to make public Caste Based Census Report; from Shri M.B. Rajesh regarding steep rise in the prices of essential commodities; from Shri Anto Antony regarding need to construct a new Dam at Mullaperiyar in Iduki district of Kerala; and from Shri Kodikunnil Suresh regarding need to take steps to curb atrocities against Dalits in the country.

The matters though important enough do not warrant interruption of business of the day. The matters can be raised through other opportunities.

I have, therefore, disallowed the notices of Adjournment Motion.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: So, Question Hour. Q. No.81

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No adjournment notice before me. I have disallowed it. I am sorry.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You can raise it afterwards.

11.02 hours

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER : Q. No.81, Kunwar Pushpendra Singh Chandel.

(Q.81)

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : अध्यक्ष महोदया, मैं बुंदेलखण्ड से आता हूँ। हमारे बुंदेलखण्ड क्षेत्र में विगत दस वर्षों से निरंतर सूखे की स्थिति है। पूरे बुंदेलखण्ड के किसान कर्ज से डूबे हुए हैं और परेशान हैं। इसलिए बहुत लंबे समय से यह मांग उठ रही थी कि बुंदेलखण्ड के किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण की कुछ व्यवस्था बनाई जाए। मैंने उसका प्रश्न पूछा था। माननीय मंत्री महोदय ने बड़ा विस्तृत उत्तर दिया है, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। उसका उत्तर तो मुझे मिल गया, लेकिन उसके साथ मैं अनुपूरक प्रश्न यह पूछना चाहता हूँ कि कृषि पर जो ऋण प्राप्त होता है, वहां पर कृषि में कुछ भी पैदा होने की स्थिति में इस समय नहीं है। जब तक किसानों को, उनके खेतों को साधन संपन्न बनाने के लिए ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, तब तक उसकी स्थिति बड़ी भयावह बनी रहेगी। मेरा माननीय वित्त मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि किसानों को निवेश के लिए भी ऐसी ऋण की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे अपने खेत पर, जो भारत सरकार और माननीय प्रधान मंत्री जी की यह सोच है कि खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में रूके तो हर खेत में तालाब खोदने के लिए, ट्यूबवेल लगाने के लिए, वहां पर विद्युत का कनेक्शन कराने के लिए, ड्रिप इरिगेशन के लिए और उसके खेत को साधन संपन्न बनाने के लिए ऐसी योजना बनाई जाए, ताकि उससे किसान संपन्न हो सकें और बैंकों का ऋण माफ कर सकें। क्या मंत्री महोदय इस कृषि निवेश पर ऋण देने की योजना बना रहे रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा): अध्यक्ष महोदया, माननीय सांसद ने बहुत सही प्रश्न पूछा है। सूखाड़ बुंदेलखण्ड तथा और भी कई क्षेत्रों में आई हुई है। उसके लिए हम लोगों ने शॉर्ट टर्म में काफी कुछ किया है और लॉन्ग टर्म में जो हम लोगों को करना है, उसमें भी हम लोगू काफी कुछ कार्यवाही कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जहां-जहां सुखाड़ आता है या अन्य कोई नैचुरल क्लैमिटी आती है तो वहां जो एक स्पष्ट प्रक्रिया बनी हुई है कि किस प्रकार से हम वहां लोगों को रिलीफ दें और लोगों का जो ऋण है, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग हो और साथ-साथ अगर फ्रेश लोन देने हों तो वह भी हम लोग देते हैं, अगर इंट्रेस्ट सब्वेंशन चल रहा है, अगर रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है तो इंट्रेस्ट सब्वेंशन में भी दो प्रतिशत अतिरिक्त सब्वेंशन किया जाता है। यह शॉर्ट टर्म रिलीफ मेज़र्स हैं और जब जिला प्रशासन या राज्य प्रशासन से हम लोगों को सूची आती है कि सुखाड़ आ गया है या कोई नैचुरल क्लैमिटी है तो आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं,

उन्हें वहां सीधे तरीके से जल्द से जल्द इंप्लिमेंट किया जाता है और जितने रैपिडली हम लोग वहां लोगों की समस्या का समाधान कर सकते हैं, हम लोग ज़रूर करते हैं। यह शॉर्ट टर्म में किया जाता है।

जैसा माननीय सांसद ने कहा है कि बुन्देलखण्ड और ऐसे क्षेत्रों में कई सालों से सुखाड़ आया हुआ है, तो सिर्फ जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, हम लोग उनसे संतुष्ट नहीं हैं, हम लोगों को लॉंग टर्म मेजर्स की तरफ देखना है। वहाँ भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने घोषणा की है कि एक कृषि सिंचाई योजना को हम लोग लागू करेंगे। कृषि सिंचाई योजना में, जैसे माननीय सांसद कह रहे थे कि निवेश भी हम लोगों को करना है और इरीगेशन वर्क्स, चाहे वे सरफेस वाटर के हों, चाहे वे नहर के द्वारा हों, चैक डैम हों या बड़े-बड़े डैम बनाने हों तो कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से इन लोगों को हम लोग समाधान पहुँचाएंगे और रिलीफ पहुँचाएंगे।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : महोदया, हमारे बुन्देलखण्ड क्षेत्र में किसान कर्ज से डूबा होने के कारण दोबारा लोन लेने से तो भयभीत रहता ही है, बल्कि यह कहा जाए कि बैंक के आसपास निकलने से भी उसको भय लगता है। उसके मन में यह बात बैठी रहती है कि अगर हम बैंक का ऋण ले रहे हैं तो शायद हम उसको चुका नहीं पाएंगे। उसको हर समय यह भय बना रहता है। मेरा एक निवेदन है कि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के तहत ग्रामीण स्तर पर उनको प्रशिक्षित करने के लिए ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं ताकि उनको लगे कि ऋण प्राप्त करना किसान का अधिकार है। हमारी सरकार, वित्त मंत्रालय किसानों को ऋण देने के लिए हमेशा तत्पर है। 8.5 लाख करोड़ रूपए का किसानों को जो ऋण दिया जा रहा है, वह उनका अधिकार बनता है। मैं इस अवसर पर आपसे यह बात करना चाहता हूँ कि एक तरफ तो बैंक को भी उससे मुनाफा प्राप्त होता है, दूसरी तरफ फसल का बीमा कराते हैं, तो बीमा कम्पनियों को भी लाभ प्राप्त होता है, लेकिन जब कोई ऐसी स्थिति आती है कि कोई अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस हो जाती हैं, सूखा पड़ जाता है, जब किसान की पैदावार नहीं होती है तो वह बैंक का ऋण चुकाने में अपने आपको अक्षम पाता है। मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से यह प्रश्न है कि जिस प्रकार से लाभ में बैंक और बीमा कम्पनियाँ किसान की साझीदार होती हैं, क्या वे हानि में भी किसान के साझीदार होंगे और तत्काल प्रभाव से जो भी उन्होंने कर्ज लिया है, अपने खेत में फसल पर जो उन्होंने निवेश किया है, घाटे की स्थिति में और सूखे की स्थिति में क्या वे उसके साझीदार होंगे? विशेष तौर पर हमारे बुन्देलखण्ड में दस साल से लगातार सूखे की स्थिति वाले क्षेत्र में क्या वित्त मंत्री महोदय ऐसा प्रावधान करेंगे ताकि बीमा कम्पनियाँ उनके ऋण की भरपाई कर सकें।

श्री जयंत सिन्हा : महोदया, अगर सुखाड़ की स्थिति आती है या और कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, जैसे हम लोगों ने पहले ही पूरे विस्तार से समझाया है और प्रश्न के उत्तर में भी बताया है कि उस समय जब डैमेज रिपोर्ट्स आते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पहले 50 परसेंट का डैमेज जो था, अब हम लोगों ने उसे कम करके 33 प्रतिशत बना दिया है, इसलिए अगर 33 प्रतिशत डैमेज की भी रिपोर्ट आ जाती है तो जो शॉर्ट टर्म रिलीफ मेजर्स हैं, उनको लागू किया जाता है। इस रिलीफ मेजर्स में जैसा मैंने कहा कि जो उनके ऋण हैं, उनकी रीस्ट्रक्चरिंग होती है, इंट्रेस्ट सब्वेन्शन जारी रहता है और अगर साथ-साथ नए लोन भी देने की जरूरत पड़ती है तो नए लोन भी दिए जाते हैं। आपको मालूम है कि हर जिले में डिस्ट्रिक्ट कन्सल्टेटिव कमेटी है, सब बैंकर्स इसमें शामिल होते हैं, वे लोग तय करते हैं कि किस प्रकार से यह रीस्ट्रक्चरिंग होगी और कैसे-कैसे फ्रेश लोन आएंगे। ये जो लोन हैं, वे सिर्फ शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन के लिए नहीं हैं, अगर निवेश के लिए भी आपने लोन लिया है, चाहे वह आपने ग्रीन हाउस के लिए लिया हो या सिंचाई के लिए लिया हो या आप फिशरीज का काम कर रहे हों या डेयरी का काम कर रहे हों, अगर आपने निवेश के लिए भी लोन लिया है तो इन लोन्स की भी रीस्ट्रक्चरिंग हो जाती है। इस प्रकार से जो शॉर्ट टर्म रिलीफ दिया जाता है, वह डिस्ट्रिक्ट कन्सल्टेटिव कमेटी के द्वारा और जो स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटीज हैं, उनके द्वारा किया जाता है। फिर एक बात उठती है कि क्रॉप इंश्योरेंस, मुआवजे का जो मामला है, अगर कोई नेचुरल कैलामिटी है तो मुआवजा मिलता है या नहीं मिलता है। मुआवजा भी दिया जाता है। सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि इसकी भी एक स्पष्ट प्रक्रिया बनी हुई है कि डैमेज रिपोर्ट्स जिला प्रशासन से आती हैं, फिर राज्य के स्तर पर जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड है, उस माध्यम से लोगों को मुआवजा मिलता है और अगर वहाँ कोई कमी होती है तो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है, वहाँ से मुआवजा मिलता है तो यह मुआवजा दिया जा रहा है। साथ-साथ आज के समय सरकार के सामने कई प्रस्ताव आए हुए हैं कि नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस किस प्रकार लागू किया जाए, उस पर भी चर्चा चल रही है, विचार चल रहा है और जल्द से जल्द इस पर भी कार्रवाई होगी। ये सब साधन हमारे कृषि भाइयों और बहनों को मिले हुए हैं।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : महोदया, देश भर में सूखे की वजह से या ज्यादा बारिश होने के कारण किसानों की हालत बहुत गम्भीर है। किसान जब आत्महत्या करता है तो उसके परिवार वालों को केन्द्र और राज्य से राजसहायता मिलती है, आर्थिक सहायता मिलती है॥ किसानों का कर्ज़ा माफ होता है, ब्याज माफ होता है, लेकिन आगे चलकर किसानों के परिवारजनो को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आत्महत्या ग्रस्त किसानों के

परिवार के किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देकर उसका परिवार खड़ा किया जाए या उनको आर्थिक सहायता देने के लिए उनकी कोई मदद की जाए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न छोटे छोटे पूछो नहीं तो मैं अधिक सदस्यों को पूछने का मौका नहीं दे पाऊँगी।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : माननीय अध्यक्ष महोदया, क्या उन किसान के परिवार के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक पूरी शिक्षा देने का प्रावधान करने की सरकार की तरफ से कोई कामना है?

श्री जयन्त सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, इस विषय पर सरकार में बहुत विचार हुआ है और हम लोगों ने इस पर बहुत ध्यान दिया है। आप सब सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि जो हमारी जीवन ज्योति बीमा योजना है जिसके 330 रुपये देने पर हर किसान या भाई-बहन को जीवन बीमा मिल सकता है और अगर किसी का देहान्त भी होता है तो उस पर जो कवरेज मिलता है, वह 2 लाख रुपये का है। आप सब माननीय सदस्यों से निवेदन है, मैंने खुद अपने क्षेत्र में किया हुआ है और आप लोग भी करिए, कि जितना इस विषय पर आप प्रचार कर सकते हैं, जिसमें किसी भी कारण किसी का देहान्त हो तो उनको इस इंश्योरेन्स पॉलिसी का फायदा मिल सकता है। इस तरीके से हम सब लोगों को यह साधन और लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ-साथ जब किसी भी जिले में या कहीं भी किसी गाँव में किसी की इस प्रकार से दुखद घटना में मृत्यु होती है तो जिला प्रशासन या जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई न कोई रिलीफ हम लोग देते हैं। वह भी एक साधन है। उसका भी आप उपयोग करिये। इस तरह से जीवन बीमा को लेकर on-the-spot intervention करके, हम लोगों की कोशिश है कि कोई भी अगर इस दुखद हालत में है तो उसकी हम किसी न किसी तरीके से मदद करें।

SHRI M.B. RAJESH: Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, through you, I would like to raise an important issue. The hon. Minister in his reply has stated that there is interest subvention and it is 4 per cent rate of interest for timely repayment. But, despite this, there are widespread agrarian distress and farmer suicides in the country. A major cause of this is lack of cheap institutional agricultural credit. The National Commission on Farmers headed by the famous agricultural scientist Dr. M.S. Swaminathan had recommended that there should be agricultural credit at not more than 4 per cent rate of interest.

I would like to ask the hon. Minister, through you, Madam, despite this widespread agrarian distress and farmer suicides, what prevents this Government from implementing the National Commission on Farmers' recommendation that

there should be agricultural credit at not more than 4 per cent rate of interest? Thank you, Madam.

SHRI JAYANT SINHA: Madam Speaker, I would like to reassure the hon. Member that if indeed there are farmers that are making timely repayments, then the 7 per cent is reduced down to 4 per cent in any case. So, I would, of course, request all that are taking advantage of this loan to be paying on time so that they can take advantage of the 4 per cent.

In addition, most States have additional programmes that provide subvention below the 4 per cent. So, most farmers across the country are, in fact, not even paying the 4 per cent. If they are making timely repayments on their loans, they are actually paying less like 2 or 3 per cent. So, those recommendations have indeed been implemented.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदया, जैसे अभी एम.बी.राजेश जी कह रहे थे कि देश में एक एग्रेरियन क्राइसेज़ बिल्ड अप हो रहा है, कृषि संकट के बादल मँडरा रहे हैं। पिछले तीन फसलों के मौसम किसानों के लिए अच्छे नहीं रहे। दोनों खरीफ की फसलों में डैफिशिएन्ट मानसून हुआ, 12 परसेंट पिछले साल और 14 परसेंट डैफिशिएन्ट मानसून इस साल रहा। रबी के समय बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से देश के तकरीबन 35 प्रतिशत किसान प्रभावित हुए।

इन सबकी वजह से कृषि क्षेत्र में किसानों पर एक संकट की परिस्थिति बनी हुई है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए मेरा वित्त मंत्री से प्रश्न है कि क्या वित्त मंत्रालय और भारत सरकार, जिस प्रकार से यूपीए के समय किसान कर्ज़ा माफी की योजना आई थी, उसमें 72 हजार करोड़ रुपये के कर्ज़े माफ किए गए थे, साढ़े चार करोड़ किसानों को फायदा हुआ था, क्योंकि अब समय है ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : थोड़े शब्दों में प्रश्न पूछिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : यह केवल पिछली तीन फसलों की बात नहीं है। जो गेहूं की बुवाई का सीजन चल रहा है, आज के अखबारों में रिपोर्ट है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : शॉर्ट क्वश्चन प्लीज़। जो लम्बे प्रश्न पूछेगा, आइन्दा उसको मौका नहीं दूंगी। आप लोग प्रश्न पूछने में बहुत समय लेते हो।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : मैं अपना प्रश्न खत्म करता हूं। इस हफ्ते जो गर्मी है, वह औसतन गर्मी सर्दी से ज्यादा है तो उसमें भी नुकसान होने का अंदेशा है तो क्या कर्जा माफी की योजना, यू.पी.ए. की तर्ज पर यह सरकार भी लाने का काम करेगी?

श्री जयंत सिन्हा: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि आज के समय कृषि क्षेत्र में संकट आया हुआ है और संकट इसलिए आया कि दो साल हम लोगों का जो मानसून, जो रेनफॉल रहा है, वह डैफीसिट रहा है। साथ-साथ आपको मालूम है कि विदेश के बाजार में कई सारी जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हैं, उनके प्राइसेज़ भी कम हुए हैं और इस कारण विश्व भर में और खास कर हमारे देश में संकट आया हुआ है, पर अब हम सब लोगों को यह तय करना चाहिए कि अगर यह संकट है तो इसका समाधान किस प्रकार से किया जाये। माननीय सांसद ने कहा है कि यू.पी.ए. सरकार के दौरान एक एग्रीकल्चरल डेट वेवर किया गया। आज के समय आप अगर किसी विशेषज्ञ से पूछिये कि यह जो किया गया था, इससे जो कृषि संकट है, उसका सुधार हुआ था कि नहीं, अधिकतर जो विशेषज्ञ हैं, वे कहेंगे, जो एग्रीकल्चर इकोनोमिस्ट्स हैं, वे कहेंगे कि वह सही नहीं था और अगर हमें कुछ सही समाधान इसका करना है, अगर हमें इसे लॉंग टर्म में ठीक करना है तो हम लोगों को निवेश करना है, लॉंग टर्म जो हम लोगों की कैपेसिटी है, उसको बढ़ाना है, जिसमें कि इर्रीगेशन हम लोग लायें, क्रॉप इंश्योरेंस हम लोग लायें, सोइल हैल्थ कार्ड हम लोग लायें, फर्टीलाइजर सब्सिडी का हम लोग सही तरीके से सुधार कर दें और इसी सब पर हमारी सरकार अब नीति बना रही है और इसी सब पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो कृषि संकट आया हुआ है, उसका सुधार होगा।

माननीय अध्यक्ष : चन्द्रकान्त खैरे जी, बिल्कुल शॉर्ट क्वश्चन, भाषण नहीं।

श्री चन्द्रकांत खैरे : लगातार चार वर्षों से हमारे महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में सूखा पड़ रहा है और मैं कहूंगा कि किसानों की हालत इतनी खराब है कि एक जनवरी से आज तक 997 किसानों ने मराठवाड़ा के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में आत्महत्याएं कीं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह सब परिस्थिति आ चुकी है।

श्री चन्द्रकांत खैरे : मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से विनती करूंगा कि मराठवाड़ा में किसानों के नाम पर जितने भी ऋण हैं, उनका पूरा ऋण माफ करना चाहिए, ऐसी मेरी डिमांड है, क्योंकि सैण्ट्रल गवर्नमेंट की दो कमेटियां वहां जाकर देखकर आई हैं, वहां 33 परसेंट भी क्रॉप नहीं आई है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न नहीं, your suggestion.

श्री चन्द्रकांत खैरे : सजेशन नहीं, मैंने यह मांग की है कि उनका कर्जा माफ करना चाहिए तो माफ करेंगे क्या?

श्री जयंत सिन्हा: अध्यक्ष महोदया, आपका सुझाव है, हम लोग इस पर विचार करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : बुत्ता रेणुका जी।

आप इस पर पूरा डिस्कशन मांगियेगा, we will give, यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है।

SHRIMATI BUTTA RENUKA: Thank you Madam Speaker. A lot of farmers are committing suicide due to drought and the reason is that most of the banks are refusing to give loans. Farmer's profession is a seasonal thing. If the loans can be given to the farmers on a priority basis, they do not miss out their season. I would like to know from the hon. Minister whether there is any scheme which is not connected to the State Governments or whether there are some other means by which we can directly give the loans to the farmers who have already incurred losses due to drought or flood.

SHRI JAYANT SINHA: Madam Speaker, the process by which loans are given to the farmers actually works through the banks. Of course, there are consultative committees at the district level and at the State level but the process is run by the banks independent of the State machinery. This process is also expedited, as I said earlier, when there is a natural calamity and the damage reports come in. So, this is all moving very quickly. It is all set up in such a way to be able to respond very quickly to farmers needs and, therefore, we think in that sense that it is a system that does not rely on the State machinery and can work efficiently by itself.

(Q.82)

श्री सी.आर.चौधरी: माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही डिटेल में क्रिस्टल क्लियर रिप्लाई दी है। इस समय मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का बहुत अभिनन्दन करूंगा और उन्हें धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 'स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत' की परिकल्पना को साकार करने के लिए 'मिशन इन्द्रधनुष' नाम की योजना चलायी। सात जानलेवा बीमारियों का मुक़ाबला करने के लिए इस योजना का प्रारंभ 25 दिसम्बर, 2014 को किया गया। इसका प्रथम फेज, जो 201 जिलों में किया गया, वह पूरा हो चुका है। दूसरा फेज अभी चल रहा है। इस समय मैं माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 'आरोग्य राजस्थान' नाम की एक हेल्थ कार्ड योजना चलायी है, जिसमें निःशुल्क परीक्षण और निःशुल्क दवाइयों की भी व्यवस्था की गयी है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार, दोनों स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री सी.आर.चौधरी: महोदया, पिछले तीन दशकों से यूनिवर्सल इम्युनाइजेशन प्रोग्राम चल रहे थे। पर, आज तक भारत केवल 65% बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ही इसमें कवर कर पाया है। जबकि श्री लंका 99% और पड़ोसी देश बांग्लादेश 93% पर पहुंच चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री सी.आर.चौधरी: महोदया, मेरी अर्ज़ यह है कि इस तरह से भारत में जो कमी है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी ने 'मिशन इन्द्रधनुष' नामक योजना चलायी है, जिसके लिए वे स्वागत के पात्र हैं। मैं इनका अभिनन्दन करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : फिर आपका कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री सी.आर.चौधरी: महोदया, हालांकि माननीय मंत्री जी ने डिटेल में जवाब दिया है, लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहूंगा कि तीन दशकों से यूनिवर्सल इम्युनाइजेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, परन्तु आज भी हम केवल 65% को ही कवर कर पाए हैं। वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2013 तक इसमें केवल 1% की वृद्धि हुई है। अब हमारा लक्ष्य 5% है, तो क्या इस 5% को अचीव करने के लिए माननीय मंत्री महोदय यह बताएंगे कि पिछले तीस सालों में हम इसमें कम क्यों रहे हैं? उन कारणों का निराकरण करने के लिए क्या इस योजना में कोई उपाय सम्मिलित किए हैं अथवा नहीं?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने इस योजना के बारे में चर्चा करते हुए डिटेल में खुद ही यह बताया है कि किस प्रकार स्वास्थ्य विभाग इस पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम को ले रहा है। इसमें जो इंटरवेंशन का विषय है, उसका बैकग्राउण्ड मैं आपको बता दूं।

हमारे यहां प्रति वर्ष लगभग दो करोड़ 70 लाख बच्चे पैदा होते हैं, जिनमें से लगभग 89 लाख बच्चे या तो पार्शियली इम्युनाइज्ड हैं और उसमें से लगभग 17 लाख बच्चे ऐसे हैं, जो टोटली अन-इम्युनाइज्ड हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यह प्रयास किया कि 'मिशन इन्द्रधनुष' कार्यक्रम के माध्यम से सात तरीके के टीकाकरण बच्चे के पैदा होने के दो वर्ष के अन्दर ही कर दिए जाएं, जिसमें डिप्थीरिया, व्हुपिंग कफ, टिटनस, पोलियो, ट्युबरक्युलोसिस, मीज़ल्स और हेपेटाइटिस-बी हैं। इसके साथ-साथ पेंटावलन वैक्सीन कॉम्बीनेशन भी दिए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में, जैसे जो 189 जिले हैं, जहां जापानी इंसेफ्लाइटिस फैला है, वहां जापानी इंसेफ्लाइटिस का टीकाकरण करने की योजना है। हम लोगों ने यह देखा है कि ये जो लेफ्ट-आउट्स हैं, जिनकी संख्या 89 लाख है, उनके लिए हमें रूटीन इम्युनाइजेशन के साथ-साथ अलग से करने की जरूरत है। इसलिए हमने रूटीन इम्युनाइजेशन के साथ-साथ 'मिशन इन्द्रधनुष' के सातों टीकाकरण और प्लस-टू, को करना तय किया। 07 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक, एक सप्ताह तक, जो लेफ्ट-आउट्स हैं, उनको मैप करके हमने उनका टीकाकरण शुरू किया। रूटीन इम्युनाइजेशन के साथ-साथ हमने इस कार्यक्रम को भी लिया। इसके चार फेज हैं। एक फेज को हमने चार महीनों में कवर किया - अप्रैल, मई, जून और जुलाई। यह पहला फेज था और इस फेज में हमने 201 जिलों को लिया। ये जिले वैसे जिले थे, जहां 50% से ज्यादा लोग अन-इम्युनाइज्ड थे, जिनका इम्युनाइजेशन नहीं हुआ था। उन्हें हमने इसमें कवर किया। उसके बहुत अच्छे नतीज़े आए। उन नतीज़ों से प्रोत्साहित होते हुए हमने सेकन्ड फेज अक्टूबर में शुरू किया। वह 07 अक्टूबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक, इसी तरह 07 नवम्बर से लेकर 14 नवम्बर तक चला। अभी हम उसे फिर दिसम्बर में करेंगे और फिर जनवरी, 2016 में करेंगे। इस सेकन्ड फेज में हमने जिन जिलों को लिया है, उसमें हमने कोशिश यह की कि 279 मीडियम फोकस्ड जिलों को लिया जाए, जहां 50-60% इम्युनाइजेशन हो गया है और 40% नहीं हुआ है। उन जिलों को हमने इसमें लिया है।

साथ में 73 हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट्स लिए, जो फर्स्ट फेज में अच्छा नहीं कर पाए, उनको भी हमने साथ में ले लिया और 352 डिस्ट्रिक्ट्स में हम इम्युनाइजेशन कर रहे हैं। इस इम्युनाइजेशन में हम लोगों ने डिटेक्ट किया है, जैसे माइग्रेट्री लेबर्स हैं, वे कभी इधर से उधर माइग्रेशन कर जाते हैं, तो उनको ट्रेस करना होता है। बहुत सी ऐसी मातायें है जो डर के मारे या अंधविश्वास के कारण अपने बच्चों

का टीकाकरण नहीं कराती हैं, तो उनकी स्पेशल काउंसिलिंग की जाती है। जहां-जहां हमारे यहां एएनएम की कमी है, स्टाफ की कमी है, जिसके कारण इम्युनाइजेशन नहीं हुआ, उनको मैप करते हुए वहां पर स्पेशल अटेंशन देते हुए, स्पेशल एएनएम को भेजकर वहां पर इम्युनाइजेशन करते हैं। अभी इसके टार्गेट्स पूरे नहीं आए हैं, लेकिन हमारा मानना है कि तीन-चार साल के अंदर we will be reaching 90 per cent. In this immunisation, in the first phase II, in one year, we will be reaching near five per cent. हम इसको अभी आथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डाटा कलेक्शन चल रहा है। लेकिन जो पर ईयर 1 परसेंट था, वह 5 परसेंट हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है और इसको अगर हम थर्ड और फोर्थ फेज लेंगे तो इस तरीके हम 90 परसेंट तक पहुंच जाएंगे। हमने इस पर कांस्टेंट विजिलेंस रखी है।

माननीय सदस्य ने पूछा कि आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए हमने मानीटर्स लगाए हैं। ये मानीटर्स इन सारी चीजों को देख रहे हैं। Approximately, 3500 monitors, that is, on an average 17 monitors per District, we have put up. ताकि हम इसको मानीटर कर सकें कि फेज मैनर में यह काम कैसे चल रहा है। वैसे रूटीन इम्युनाइजेशन के बारे में हम सबको खुशी होनी चाहिए कि this is the world's large public health programme. इतना बड़ा प्रोग्राम मैन पॉवर का इस्तेमाल करते हुए यहां आप सबके सहयोग से संभव हुआ है और आपका सहयोग आगे भी मिलेगा।

श्री सी.आर.चौधरी: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री महोदय ने काफी विस्तार से हर चीज को क्लियर किया। आपने बताया कि भारत में 2.7 करोड़ बच्चे हर साल जन्म ले रहे हैं, इनमें से 5 लाख बच्चे दूसरा जन्म दिवस नहीं देख पाते हैं और 1.8 मिलियन बच्चे पांचवां जन्म दिवस नहीं देख पा रहे हैं। इसके पीछे निमोनिया और डायरिया, ये दो मेन बीमारियां हैं, जिनके कारण काफी बच्चे पांचवां जन्म दिवस नहीं देख पा रहे हैं। इसके साथ ही कुपोषण, मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। क्या मंत्री महोदय बताना चाहेंगे कि इन तीनों पर हेल्थ विभाग और इनके विभाग की कोई विशेष योजना चलाई जाएगी, ताकि बच्चे जिन बीमारियों से, अधिकतर इन दो बीमारियों से बच्चे ज्यादातर कालग्रस्त हो रहे हैं, इनके उपाय के लिए माननीय मंत्री महोदय क्या करने जा रहे हैं, विभाग इनके बारे में क्या सोच रहा है?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : इस इंटरवेंशन के कारण जो हमारा आईएमआर है, वह वर्ष 2008 में 69 पर 1000 लाइफ बर्थ था, वह रेड्यूस होकर 49 हो गया है। हम लोगों ने कुछ और वैक्सींस को इंट्रोड्यूस करना तय किया है। पेंटावेलेन, रोटा वायरस, मीजल्स रूबेला के साथ-साथ जापानीज इंसेफ्लाइटिस

एडल्ट्स यानी अब हम 7 से बढ़कर 11 हो जाएंगे। हमने अपना बास्केट इनक्रीज किया है। न्यूट्रिशन की दृष्टि से हमने कहा कि लाइफ साइकल एप्रोच हमने डेवलप की है। प्रेगनेंट मदर को हम दो टिटनस टॉक्साइड का टीकाकरण करते हैं और उसके बाद बच्चे के लिए दो साल के अंदर ये सारे टीकाकरण करते हैं। इससे हम इन्फैंट मोटेलिटी रेट को रेड्यूस कर पा रहे हैं।

HON. SPEAKER: Shri Om Birla -- Not present.

DR. RATNA DE (NAG): Madam, immunization is not just about preventing illness, it is about giving children a chance to their life to its full potential. Mission Indradhanush will really make an impact on child mortality in India, which today stands at nearly 1.3 million child death every year or roughly one-fifth of world's total figure.

While appreciating the hon. Minister, about the Mission Indradhanush, which provides protection against seven life threatening diseases including Tuberculosis and Hepatitis B, I would like to know from him whether he is thinking of expanding the Mission Indradhanush to each District of West Bengal. A number of beneficiaries were vaccinated and fully immunized under this Mission Indradhanush, since it was launched on 25th December, 2014.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Thank you. Hon. Member has raised a very valid question. In the first phase, we focused on the high focus districts where the unimmunized children were more than 50 per cent. In the middle focus districts, we have 50 to 60 per cent where immunization has taken place and forty per cent are not immunized. In this process, we are going to continue the routine immunization in all districts. That regular programme is going on but other than that, this Mission Indradanush also will be taken accordingly in other districts in a phased manner. We will assess the outcomes of it and then decide accordingly.

DR. KULMANI SAMAL: Thank you hon. Speaker Madam. I have gone through the reports which were tabled by the hon. Minister. Even though the hon. Minister initiated praiseworthy measures, the Indradanush Mission has targeted 201 high focus districts and 279 medium focus districts that is only 480 districts out of 650 districts in the country. I have found that the progress of the Mission is very slow.

Given the slow pace of progress, by which year the Mission can spread to the whole country?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: No, I would like to correct the hon. Member that the Mission is not slow. We can only work according to the circumstances. For example, a child has to be immunized in two years. Some vaccinations are to be given in two weeks. The other vaccination is to be given at ten weeks and some at twenty weeks.

Seventy five lakh children have been covered in first phase. Twenty lakh children have been totally immunized. This is the process which is going on. Authentication will be done after the second phase and only after that, we will be able to say. We are estimating that approximately five per cent per year immunization will increase. So, keeping this factor in view, within three or four years, we will be making it and reaching 90 per cent plus. That is the situation and we are satisfied with the working of this Mission and we are going to take every district. Routine immunization is going on. Why we have taken up high focus districts because if the high focus districts are addressed, the number is going to come down very fast. This is what we have thought. In the same way, we have now taken middle focus districts. Ultimately, we will be coming to the districts which are performing well also.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी: अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि हमारी सरकार ने जो 'मिशन इंद्रधनुष' लॉंच किया है, उसकी वजह से टोटल अनवैक्सिनेटेड बच्चों को कवर किया जायेगा। मैं अपनी सरकार को इसलिए बधाई देता हूं कि वर्ष 2013 तक करीब 65 फीसदी बच्चों को वैक्सिनेट किया गया था और आने वाले पांच वर्षों में हमारी सरकार ने 90 प्रतिशत बच्चों को वैक्सिनेट करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभी-अभी हमने पोलियो पर विजय पायी है। हमने पूरे देश से पोलियो को इरैडिकेट कर दिया है। अभी हेल्थ मंत्रालय की ओर से पोलियो के लिए दवा ड्रॉप के रूप में आती है, पोलियो वैक्सिनेशन का भी प्रावधान किया गया है, मैं इसके लिए मंत्री जी और सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। बच्चों की सात जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा से संबंधित सात वैक्सिन की जो बास्केट है, वह ठीक है,

मगर कुछ अन्य बीमारियां फैल रही हैं, जैसे - डेंगु, एच वन एन वन, खासकर Hepatitis C is also prevalent.

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन बीमारियों को भी वैक्सिनेट करने का प्रयास करेगी।

श्री जगत प्रकाश नड्डा : अध्यक्ष महोदया, जहां तक डेंगी का सवाल है, उसमें सफाई की तरफ ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, उसके कारण यह रोग होता है। लेकिन अभी इस तरह का विचार नहीं है, स्वाइन फ्लू के लिए भी विचार नहीं है, क्योंकि इसकी कितनी इफेक्टिविटी है, उसको भी हम देख रहे हैं, लेकिन टाइमली इंटरवेंशन के लिए मेडिसिन का प्रावधान किया गया है और हम हॉस्पिटल्स में इस बात की व्यवस्था रखते हैं। अभी भी हमने एच वन एन वन, स्वाइन फ्लू की दृष्टि से सारे हॉस्पिटल्स में पर्सनल प्रोटैक्शन इक्विप्मेंट्स, दवाइयां, टेस्टिंग कैपेसिटी, सभी चीजों को रखा है।

श्रीमती रंजीत रंजन: अध्यक्ष महोदया, बिहार में उच्च प्राथमिकता में आपने जो 14 जिले लिए हैं, उनमें बहुत सारे जिले ऐसे हैं जैसे पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा जहां इनफ्लूएंजा, एंसेफेलाइटिस, क्षय रोग और खसरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उन्हें नहीं लिया गया है। दरभंगा को लिया गया है लेकिन मधुबनी को नहीं लिया गया है। क्या बीच में उन्हें लेने का प्लान है? साथ ही आपके मिशन इन्द्रधनुष में 64 प्रतिशत बिहार में ज्यादातर कोसी और सीमांचल के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। क्या कुपोषण को भी उसमें जोड़ने का सरकार का कोई प्लान है?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : महोदया, जहां तक जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस का सवाल है, 204 एनडैमिक डिस्ट्रिक्ट्स हैं in 21 States. Campaign has been completed in 184 districts. Madam, 21 high burden districts identified in three States for adult JE vaccination, namely, Assam, Uttar Pradesh and West Bengal. Adult JE vaccination campaign completed in three districts of Assam, selected blocks of three districts of West Bengal and selected blocks of six districts of Uttar Pradesh. यह जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस का है। लेकिन जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस के जो 184 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें बिहार has been covered. आपने प्रश्न पूछा कि रूटिन इम्युनाइजेशन के तहत जो कार्य चल रहा है, क्या उसमें बिहार के और डिस्ट्रिक्ट्स को भी लिया जाएगा। मैंने कहा कि ये हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इनके बाद मीडियम फोकस डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा है।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: महोदया, इस तरह बताना मुश्किल होगा, लेकिन यदि वहां के आंकड़े सैटिसफैक्ट्री नहीं होंगे तो निश्चित रूप से वहां भी हम करेंगे।

(Q.83)

श्री परेश रावल : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रालय से जानना चाहूंगा कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो बंद हो रहे हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए क्या सरकार की तरफ से कोई योजना बनाई गई है? अगर है, तो उसका ब्यौरा दीजिए।

श्री जयंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, एमएसएमई क्षेत्र जिसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक बार आंकड़े दिए थे और बड़ी स्पष्टता से समझाया था कि आज के समय 5 से 6 करोड़ ऐसे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं जिनमें 11 से 15 करोड़ लोग काम करते हैं। इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी सरकार में बनती है कि उन्हें प्रोत्साहन दें, साधन दें जिससे उनकी और बढ़ोतरी हो और और लोगों को उसमें रोजगार मिले। इसके लिए हमने कई योजनाएं तैयार की हैं जो आज के समय में लागू हैं। एक यह है कि हमने क्रैडिट गारंटी स्कीम तैयार की है जिसके द्वारा माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को क्रैडिट गारंटी मिलती है और किसी गारंटी या कोलैटरल की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने एक करोड़ रुपये तक लोन लिया है तो उसके लिए कोई गारंटी की जरूरत नही है। यह क्रैडिट गारंटी जो सिडबी द्वारा दी जाती है, इससे आज के समय एक लाख करोड़ क्रैडिट को हमने गारंटी की है। जब यह क्रैडिट माइक्रो, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को मिलता है तो उन्हें जो इंटरस्ट रेट देना पड़ता है, वह कम होता है क्योंकि जीरो रिस्क वेटिंग होती है। साथ ही कई उद्योग ऐसे हैं, चाहे टैक्सटाइल या लैदर देख लीजिए, जहां इंटरस्ट सब्सिडी या कैपिटल सब्सिडी भी मिलती है। इस प्रकार इन्हें हम इन विशेष इंडस्ट्रीज और उद्योगों के लिए और साधन दे रहे हैं। हाल में हमने जो प्रधान मंत्री मुद्रा येजना लागू की है, उसमें 66 लाख लोगों को मुद्रा लोन मिले हैं और आज के समय में 42 हजार करोड़ मुद्रा लोन हमने दिए हैं। अगर हम इन सब योजनाओं को जोड़ लें तो माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के क्षेत्र को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है और हम सब लोगों की अपेक्षा है कि इससे रोजगार भी बढ़ेंगे।

श्री परेश रावल: अध्यक्ष महोदया, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि कितने लोगों को लाभ मिला। मेरा दूसरा सवाल है कि एमएसएमई के अंतर्गत एससी, एसटी और ओबीसी लोगों को ऋण सहायता में कोई प्रॉयोरिटी मिलती है या नहीं?

श्री जयंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, हमारे बैंक की जो शाखाएं हैं, उन सबको यह आदेश गया हुआ है कि खासकर जो नीचे तबके के वर्ग हैं, जिन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उनके लैंडिंग प्रैक्टिसेज में यह आदेश गया हुआ है कि इन लोगों को प्रोत्साहन देना जरूरी है और जितने साधन दे सकते हैं, जरूर दें। आज के

समय में हमारी बैकिंग कम्पनीज, सिडबी, और सब संस्थाएं हैं जो माइक्रो, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को ऋण वगैरह देती हैं, इस पर विशेष रूप से ध्यान दें।

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI : I want to ask the hon. Minister whether we have a coordinating committee among various Ministries because the population to subsidy and loan ratio is very different for Northeast and various industries need to be coordinated like khadi, skill training and entrepreneurship. So, do we have a coordinating mechanism? Especially in relation to bamboo, I want to know whether we have started considering bamboo as an industry by itself.

SHRI JAYANT SINHA: Madam, Speaker, there are various different coordinating mechanisms both at the Central level and State level and finally at the district level as well. At the Central level, of course, the nodal Ministry is the Micro Small and Medium Enterprises Ministry (MSME). But certainly the Ministry of Finance and especially the Commerce and Industry Ministry are deeply involved in putting together polices for the benefit of the MSME sector. We, of course, have a major initiative that the hon. Prime Minister has launched 'Startup India', where we are paying special attention to these kinds of enterprises.

In addition, depending upon the States, there are many different programmes that have been put in place. I was recently visiting Meghalaya where I was taken to what they have virtually at every district level, which is called Enterprise Facilitation Centre, where MSME companies' entrepreneurs are brought in and provided training and loans so that they can undertake businesses of different kinds.

Similarly, in many other States such Enterprise Facilitation Centres and these kinds of entrepreneurship programmes have been put in place and this coordination mechanism is happening there.

Finally, at the district level there is an effort to be able to put together industrial clusters and industrial areas where all kinds of services including land, electricity provision and credit are available for small entrepreneurships.

SHRI K.C. VENUGOPAL : Thank you very much, Madam, for giving me an opportunity to ask a question to the hon. Minister. As rightly pointed out by the hon. Minister, the MSME sector is the largest employment provider in the country.

As per his reply, the hon. Minister has given that a target of 7.5 per cent of Adjusted net Bank Credit (ANBC) or Credit Equivalent Amount of Off-Balance Sheet Exposure, whichever is higher, has been prescribed for SCBs for lending to Micro Enterprises.

I have been attending all the district level review meetings of national banks in my district. In the last meeting, I enquired about the percentage of loan given to MSME sector. I am sorry to say that below one per cent loan has been distributed to the MSME sector. The promises given by this Government do not reflect in the attitude of bureaucrats, especially the bank officers.

Madam, the coir industry is one of the major industries in Kerala. The majority of the workers in coir industry are women. They are facing a very serious issue of their livelihood. Nowadays, banks have started their revenue recovery proceedings against them. I would like to ask the hon. Minister through you, Madam, whether the Government has given any direction to the bank officers to provide loans and also to stop the revenue recovery proceedings for the MSME sector and to go for loan waiver schemes or some other attractable schemes for providing relief to the workers.

SHRI JAYANT SINHA: I am very glad to note that the hon. Member is playing the role of a people's representative as all of us do, which is to sit in vigilance committee meetings and bankers' meetings at the district level and to supervise and monitor them. I am very glad to note that he is finding that there is a shortfall in the targets. As the hon. Member has correctly indicated, there is a guideline as far as priority sector lending is concerned. It is that 7.5 per cent of all credit, which is going out across the financial system, should go to MSME. In addition to that, there are other targets as well. Let me read those out. There is a target which says that the micro part of the MSME sector should get 60 per cent of that 7.5 per

cent that is going out to them. So, we are putting in place that target. The achievement on that so far from September, 2014 to September, 2015 is 50.46 per cent. So, there is more work to be done there. We are putting the pressure and trying to ensure that through the financial system, we, in fact, adhere to that 60 per cent target.

Secondly, we are saying that there should be a ten per cent growth in terms of the total credit going out to the MSME sector. Hon. Member will be pleased to know that we are at 28 per cent on that. So, we are exceeding that target.

As far as year on year growth for overall credit to the MSME sector is concerned, that number is 20 per cent and there is a shortfall as we are at 12 per cent right now.

In fact, at the national level across the entire financial system, in the Ministry, we are monitoring these targets and ensuring that we put the pressure on to the banks so that they, in fact, fulfil these targets. As all of us need to do, we need to then assess these targets at the district level so that we can ensure that the necessary loans that should be given to this very important sector, are provided.

SHRI V. ELUMALAI: Today, a big problem being faced by the MSMEs is lack of financial support from the banks. There is a need to double the flow of credit for the MSMEs to sustain. What we are witnessing today is the closure of MSMEs due to financial constraints and lack of many other supports.

In Tamil Nadu, Amma Government has been supporting the MSMEs in a big way as our visionary and beloved leader believes that it is the MSMEs that can provide employment to rural masses and usher the economy of the rural people. Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether any direction has been given to the PSU banks to double the credit line to the MSMEs.

SHRI JAYANT SINHA: Madam Speaker, we have, of course, done exactly as the hon. Member is suggesting which is to ensure that sufficient credit is available to the MSME sector and more than that, we have also instructed that at each bank branch, we need to ensure that there is at least one woman entrepreneur who is, in

fact, getting credit from the financial sector as well as one SC or ST entrepreneur is getting credit. So, we are making sure that credit is flowing to the MSME sector, that it is going to the weaker sections of society.

Through the MUDRA Yojana, in particular, where we are saying that up to Rs. 10 lakh, no collateral or no guarantee is required, we are trying to ensure that micro enterprises in particular get the credit that they need to grow their businesses. As I said earlier, 66 lakh people have become beneficiaries of MUDRA Yojana. In addition to that, Rs. 42,000 crore have gone into the MUDRA Yojana since it was announced in April of this year.

PROF. SAUGATA ROY: Madam, I first want to point out to the Minister that he has not given any figures for the Technology Upgradation Fund Scheme for textile and jute industry. We would like to know how much money is being given because these figures are relevant to the States. Your annexures do not contain this. Actually, my question relates …..

HON. SPEAKER: You have one supplementary only.

PROF. SAUGATA ROY : I pointed out that. I have only one supplementary.

Madam, I am drawing the attention of the Minister to Annexure II and pointing out the terrible discrimination against two States in the Credit Linked Capital Subsidy Scheme where only Rs. 17 crore have been given to West Bengal and Rs. 21 crore to Madhya Pradesh, which you may be interested in. Compared to that, Gujarat has got Rs. 584 crore, Maharashtra Rs. 303 crore and Tamil Nadu Rs. 266 crore.

West Bengal is an old industrialized State which is known particularly for small scale industries, especially in the Howrah area. I would like to know from the hon. Minister what steps he will take to end this terrible discrimination in the distribution of money under the Credit Linked Capital Subsidy Scheme, especially to the States of West Bengal and Madhya Pradesh.

Will he inform us as to why there is such a discrepancy? One State, namely, Gujarat gets Rs. 583 crore and another State gets only Rs. 17 crore. This is most unfortunate. Will he reply to my question? … (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: This is happening with other States also. Kerala also got very less in this. … (*Interruptions*)

SHRI JAYANT SINHA : Madam Speaker, I would draw the attention of the hon. Member to Annexure – I, which is the Credit Guarantee Scheme. If you actually look at West Bengal in the Credit Guarantee Scheme, you will notice that West Bengal, in fact, is doing rather well when it comes to credit guarantee. In fact, in credit guarantee, out of Rs. 1 lakh crore of credit guarantees, Rs. 6,000 crore have gone to West Bengal and West Bengal, as far as this matrix, at least, is concerned, is doing quite well. … (*Interruptions*)

The capital scheme is a demand-driven scheme. It is based on what enterprises -- micro, small and medium enterprises -- actually ask for. … (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: What reply is this? … (*Interruptions*)

SHRI JAYANT SINHA : Hon. Member, I am explaining. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please let him complete the reply. This is not the way.

… (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE: Why is it so? … (*Interruptions*) Why is it that there is demand only from Gujarat and no other State? … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, nothing will go on record. Let him complete his reply first.

… (*Interruptions*)... *

SHRI JAYANT SINHA : It is a demand-driven scheme, and in a demand-driven scheme it is a bottom's-up process for requesting subsidies. … (*Interruptions*) Therefore, if these subsidies are being requested in these numbers from West Bengal and other States, then we naturally reflect it in the numbers. …

* Not recorded.

(*Interruptions*) We will, of course, be willing to work through SIDBI -- if the hon. Member wants -- to provide whatever assistance is required for West Bengal. … (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY: There is discrepancy in distributing money to the States. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please sit down. This is not the way.

… (*Interruptions*)

श्रीमती रीती पाठक: माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा एक छोटा सा सवाल है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों में क्रमश: कितना अधिकतम ऋण उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है और चूंकि मैं मध्य प्रदेश से आती हूं, इसलिए मैं पूछना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश में जिलावार कितने उद्यमियों को उनके उद्यम इकाइयों के लिए विगत वर्षो में और चालू वर्षो में ऋण उपलब्ध कराया गया है?

श्री जयंत सिन्हा : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने पहले कहा था कि प्रायोरिटी सैक्टर लैंडिंग में 7.5 प्रतिशत क्रैडिट एम.एस.सैक्टर को जाना है और कुल मिलाकर वह काफी बड़ी रकम हो जाती है। आज के समय में फाइनेंशियल सिस्टम में करीब 70 करोड़ पूरे क्रैडिट एडवांसेज हैं जिसमें से 7.5 प्रतिशत आज के समय में जा रहे हैं। फिर जो आपने कहा कि आपके राज्य में कितना ऋण गया है, अगर वह आप एनैक्सचर-एक और एनैक्सचर-दो में देख लें तो उसमें आपको दिख जाएगा कि मध्य प्रदेश के लिए आज के समय में अगर आप क्रैडिट गारंटी देखें तो 3731 करोड़ रुपया गया है और अगर आप सीएलसीएसएस देख लें जो कैपिटल लिंक सब्सिडी प्रोग्राम है, उसमें मध्य प्रदेश के लिए आज के समय में 21 करोड़ रुपया गया हुआ है।

(Q.84)

श्री रमेश चन्द्र कौशिक: माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा राज्य में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना- सी.जी.एच.एस. के अन्तर्गत क्या कोई नया चिकित्सा औषधालय खोलने की योजना है जबकि मेरा संसदीय क्षेत्र सोनीपत एन.सी.आर. में आता है और लाखों की संख्या में केन्द्रीय कर्मचारी और पेंशनर रहते हैं, जो केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना सीजीएच के लाभ से वंचित होने के कारण भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। अत: मेरी सरकार से मांग है कि तत्काल सी.जी.एच.एस. के अन्तर्गत एक नया औषधालय सोनीपत जिले में जी.टी.रोड पर तुरंत खोला जाए ताकि वहां के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिल सके जो काफी बड़ी संख्या में वहां रहते हैं।

श्री जगत प्रकाश नड्डा : माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक सी.जी.एच.एस. की डिस्पेंसरी खोलने का सवाल है, मैं हाउस को यह बताना चाहता हूं कि यह एक ऑन गोइंग प्रोसैस है और हम प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इसमें जोड़ सकें। एन.डी.ए. की सरकार के आने के पश्चात बहुत से ऐसे स्टेट कैपिटल्स या राज्य थे जहां वैलनैस सेंटर नहीं था। हम लोगों ने इस तरीके से 12 स्टेट केपिटल्स में में वेलनेस सेंटर नहीं था तो हम लोगों ने सबसे पहले प्रोइयोरिटी बेसिस पर इन स्टेट्स को लिया। रायपुर छत्तीसगढ़ में, शिमला हिमाचल प्रदेश में, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में, पणजी गोवा में, अगरतला त्रिपुरा में, इम्फाल मणिपुर में, आईजोल मिजोरम में, नगालैण्ड का कोहिमा में, सिक्किम का गैंगटोक में, गुजरात का गांधीनगर में और पुदुचेरी में, मध्य प्रदेश का इंदौर में और आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम में सीजीएचएस के वेलनस सेंटर को खोला है। इस तरीके से हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम वेलनस सेंटर को ज्यादा से ज्यादा डिमांड के हिसाब से और जितने हमारे रिसोर्सिज हैं, उसके हिसाब से जितना हम कर सकते हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। 274 एलोपैथिक डिसपेंसरीज, 85 आयुष डिसपेंसरीज और इम्पैनल्ड सेंटर्स, कुल-मिलाकर 949 एलोपैथिक और 165 डायग्नोस्टिक सेंटर्स हमारे पास हैं। हमारा प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़ सकें।

जहां तक हरियाणा का सवाल है गुड़गांव में दो डिस्पेंसरीज हैं और फरीदाबाद में एक डिसपेंसरी है। हमने इसको खोलने का प्रयास किया है। माननीय सदस्य का प्रश्न है कि जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के इम्पलॉइज होते हैं, वहां की डिमांड आती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम प्रयास कर रहे हैं कि

ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से कर सकेंगे, लेकिन इस सरकार का महत्वपूर्ण फैसला है कि हर प्रदेश की कैपिटल में तो वेलनस सेंटर हो, यह एक महत्वपूर्ण कदम है और यह ऑनगोइंग प्रोसैस में हैं।

श्री रमेश चन्द्र कौशिक: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सीजीएचएस आरोग्य केन्द्र की संख्या 274 है। लेकिन इनमें से एक भी हरियाणा में नहीं है। दूसरा, 12 नये शहरों में जो आरोग्य केन्द्र खोलने की बात है, उनमें भी हरियाणा का कहीं नाम नहीं है। इसके अलावा 558 अस्पताल हैं, जो सीजीएचएस से संबद्ध हैं, उनमें भी हरियाणा का नाम नहीं है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे हरियाणा के सोनीपत में भी खोलने की कोई कार्यवाही करेंगे।

श्री जगत प्रकाश नड्डा : मैंने पहले भी बताया कि गुड़गांव और फरीदाबाद में है और ज्यादातर यह दिल्ली-एनसीआर से कवर होता है, लेकिन हम माननीय सदस्य की मांग को ध्यान में रखेंगे।

श्री शेर सिंह गुबाया: महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पंजाब में सीजीएचएस की कितनी डिस्पेंसरी हैं? हमारे पंजाब में कैंसर से सबसे ज्यादा लोग पीड़ित हैं। मालवा क्षेत्र में एक ट्रेन ऐसी है जो कैंसर ट्रेन के नाम से जानी जाती है, जो राजस्थान जाती है। क्या सरकार कैंसर के रोग के लिए ऐसे कुछ सेंटर खोलने की कोई योजना है? क्या कैंसर के इलाज के लिए कोई बड़ा अस्पताल या डिस्पेंसरी खोलने के लिए सरकार कुछ कर रही है?

माननीय अध्यक्ष : यह प्रश्न सीजीएचएस से संबंधित है।

श्री जगत प्रकाश नड्डा : जहां तक वेलनस सेंटर और डिस्पेंसरी खोलने की बात है, चंडीगढ़ के 9 हॉस्पीटल्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, आई क्लीनिक्स 6 जुड़ी हुई हैं, डेंटल सेंटर दो हैं और 6 डाइग्नॉस्टिक सेंटर्स हैं। पंजाब के लिए चंडीगढ़ में यह व्यवस्था की गयी है। लेकिन इसके साथ-साथ हम लोग हर स्टेट में एक स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और टर्शरी कैंसर केयर सेंटर स्थापित कर रहे हैं, जिसमें पंजाब भी इनक्लूडेड है, वहां भी हम इसको करेंगे। साथ में हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पंजाब को दिया है। एक साल में ही इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से बहुत से कार्य हुए हैं और कैंसर टर्शरी केयर सैंटर में भी जुड़ा हुआ है और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में भी व्यवस्था की गई है और आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस में भी इसकी व्यवस्था की गई है।

श्री राजीव सातव : महोदया, महाराष्ट्र में जो मराठवाड़ा क्षेत्र है, उसमें एक भी सैंट्रल गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी नहीं है। मराठवाड़ा महाराष्ट्र का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्या मंत्री जी मराठवाड़ा में पर्टिकुर्लरी हिंगोली या नांदेड़ में डिस्पेंसरी खोलने पर विचार करेंगे?

12.00 hours

श्री जगत प्रकाश नड्डा : हमारा हमेशा विचार है और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर किया जाए। यह काम अभी हम प्राइयोरिटी के मुताबिक कर रहे हैं। When the State capitals did not have wellness centre, how could we think of the distant area? So, we are going in a phased manner and step by step. तो हम प्रयास जरूर करेंगे, Marathawada is a very important area and we will examine it accordingly.

12.01 hours

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now Papers to be Laid. Hon. Minister.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Madam, I beg to lay on the Table:

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Arogya Nidhi, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

[Placed in Library, See No. LT 3227/16/15]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Health Systems Resource Centre, New Delhi, for the year 2014-2015.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Health Systems Resource Centre, New Delhi, for the year 2014-2015, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Health Systems Resource Centre, New Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3228/16/15]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 38 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940:-

(i) The Drugs and Cosmetics (2nd Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 203(E) in Gazette of India dated 18th March, 2015.

(ii) The Drugs and Cosmetics (3rd Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 289(E) in Gazette of India dated 15th April, 2015.

(iii) The Drugs and Cosmetics (5th Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 611(E) in Gazette of India dated 31st July, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 3229/16/15]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA): Madam, I beg to lay on the Table:

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 27 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999:-

(i) The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Places of Business) Regulations, 2015 published in Notification No. F. No. IRDAI/Reg./9/99/2015 in Gazette of India dated 21st July, 2015.

(ii) The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Maintenance of Insurance Records) Regulations, 2015 published in Notification No. F. No. IRDAI/Reg./10/100/2015 in Gazette of India dated 20th August, 2015.

(iii) The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015 published in Notification No. F. No. IRDAI/Reg./12/102/2015 in Gazette of India dated 26th August, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 3230/16/15]

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 58 of the Reserve Bank of India Act, 1934:-

(i) The Reserve Bank of India General (Amendment) Regulations, 2013 published in Notification No. 42 in weekly Gazette of India dated 25th October, 2013.

(ii) The Reserve Bank of India General (Amendment) Regulations, 2014 published in Notification No. 42 in weekly Gazette of India dated 24th October, 2014.

[Placed in Library, See No. LT 3231/16/15]

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(4) A copy of the Life Insurance Corporation (Amendment) Rules, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 199 in weekly Gazette of India dated 24th May, 2014 under sub-section (3) of Section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956.

[Placed in Library, See No. LT 3232/16/15]

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (7) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975:-

(i) G.S.R.813(E) published in Gazette of India dated 28th October, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 108/2010-Customs, dated the 6th October, 2010.

(ii) G.S.R.825(E) published in Gazette of India dated 30th October, 2015, together with an explanatory memorandum together with an explanatory memorandum seeking to order provisional assessment of imports of Clear Float Glass of nominal thickness ranging from 4mm to 12mm (both inclusive), originating in, or exported from Pakistan, Saudi Arabia and UAE and exported by M/s Tariq Glass Industries Limited, Pakistan (exporter) till the finalization of New Shipper Review imitated by Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties.

(iii) G.S.R.591(E) published in Gazette of India dated 28th July, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of "Compact Fluorescent Lamps with or without ballast or control gear or choke, whether or not assembled, either in completely knocked down or semi knocked down condition" originating in, or exported from the People's Republic of China, for a period of five years from the date of imposition, that is, 28th July, 2015 pursuant to the final findings of sunset review investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(iv) G.S.R.609(E) published in Gazette of India dated 31st July, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to prescribe for finalization of provisional assessments of all imports of ceramic glazed tiles from M/s Gaoyao Marshal Ceramics Co. Ltd., China PR (producer) through M/s Foshan Dihai Trading Development Co. Ltd., China PR (exporter), which have been subjected to provisional assessment pursuant to the Notification No. 109/2011-Customs, dated 15th December, 2011. This finalization is consequent to final findings of new shipper review vide Notification No. 15/38/2010-DGAD dated 2nd June, 2015 by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties and is to be done as per the rate prescribed by the Notification No. 127/2009 –Customs dated 2nd December, 2009.

(v) G.S.R.610(E) published in Gazette of India dated 31st July, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to rescind Notification No. 109/2011-Customs, dated 15th December, 2011 prescribing provisional assessment in the matter of import of ceramic glazed tiles from China PR.

(vi) G.S.R.616(E) published in Gazette of India dated 6th August, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 76/2010-Customs, dated the 26th July, 2010.

(vii) G.S.R.617(E) published in Gazette of India dated 6th August, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of 'Vitamin C', originating in, or exported from the People's Republic of China for a period of five years, pursuant to the final findings in anti-dumping investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(viii) G.S.R.624(E) published in Gazette of India dated 12th August, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of 'Flax or Linen Fabric having flax content of more than 50%, originating in, or exported from the People's Republic of China and Hong Kong for a period of five years, pursuant to the final findings in anti-dumping investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(ix) G.S.R.625(E) published in Gazette of India dated 12th August, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to impose definitive anti-dumping duty on Potassium Carbonate originating in, or exported from Korea RP and Taiwan, pursuant to Final Findings in anti-dumping investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties for a period of five years.

(x) G.S.R.637(E) published in Gazette of India dated 17th August, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of 'Diketopyrrolo Pyrrole Pigment Red 254', originating in, or exported from the People's

Republic of China and Switzerland for a period of five years, pursuant to the final findings in anti-dumping investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(xi) G.S.R.640(E) published in Gazette of India dated 18th August, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to impose definitive anti-dumping duty on Caustic Soda originating in, or exported from the People's Republic of China and Korea RP, pursuant to Final Findings in anti-dumping investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties for a period of five years.

(xii) G.S.R.641(E) published in Gazette of India dated 18th August, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 82/2011-Customs, dated the 25th August, 2011.

(xiii) G.S.R.642(E) published in Gazette of India dated 18th August, 2015, together with an explanatory memorandum rescinding Notification No. 89/2009-Customs, dated 31st August, 2009.

(xiv) G.S.R.652(E) published in Gazette of India dated 24th August, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to impose definitive anti-dumping duty on Phosphoric Acid of all grades and all concentrations (excluding Agriculture or Fertilizer Grade) originating in, or exported from Korea RP, pursuant to Final Findings in anti-dumping investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties for a period of five years.

(xv) G.S.R.675(E) published in Gazette of India dated 4th November, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of "Acrylonitrile Butadiene

Rubber, originating in or exported from Korea RP", for a period of five years.

(xvi) G.S.R.687(E) published in Gazette of India dated 8th November, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of "Float Glass of thickness 2 mm to 12 mm (both inclusive) of clear as well as tinted variety (other than green glass) but not including reflective glass, processed glass meant for decorative, industrial or automotive purposes, originating in or exported from the Peoples' Republic of China", for a period of five years.

(xvii) G.S.R.694(E) published in Gazette of India dated 14th November, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to levy provisional safeguard duty on specified Hot-rolled flat products of non-alloy and other alloy Steel in coils of a width of 600 mm or more at the rate of 20% ad-valorem for a period of 200 days.

(xviii) G.S.R.801(E) published in Gazette of India dated 21st October, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of "Plain Medium Density Fibre Board of thickness 6 mm and above, originating in, or exported from, the Peoples' Republic of China, Malaysia, Thailand and Sri Lanka" for a period of five years.

(xix) G.S.R.802(E) published in Gazette of India dated 21st October, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to levy anti-dumping duty on imports of Front Axle Beam and Steering Knuckles meant for heavy and medium commercial vehicles, originating in, or exported from the People's Republic of China, for a further period of five years pursuant to the final findings in Sunset review investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(xx) G.S.R.803(E) published in Gazette of India dated 21st October, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of 'Hexamine', originating in, or exported from the People's Republic of China and UAE for a period of five years, pursuant to the final findings in anti-dumping investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied Duties.

(xxi) G.S.R.804(E) published in Gazette of India dated 21st October, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of' All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Draw Yarn/Flat Yam of Polyester (non-textured and non - POY)', originating in, or exported from the People's Republic of China and Thailand for a period of five years, pursuant to the final findings in anti-dumping investigations conducted by the Directorate. General of Anti-dumping and Allied Duties.

[Placed in Library, See No. LT 3233/16/15]

(6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of section 94 of the Finance Act, 1994:-

(i) G.S.R.799(E) published in Gazette of India dated 21st October, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 25/2015-Service Tax dated 20th June, 2015.

(ii) G.S.R.842(E) published in Gazette of India dated 6th November, 2015, together with an explanatory memorandum appointing the 15th day of November, 2015 as the date with effect from which the provisions of Chapter VI of the Finance Act, 2015 shall come into force.

(iii) G.S.R.843(E) published in Gazette of India dated 6th November, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to prescribe rate of 0.5% as the rate of Swachch Bharat cess on all taxable services and exempt from payment of such amount of the Swachch Bharat Cess, which is in excess of cess calculated at the rate of 0.5% of the value of taxable services.

(iv) G.S.R.853(E) published in Gazette of India dated 12th November, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 22/2015-Service Tax dated 6th November, 2015.

(v) G.S.R.854(E) published in Gazette of India dated 12th November, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to provide that provisions of Notification No. 30/2012-Service Tax dated 20th June, 2012, regarding reverse charge mechanism shall be applicable for the purposes of Swachch Bharat Cess.

(vi) The Service Tax (Second Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.855(E) in Gazette of India dated 12th November, 2015, together with an explanatory memorandum.

[Placed in Library, See No. LT 3234/16/15]

(7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of section 38 of the Central Excise Act, 1944:-

(i) G.S.R.791(E) published in Gazette of India dated 19th October, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012- Central Excise, dated 17th March, 2012.

(ii) The CENVAT Credit (Fifth Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.818(E) published in Gazette of India dated 29th October, 2015, together with an explanatory memorandum.

(iii) G.S.R.844(E) published in Gazette of India dated 6th November, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012- Central Excise, dated 17th March, 2012.

(iv) G.S.R.560(E) published in Gazette of India dated 17th July, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 30/2004- Central Excise, dated 9th July, 2004.

(v) G.S.R.561(E) published in Gazette of India dated 17th July, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 1/2011- Central Excise, dated 1st March, 2011.

(vi) G.S.R.562(E) published in Gazette of India dated 17th July, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012- Central Excise, dated 17th March, 2012.

(vii) G.S.R.571(E) published in Gazette of India dated 21st July, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 30/2004- Central Excise, dated 9th July, 2004.

(viii) G.S.R.572(E) published in Gazette of India dated 21st July, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 1/2011- Central Excise, dated 1st March, 2011.

(ix) G.S.R.573(E) published in Gazette of India dated 21st July, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012- Central Excise, dated 17th March, 2012.

(x) G.S.R.600(E) published in Gazette of India dated 30th July, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 30/2013- Central Excise, dated 29th November, 2013.

(xi) G.S.R.716(E) published in Gazette of India dated 17th September, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012- Central Excise, dated 17th March, 2012.

(xii) The CENVAT Credit (Fourth Amendment) Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R.764(E) published in Gazette of India dated 7th October, 2015, together with an explanatory memorandum.

[Placed in Library, See No. LT 3235/16/15]

(8) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962:-

(i) G.S.R.598(E) published in Gazette of India dated 30th July, 2015 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 49/2013-Cus., dated 29th November, 2013.

(ii) G.S.R.599(E) published in Gazette of India dated 30th July, 2015 together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 39/96-Cus., dated 23rd July, 1996.

(iii) G.S.R.613(E) published in Gazette of India dated 4th August, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Cus., dated 17th March, 2012.

(iv) G.S.R.716(E) published in Gazette of India dated 17th September, 2015, together with an explanatory memorandum making certain

amendments in the Notification No. 12/2012-Cus., dated 17th March, 2012.

(v) G.S.R.731(E) published in Gazette of India dated 22nd September, 2015, together with an explanatory memorandum seeking to withdraw basic customs duty exemption provided on HDPE for manufacture of telecom grade optical fibres or optical fibre cables.

(vi) G.S.R.748(E) published in Gazette of India dated 30th September, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Cus., dated 17th March, 2012.

(vii) G.S.R.756(E) published in Gazette of India dated 5th October, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Cus., dated 17th March, 2012.

(viii) G.S.R.788(E) published in Gazette of India dated 16th October, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 27/2011-Cus., dated 1st March, 2011.

(ix) G.S.R.790(E) published in Gazette of India dated 19th October, 2015, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Cus., dated 17th March, 2012.

[Placed in Library, See No. LT 3236/16/15]

(9) A copy of the Fiscal Responsibility and Budget Management (Second Amendment) Rules, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 829(E) in Gazette of India dated 2nd November, 2015 under Section 9 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003.

[Placed in Library, See No. LT 3237/16/15]

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Economic Growth, Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Economic Growth, Delhi, for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 3238/16/15]

12.02 hours

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKING

8th Report

श्री शान्ता कुमार (कांगड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, 'केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के चुनिंदा उपव्रङ्कमों में कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व' विषय पर सरकारी उपव्रङ्कमों संबंधी समिति (16वीं लोक सभा) का 8वाँ प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

12.03 hours

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): With your permission Madam, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 7th of December, 2015, will consist of:-

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order paper.

2. Consideration and passing of the following Bills: -
   (a) The Indian Trusts (Amendment) Bill, 2015;
   (b) The Payment of Bonus (Amendment) Bill, 2015;
   (c) The Industries (Development and Regulation) Amendment Bill, 2015.

3. Discussion and Voting on:-
   (a) Supplementary Demands for Grants (General) for 2015-16 (Second Batch)
   (b) Demands for Excess Grants (General) for 2012-13.

4. Consideration and passing of the Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013, after it is passed by Rajya Sabha.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए :-

1. मेरे संसदीय क्षेत्र नालन्दा अंतर्गत प्रत्येक किसानों के खेतों की सिंचाई हेतु 500 फीट की गहराई से पानी के लिए ट्यूबेल लगाने हेतु सब्सिउ की व्यवस्था कराई जाए। 99 प्रतिशत सब्सिडी की व्यवस्था कराई जाए, जिससे किसानों में खुशहाली हो सके।
2. देश में प्रत्येक वृद्ध, महिला, मजदूर-किसान, जिसकी आयु 60 साल से अधिक हो, उसके लिए पेंशन में बीपीएल श्रेणी की सीमा जो बांधी गई है, उसे समाप्त किया जाए। उनके लिए पेंशन की व्यवस्था कराई जाए, जिससे कि देश के सभी लोग आत्मनिर्भर हो सकें और भुखमरी का सामना नहीं करना पड़े।

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में, महाराष्ट्र में अकाल की स्थिति, विशेषकर मराठवाड़ा और विदर्भ में जो अकाल की स्थिति है, पर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : प्रो. रवीन्द्र गायकवाड़ - उपस्थित नहीं।

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): Madam, I want the following item to be included in the next week's Business:

Discussion on Mechanism for Appointment of Supreme Court and High Court Judges to increase transparency in the appointment of judges and ensure the will of the people and the supremacy of Parliament in the sphere of Legislation.

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : माननीय अध्यक्ष महोदया, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में मेरे निम्नलिखित दो विषयों को सम्मिलित किया जाए।

1. भारत के सभी संसदीय क्षेत्रों को सुचारू रूप से विकसित करने के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सांसद निधि (एमपीलैड्स) में राशि बढ़ाने के संबंध में।
2. मेरे संसदीय क्षेत्र सासाराम (बिहार) के कैमूर जिलान्तर्गत मोहनियां प्रखण्ड में मरीजों के इलाज हेतु कैन्सर सेन्टर स्थापित करने के संबंध में।

SHRI MULLAPPALLY RAMCHANDRAN (VADAKARA): Madam Speaker, I request you to include the following subjects in the agenda for next week's business in the Lok Sabha:

1. Deep crisis faced by more than 10 lakh rubber farmers in view of steep fall in the price of natural rubber.
2. Alarming situation arising out of abnormal level of pollution in Delhi.

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नांकित विषयों को सम्मिलित किया जाए:

1. राजस्थान की राजधानी जयपुर एवं उसके पश्चात् जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा शहर जोधपुर है। इन दोनां प्रमुख शहरों के बीच जो रेलवे लाइन जयपुर-फुलेरा-डेगाना-मेड़ता रोड-जोधपुर है, उसका दोहरीकरण एवं विद्युतिकरण होना अति आवश्यक है। अतः मेरा विनम्र निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे को सम्मिलित किया जाए।
2. पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर जिलों में खरीफ फसल वर्ष 2015 में 60 प्रतिशत से अधिक खराब होने के बावजूद अकालग्रस्त जिलों में उसका नाम नहीं है। अतः इस महत्वपूर्ण विषय को भी चर्चा में सम्मिलित कराने का अनुरोध करता हूं।

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Madam Speaker, I would request you to include the following matters in the next week's agenda:

1. The Centre-State relations as envisaged under the Constitution of India have to be protected in financial, administrative and judicial matters so as to ensure cooperative federalism. The impact of international treaties without Parliament's assent has to be reviewed.
2. Even after 31 years of Bhopal gas tragedy, thousands of people are suffering from the hazardous chemical side effects while it is also reported that organ samples of victims of the 1984 tragedy have mysteriously gone missing from Madhya Pradesh Medico Legal Institute which were crucial evidences against UCI.

HON. SPEAKER: Only subject matter, that is all.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam Speaker, I move that the following items be included in the list of Government business for the week commencing on 7th December 2015:

1. There is a tremendous shortage of raw jute in the country production being below the requirement of 100 lakh metric tonnes. This is aggravated by Bangladesh having stopped export of raw jute. There is immediate need for de-hoarding operation by Jute Commissioner's Office. Otherwise, jute mills will close down throwing two and a half lakh workers out of employment.

HON. SPEAKER: Only subject matter you have to mention. It should not be that lengthy.

PROF. SAUGATA ROY: This is very short. Whatever is written, I am reading.

2. The situation on the Indo-Nepal border is serious and tense due to the ongoing agitation by Madhesis and Tharus protesting against the new Nepal Constitution which discriminates against them. There has been a blockade by them for 110 days leading to shortage of fuel, food and medicines in Nepal. This is leading to anti-India propaganda which is false. The Government of India must intervene diplomatically to normalize the situation.

मैडम, इस विषय पर एक चर्चा होनी चाहिए, राज्य सभा में इस विषय पर चर्चा हुई है। आज नेपाल की स्थिति बहुत खराब है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैठ जाइए।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदया, मेरा निवेदन है कि निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए:

1. डॉ.भीमराव अम्बेडकर जी के 125वीं जन्म जयन्ती पर अनुसूचित जाति, जनजाति बस्तियों में केंद्रीय विद्यालय तर्ज पर अम्बेडकर विद्यालयों की स्थापना की जाए।
2. भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरार जी देसाई जी के समाधि स्थल अभयघाट, अहमदाबाद की सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करके, उसका चहुंमुखी विकास किया जाए।

12.09 hours

ELECTION TO COMMITTEE

Central Advisory Committee for the National Cadet Corps

HON. SPEAKER: Item No. 6. Shri Rao Inderjit Singh.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (RAO INDERJIT SINGH): Madam, on behalf of Shri Manohar Parrikar, I beg to move:

> "That in pursuance of section 12(1)(i) of the National Cadet Corps Act, 1948, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Central Advisory Committee for the National Cadet Corps, subject to the other provisions of the said Act."

HON. SPEAKER: The question is:

> "That in pursuance of section 12(1)(i) of the National Cadet Corps Act, 1948, the Members of this House do proceed to elect in such manner as the Speaker may direct, two Members from amongst themselves to serve as Members of the Central Advisory Committee for the National Cadet Corps, subject to the other provisions of the said Act. "

The motion was adopted.

———

12.11 hours

OBSERVATION BY THE SPEAKER

HON. SPEAKER: Hon. Members, it has been observed that during 'Zero Hour' many Members give notices of matters which fall within the jurisdiction of the State Legislatures. In the Scheme of things provided under the Constitution, no matter which is under exclusive jurisdiction of a State Legislature can be raised in Parliament.

Therefore, I request all of you not to raise matters which are under jurisdiction of State Legislatures in the House. मुझे बार-बार यहां से कहना न पड़े कि यह स्टेट मैटर है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसका आप लोग ध्यान रखें।

———————

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): Madam, please allow us to raise the important matter of one-rank-one-pension.… (*Interruptions*) Madam, it is a very important matter. Please allow us to raise an important matter.… (*Interruptions*)

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Thank you Madam, for letting me to raise an important issue regarding the life of the farmers in my constituency.

Madam, the small Indian Cardamom farmers are facing acute crisis due to the fall of its market price. Earlier the Cardamom was under the Cardamom Board which has now been abolished and it is now under the jurisdiction of the Spices Board. The Spices Board is being entrusted with the development of Cardamom in my constituency. But, unfortunately, the Spices Board is now shifting the entire office from Idukki. Madam, 90 per cent of the Cardamom is being grown in Idukki district. All the field officers are being shifted to some other parts of the nation where no Cardamom is being grown there and because of this the developmental activities are not being carried out. The Price of the Cardamom is being coming down. Earlier we were getting Rs.1800 per Kg. for Cardamom but now we are getting only Rs.500 per Kg. This is much below the production cost of the Cardamom. At least Rs.750 should be the price of the Cardamom so as to meet the production cost. We are not getting that much money. Almost Rs.3500 crore is being lost to the farmers of my constituency because of this sudden fall in the Cardamom price.

I, therefore, urge upon the Government to intervene in the matter by taking steps to retain the responsibility of marketing the Cardamom with the Kochi office of the Spices Board and also announce Minimum Support Price 50 per cent above the cost of production thereby save the interest and the lives of the poor Cardamom farmers in my constituency. Thank you, Madam.

HON. SPEAKER: Shri P.K. Biju is permitted to associate with the issue raised by Adv. Joice George.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, it is believed that the Vigilance and Monitoring Committee, under the Ministry of Rural Development, Central Government, was set up with an aim of supervising the expenditure related to the rural development in each district. I hail from a district named Murshidabad which is represented by three MPs. In the year 2012, the post of the Chairman of the Vigilance and Monitoring Committee of my district was held by none other than hon. Rashtrapati Ji, Shri Pranab Mukherjee. Once he was elevated to the Rashtrapati Bhavan, the Vigilance and Monitoring Committee stopped meeting till date. In spite of my persuasion to the District Collector and to the State Government not even a single Committee meeting has been held in my district Murshidabad. Now, already three years have elapsed without a single Vigilance and Monitoring Committee meeting. I have written scores of letters to the District Collector but the DC has got the temerity of not even replying my letter. I do not know how the District Collectors in Bengal dare so much. I believe at the behest of the ruling regime in Bengal the District Collectors has the temerity to do this. The only offence that I have committed is that I belong to the Opposition Party in West Bengal. So, I need the intervention of the Central Government into this issue. I think, it is a privilege that has been infringed upon by the District Collector at the behest of the ruling regime in my State.

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): अध्यक्ष महोदया , मेरे संसदीय क्षेत्र भागलपुर को स्मार्ट सिटी योजना में सम्मिलिति किया गया है। भागलपुर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तथा सिल्क नगरी के नाम से भी मशहूर है। लेकिन वर्तमान में जो शहर की स्थिति है, वह पूरी तरह जाम से भयाक्रांत है, जिसके चलते व्यावसायिक गतिविधियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। भागलपुर शहर में बाहर से आने वाले वाहनों के चलते अंदर का यातायात पूरी तरह से चरमरा जाता है। बिहार से होकर अन्य राज्यों झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम आदि जाने वाले वाहन भागलपुर शहर के अंदर से होते हुए जाते हैं, जिसके चलते भी बहुत परेशानियां होती हैं। भागलपुर राष्ट्रीय गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अगर नाथनगर से पिरपैंती तक गंगा नदी के किनारे-किनारे मुम्बई के मरीन ड्राइव की तर्ज पर सड़क का निर्माण करा दिया जाए तो भागलपुर

शहर के अंदर की यातायात की समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हो जायेगी तथा यह सड़क भविष्य में स्मार्ट सिटी के यातायात के दृष्टिकोण से भी उपयोगी सिद्ध होगी।

महोदया, मेरा कहना यह है कि अगर स्मार्ट सिटी के अंदर उस सड़क को ले लेते हैं, अगर उस तरह का दिशा-निर्देश दे दिया जाता है तो निश्चय ही भागलपुर जो सिल्क नगरी के नाम से मशहूर है, निश्चित रूप से उसके देश के एक बहुत बड़े उद्योग केन्द्र के रूप में विकसित होने की संभावना है। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री निशिकान्त दुबे, श्री जयप्रकाश नारायण यादव एवं श्री कौशलेन्द्र कुमार को श्री शैलेश कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, जो कि अंतरराज्यीय जल वितरण समझौते को लेकर है। 31 दिसम्बर, 1981 में हुए अंतरराज्यीय समझौते के अनुसार राजस्थान राज्य का रावी ब्यास के अधिक्य जल में 52.69 प्रतिशत हिस्सा है। प्राय: यह विवाद बना रहता है कि सहभागी राज्यों द्वारा प्रतिवर्ष पीने के पानी व सिंचाई के पानी की कमी झेल रहे राजस्थान प्रदेश को आवंटित जल में कटौती की जाती रही है।

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के क्लॉज 79 (2) के तहत भारत सरकार द्वारा पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति की जाती है। अध्यक्ष बीबीएमबी आरंभ से ही सदस्य राज्यों से न होकर एक अन्य राज्य से नियुक्त किये जाते रहे हैं। इसके अतिरिक्त सदस्य (ऊर्जा) की नियुक्ति पंजाब तथा सदस्य (सिंचाई) की नियुक्ति हरियाणा से की जाती रही है। राजस्थान के अधिकारी को बीबीएमबी में सदस्य पद पर नियुक्त करने से हमेशा इनकार किया जाता रहा है। सदस्यों को केवल पंजाब व हरियाणा राज्य से नियुक्त किये जाने का प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी किया जाता रहा है, जिसके कारण राजस्थान हमेशा से अपने हक को खो देता है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन मंडल (बीबीएमबी) में राजस्थान राज्य से पूर्णकालीन सदस्य व सचिव की नियुक्ति का मामला भारत सरकार में लम्बित है। वर्ष 1986 में हुई बीबीएमबी बोर्ड़ की 122वीं बैठक में भी यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक सहभागी राज्य का प्रतिनिधित्व हो। इस प्रकरण पर राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री द्वारा 10 से अधिक बार अनुरोध किया जा चुका है। इसी तर्ज पर भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड में ब्यास परियोजना न भाखड़ा कांप्लैक्स के पदों में भी राजस्थान के प्रतिनिधित्व की कमी है, जिसके लिए भी भारत सरकार से अनुरोध किया जा चुका है।

अत: मेरा आपके माध्यम से संबंधित मंत्रालयों से और उनके मंत्रियों से विशेष अनुरोध है कि राजस्थान राज्य को उसका हक दिलाने हेतु उचित कार्रवाई करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : डा.किरिट पी.सोलंकी, श्री देवजी.एम.पटेल, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, डा.मनोज राजोरिया, श्री सी.पी.जोशी एवं श्री सी.आर. चौधरी को श्री पी.पी.चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का जो समय दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय दूरसंचार मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र झंझारपुर बिहार में राजनगर प्रखंड जिला - मधुबनी के रांटी ग्राम में वर्ष 2003 में आकाशवाणी केंद्र (एफएम) की स्थापना के लिए भारत सरकार के तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद जी कि द्वारा नींव रखी गई थी। लेकिन उसके बाद आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। चूंकि मधुबनी जिला मिथिलांचल का मध्य जिला माना जाता है। यहां पर पर अगर आकाशवाणी केंद्र (एफएम) की स्थापना कर दी जाती है, तो वहां के लोगों में एक नया उत्साह पैदा हो जाएगा। साथ ही इस पिछड़े जिले के लोगों को घर-घर तक सूचनाएं पहुँचाने की काम करेगी तथा मिथिलांचल को इस से एक वरदान साबित होगा।

अतः आपके माध्यम से माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि यथाशीघ्र जाँच करा कर मथिलांचल के मधुबनी रांटी में आकाशवाणी केंद्र (एफएम) की स्थापना करने की कृपा करें।

HON. SPEAKER: Ms. Mehbooba Mufti – not present.

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Madam, I would like to draw the attention of the Government with regard to the request of the State of Kerala for a special financial assistance to the victims of endosulfan in the State of Kerala, especially in the district of Kasargod.

Madam, with your permission, I have been raising this issue on various occasions. Due to the continuous use of endosulfan for 25 years in the cashew plantation, there were adverse effects on human lives and environment. About 600 people have died in various times and 10,000 people are taking treatment for it. The Government of Kerala has done a lot of work in this regard but it is not possible for the State Government alone to tackle this serious issue.

It is very serious that even after 25 years, young children, two to three years old children, are suffering from cancer, TB and other diseases. Such is the magnitude and seriousness of this deadly pesticide that has been used there.

Of course, the Government of Kerala has taken a lot of efforts. I have raised this issue many times. It is not only that the Central Government has written a letter for a financial assistance of Rs. 475 crore to the State but these victims have also to be taken into the main stream and it is possible only by all means. Many NGOs and other agencies are taking their share of action. I do agree with it but at the same time, the Central Government has to take this issue seriously and sanction this financial assistance in the interest of the State Government of Kerala.

माननीय अध्यक्ष : श्री के.सी. वेणुगोपाल, श्री पी.के.बिजू, श्री राजीव सातव को श्री पी.करुणाकरन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): अध्यक्ष महोदया, मेरे लोक सभा क्षेत्र के जिला अंबेडकर नगर के आलापुर तहसील में गोविंद साहब का एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थाल है, जहां पर हर साल बहुत बड़ा मेला लगता, जिसमें देश भर के हजारों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन उनके रहने की समुचित व्यवस्था तथा अन्य संसाधनों की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेले में श्रद्धालुओं द्वारा लाखों रूपये का चढ़ावा भी आता है जो कि सरकारी खजाने में जमा होता है। लेकिन उसमें से इस स्थान के संरक्षण और विकास के लिए एक रूपया भी खर्च नहीं किया जाता है। इस कारण उस क्षेत्र के लोगों की भावनाएं काफी आहत हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से सराकार से तत्काल चाहूंगा कि उस स्थल के विकास पर ध्यान दें और कम से कम वहां से हो रही आय को स्थान के विकास में लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, तथा इसे भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट पर भी डाला जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री केशव प्रसाद मौर्य,श्री चन्द्र प्रकाश जोशी एवं कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री शरद त्रिपाठी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : अध्यक्ष महोदया, आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में एक भी कैंसर सेंटर नहीं है, जिसके आभाव में कैंसर के मरीजों का इलाज तत्काल नहीं पाता है, इलाज के आभाव में मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

ज्ञातव्य हो कि मेरे क्षेत्र में अधिकतम अतिपिछड़ा, एवं गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों की बहुलता है। जिला रोहतास एवं केमूर के पहाड़ी तथा सुदूर क्षेत्र जहां अति पिछड़ा, आदवासी एवं गरीब वर्ग के लोग बाहर दवा कराने में आर्थिक असमर्थता के कारण इलाज के आभाव में दम तोड़ा देते हैं।

महोदया, बिहार झारखण्ड के बंटवारे के बाद यदि सबसे ज्यादा आदिवासियों की संख्या है, तो वह हमरे संसदीय क्षेत्र में है और सबसे ज्यादा कैंसर से पीड़ित आदिवासी हैं। सरकार का भी विशेष ध्यान है कि हर जगह कैंसर सेंटर खोले जाएं।

अतः आपसे विशेष आग्रह है कि कैंसर मरीजों के इलाज हेतु शीघ्र कैमूर जिले के प्रखण्ड-मोहनियॉ में कैंसर सेंटर स्थापित करने हेतु सदन के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देशित करने की कृपा की जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री रवीन्द्र कुमार जेना को श्री छेदी पासवान द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : महोदया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने एक बहुत ही गम्भीर मुद्दे को उठाने का मुझे मौका दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जम्मू-कश्मीर की तरफ ले जाना चाहता हूँ और खास तौर पर जम्मू से लेकर पुंछ तक हमारे जितने भी जिले हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या है और ये सीमावर्ती क्षेत्र के साथ लगते हुए जिले हैं। यहाँ पर रेल की सुविधा नहीं है। रेल लाइन बिछाने का सर्वे काफी समय पहले से हुआ पड़ा है, लेकिन अभी तक यहाँ रेल लाइन बिछाने का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

महोदया, मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्रालय और सरकार से यह प्रार्थना है कि ये जो चार जिले हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र के साथ लगते हैं, यहाँ रेल लाइन बिछाने का काम जल्द प्रारम्भ किया जाए ताकि यहाँ पर लोगों को आने-जाने की सुविधा मिले। इसके साथ ही बॉर्डर एरिया में आर्मी की एक्टिविटीज रहती हैं, उनका यहाँ आना-जाना रहता है, इससे आर्मी को भी सुविधा होगी और बाकी जितनी भी सुविधाएं हैं, वे वहाँ के लोगों को मिल सकें, यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Shri Chandra Prakash Joshi are allowed to associate with the matter raised by Shri Jugal Kishore.

KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): Madam Speaker, I seek your permission to speak from this seat.

HON. SPEAKER: All right.

KUMARI SUSHMITA DEV: Madam Speaker, today I would like to raise a very burning issue that is affecting my district, Cachar and the Barak Valley region which are in Assam. Cachar and Barak Valley, as a region, has national highways that connect us to Manipur, Mizoram, Tripura and Meghalaya. To go from Silchar

to my own Capital, I have to go through Meghalaya. In this light, I have seen that the Government of India has set up the National Highway Infrastructure Development Company.

I would request the Government of India to first of all make it functional because till today there are no engineers there. Secondly, if an office can be set up in any of the districts in Cachar, I believe all these States will gain. Just to give an example, today the Highway from Silchar *via* Karimganj to Churaibari which takes us to Agartala is in very bad condition. I have heard that the Government of India is planning to rectify it. I would request them to expedite that.

Today, the Highway to Guwahati is in a dismal condition till Malidore. I would request that the Gamon Bridge be rebuilt. Most importantly, it is our dream to see that Silchar is connected to Saurashtra, which was sanctioned during Vajpayee's time. Later it was brought to Silchar Constituency, which is my Constituency during the UPA Government.

Environmental clearances are a big issue with this project. Very briefly I would like to say that there are 24 hectares within Borail Wild Life Sanctuary; 59 hectares of unclassed State forests; and 12 hectares in Dima Hasao District. I appreciate that the Supreme Court has a say. So, it is not entirely upon the Government of India to do it. जितना जल्दी हम ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस कर सकते हैं, मैं मानती हूँ कि यह प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत लाभदायक रहेगा। मैं गड़करी जी से मिली थी, and he has assured me that he will help us with the alternative highway, which will go through Harangjao and Turuk through Guwahati.

I would request the Government, on behalf of the people of Barak Valley, to grant that highway. Thank you.

HON. SPEAKER: Shri Radheyshyam Biswas, Shri Bhairon Prasad Mishra and Shri Rajeev Satav are allowed to associate with the matter raised by Kumari Sushmita Dev.

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): महोदया, मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र करौली-धौलपुर, राजस्थान की ब्रॉडबैंड और इंटरनेट से सम्बन्धित सेवाओं की कमी के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जो भी सरकार की योजनाए हैं, वे प्रत्येक ग्राम पंचायत तक पहुँचें। जो प्रधानमंत्री जी ने अच्छी योजनाएं शुरू की हैं, चाहे वह डीबीटीएल योजना हो या अन्य योजनाए हों, जो उनका पारदर्शिता का सपना है, डायरेक्ट बेनीफिट आम आदमी को देने का जो सपना है, उन सबको निभाने में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की बहुत बड़ी भूमिका है। दुर्भाग्य का विषय है कि मेरे संसदीय क्षेत्र करौली-धौलपुर में ब्रॉडबैंड और इंटरनेट तो बहुत दूर का सपना है, सामान्य जो मोबाइल सुविधा है और जो लैंडलाइन फोन की सुविधा है, उसमें भी बीएसएनएल द्वारा बहुत लापरवाही बरती जा रही है। आज बी.एस.एन.एल. के जो मूल एक्सचेन्ज थे, उनको भी बी.एस.एन.एल. के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उखाड़ा जा रहा है और इंटरनेट की सुविधा तो छोड़ो, मोबाइल टावर्स की संख्या भी वहाँ इतनी कम है कि बी.एस.एन.एल. के जो लोग हैं, उन्होंने अपनी सर्विसेज़ बी.एस.एन.एल. से छोड़ दी है और मजबूरी में उनको प्राइवेट कंपनियों में जाना पड़ रहा है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है कि ऐसे अधिकारी जो सरकारी सेवाओं को ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप मांग कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा टावर्स लगें।

डॉ. मनोज राजोरिया : जी हाँ। ऐसे अधिकारियों को निर्देशित करें कि मेरे संसदीय क्षेत्र में बी.एस.एन.एल. के टावर्स अधिक से अधिक संख्या में लगाएँ जिससे कि क्षेत्र के लोगों को बी.एस.एन.एल. की सुविधाएँ मिल सकें और मोबाइल की कॉल ड्राप बंद हो सकें।

माननीय अध्यक्ष : श्री चन्द्र प्रकाश जोशी एवं कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. मनोज राजोरिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे लोक महत्व के इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

महोदया, मैं बुंदेलखंड के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से जो रिवरसैंड, मोरंग और ग्रिट जो सड़क और भवन निर्माण के उपयोग में आती है, लगभग आधे उत्तर प्रदेश की सड़कों का निर्माण हमारे यहाँ के खनिज पदार्थों से होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में नदी के किनारे और पहाड़ों के नज़दीक का जितना क्षेत्र है, वहां की सड़कें जर्जर हैं। बुज़ुर्ग लोग अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं। विद्यार्थी विद्यालय पहुंचने में असमर्थ हैं, यात्री बेहाल हैं। मार्ग दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।

माननीय अध्यक्ष : वे सड़कें केन्द्र सरकार की तो नहीं हैं, वे नेशनल हाईवेज़ तो नहीं हैं।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि केन्द्र सरकार इसमें कुछ हस्तक्षेप करके ऐसा इंतज़ाम करे कि जिस जनपद से हज़ारों करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो रहा है, वह राजस्व वहाँ क्यों नहीं लग रहा है। छात्र विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं और मरीज़ अस्पताल नहीं पहुँच पा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि दिल्ली क्षेत्र हमारे भारत की राजधानी भी है। आपने कई बार बीच में टीवी पर देखा होगा कि नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को वेतन न मिलने की वजह से हड़तालें हुईं और दिल्ली की सड़कों पर कचरे का अंबार लगाया गया। उस पीड़ा को कहीं न कहीं राज्य सरकारों द्वारा महसूस नहीं किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली एक केन्द्र शासित प्रदेश है। इसलिए मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 2012 में केन्द्र सकार द्वारा निर्णय लिया गया, जब यूपीए की गवर्नमैंट थी, कांग्रेस की गवर्नमैंट थी और राज्य में भी कांग्रेस की गवर्नमैंट थी। उस समय एक से तीन नगर निगम अलग किए गए। उस समय यह आशंका भी जताई गई थी कि इसमें राजस्व का वितरण अगर सही नहीं हुआ तो कई क्षेत्रों में विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा। उस वक्त मैं राजनीति में तो नहीं था, लेकिन पता नहीं उस निर्णय को उस गवर्नमैंट ने अपने किस लाभ से लिया या क्या हुआ, पर आज हालात इतने गंभीर हैं कि मैं उन सफाई कर्मचारियों के घरों में जाकर उनसे मिला हूँ। दीवाली जैसे त्योहारों में दीवाली नहीं मनाई गई, छः-आठ महीने से उनको वेतन तक नहीं मिला और जब राज्य सरकार को कहा गया कि इस नगर निगम को वह धन आबंटित किया जाए जिसका उनको हक है, तो राज्य सरकार के मुख्य मंत्री द्वारा यह कहा गया कि आप पी.एम. मोदी से मांग लो क्योंकि वहाँ आपकी ही पार्टी की सरकार है। यह एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे उत्तर मिलने के बाद सफाई कर्मचारियों को वेतन न मिलने की वजह से कचरे का अंबार लग रहा है। उनको जल्द से जल्द वेतन मिले, नगर निगमों को उनका आबंटित धन मिले, ताकि दिल्ली का क्षेत्र स्वच्छ रहे और स्वच्छ भारत की जो संकल्पना हमारे प्रधान मंत्री जी की है, वह हम बहुत अच्छे से पूर्ण कर पाएं। मैं आपका इस ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.पी.चौधरी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी एवं कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री महेश गिरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

MOHAMMED FAIZAL (LAKSHADWEEP): Thank you very much, Madam Speaker, for giving me this opportunity. I am going to raise a very important issue pertaining to my constituency, Lakshadweep.

Madam, you may be aware that the total quantity of rice supplied under PDS to Lakshadweep is 4620 MT and that allocation is based on the 2001 census. Now, we have cleared the 2011 census. We have covered even four years. In spite of that, not even a single quantity of enhancement has been given to Lakshadweep. You know that Lakshadweep is fully dependent on the PDS because there is no other private rice seller of paddy grower because Lakshadweep is geographically very much isolated.

This being the situation, on the 1st August, 2015, Lakshadweep administration had implemented the National Food Security Act (NFSA) covering 33 per cent of the population. This 33 per cent which is covered by the NFSA is from the existing allocation, that is, 4,620 MT. Now, the issue is because of the less allocation. Madam, 4 kg. of rice has been reduced from the tide over quantity which is called the APL quantity. There is a huge crisis over Lakshadweep for the rice.

Lakshadweep is peculiarly having a combined family system. Unlike in other places where they have micro system, we have the macro system. In one ration card, there will be 10 to 15 persons. Hence, reducing 4 kg. in the APL quantity is creating problem. Madam, 4 kg. in the APL quantity is around 50 to 60 kg. of rice, which has been reduced by implementing NFSA. I have a say on the NFSA coverage.

When the Government of India is covering 90 percentage under the NFSA, that is, Rs. 3 per kg. of rice in the North Eastern States, Lakshadweep also face a similar situation. As I stated earlier, Lakshadweep is a geographically isolated area where 100 per cent population is the Scheduled Tribes. There is no scope for growing any paddy or anything. I am sure, other States will have the issue

regarding the NFSA. I know that the House would join me on this issue. I want your support, Madam, on this.

There are two options with the Government of India. Once the NFSA is implemented in a place, then, there is no subsidized rice supplied to the tied over quantity. The only available facility as of now is the Open Market Supply at economic rate which cost Rs.35 per kg. The financial status of Lakshadweep people is very less. You know that the entire population is categorized as the Scheduled Tribes. Not even a single person is capable of buying rice at Rs.35 per kg. I have raised this issue in the House several times. I had met Shri Ram Vilas Paswan, and I wrote to him several times; and requesting him to take Lakshadweep as a special case. You will not believe, Madam, that I had personally met the hon. Prime Minister with my Party President, Shri Sharad Pawar to consider Lakshadweep as a special case.

We do not want 1,000 or 2,000 MT per month. I am just asking for 100 MT a month which is just a sweeping of quantity from our godowns. Our godowns are having plenty of stocks as of now. I think only because of the restriction, we are not in a position to give. Either the Government should come out with a solution to amend that Bill. Till such time, I urge upon the Government that the tide over quantity may be enhanced to 140 MT per month or to resume the supply of subsidy which will at least satisfy the people because of the critical condition in Lakshadweep, which is laying very far away.

I have to raise the issue before you only. Madam, you have to take it very seriously to inform the Government, at least, Shri Paswan to give at least 140 MT of rice per months as APL quantity. Thank you very much, Madam.

HON. SPEAKER: Shri Rajeev Satav is allowed to associate with the issue raised by Shri Mohammed Faizal.

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मैं मध्य प्रदेश के सतना लोक सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। यह

पर्यटन एवं औद्योगिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण जिला है। लंबा समय बीत गया, लेकिन मेरे जिले को केन्द्रीय सड़क निधि से कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई गई।

मेरा प्रस्ताव है, नंबर एक - गाजन-छिबौरा रोड से मझियार, कंदवा, बकिया, गोलहटा, टिकुरी, लौलाछ, खाम्हा, भटिगवां, ढ़ोंढ़ी, किचवरिया, इटौर, मैनपुरा, अकौरा, टिकरी, खम्हरिया से गोरईया तक।

नंबर दो - रामपुर बाघेलान से तपा, बगहाई, बैरिहा, झांझर, करमऊ, रघुनाथपुर, रामनगर, मझियार, बरती, गढ़वा कला, खोहर, रेहुटा तक।

नंबर तीन- अमरपाटन रामनगर रोड से गोरसरी से जिगना।

नम्बर चार, सज्जनपुर से छिवौरा, गाजन रोड का निर्माण कराया जाये।

उक्त चारों सड़कों का केन्द्रीय निधि से निर्माण कराया जाये, साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 75 जो सतना शहर से होकर निकलती है, किन्तु अत्यधिक खराब है उसके पुनर्निर्माण तथा रेलवे पर जो ओवर ब्रिज बना है, वह अत्यंत जर्जर हो गया है, उसके पुनर्निर्माण के साथ-साथ सोहावल मोड़ से मरौहा तक सड़क के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है, उसकी स्वीकृति दी जाये। साथ ही दो राज्य मध्य प्रदेश एवं उत्तर पद्रेश को जोड़ने वाली सड़क सतना, सेमरिया, सिरमौर, जवा, सूती, पटहट, शंकरगढ़, इलाहाबाद रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाये।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्ष 2004 में रिजर्वेशन बिल इनैक्ट करने के लिए राजसभा में पेश किया गया था, वह वर्ष 2009 में पास भी हुआ। उसमें कुछ त्रुटियां आईं, जब उसका अपोज हुआ तो the Bill was withdrawn with the condition that the Bill will be re-introduced. However, that could not be re-introduced. यूपीए का दूसरा सेशन आया, उस टेन्योर में भी यह नहीं हुआ, अभी वह बिल है। रिजर्वेशन एक्ट यह है कि हम अलग से कोई एडीशनल रिजर्वेशन की पावर या राइट्स नहीं मांग रहे हैं, बल्कि reservation, so far, has been regulated by executive orders. जो एक्जीक्युटिव ऑर्डर से हुए हैं, उनमें अनॉमलिज बहुत थीं तो एक कम्प्रिहेन्सिव लॉ बन जाना चाहिए, अगर ऐसा हुआ होता तो गुजरात हाई कोर्ट के माननीय * यह नहीं कहते कि रिजर्वेशन और करप्शन दो चीजें देश के लिए हिंडरैंस पैदा कर रही हैं। जजेज ऐसा कहने लगे हैं *

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : नाम लेकर, उनके संबंध में आप नहीं कहें।

…(व्यवधान)

डॉ. उदित राज : मैं सारी पार्टियों से उम्मीद करता हूं कि इम्पीच किया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : जजेज के नाम से ऐसा न कहें।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात सदन में रखें।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The judge's name will not go on record.

… (*Interruptions*)... *

डॉ. उदित राज : Reservation is being compared with corruption. यह कोलेजियम सिस्टम की देन है।

माननीय अध्यक्ष : कुछ भी हो।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप कहां से कहां जा रहे हैं। आप अपनी बात सदन में रखें।

डॉ. उदित राज : मैडम, हाउस ने जो पास किया है, नेशनल जुडिशियल अप्वाइंटमेंट कमीशन उसको कोलेजियम में खारिज किया। There is a third house in this country which is unelected and which is annulling the laws made by this Parliament. यह इस देश में चल रहा है। इसके कारण आज उत्तर प्रदेश में लाखों कर्मचारी डिमोट हो रहे हैं। कोलेजियम सिस्टम ने ऐसे जजेज को प्रोड्युस किया है, ...(व्यवधान) इसलिए मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि ऐसे जजेज के खिलाफ में इम्पीचमेंट लाया जाना चाहिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, आपका यह नोटिस नहीं था।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. यशवंत सिंह, और कुमारी शोभा कारान्दलाजे को डॉ. उदित राज द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

---

* Not recorded.

डॉ. नैपाल सिंह (रामपुर) : अध्यक्ष महोदया, देश में धान उत्पन्न करने वाले राज्यों में किसानों को धान का लाभकारी मूल्य नहीं मिलने के कारण किसान आर्थिक रूप से टूट गये हैं। धान की लागत अधिक आती है लेकिन धान का मूल्य किसानों को लागत के बराबर भी नहीं मिला है। यहां तक कि सरकार जो किसानों की फसलों का मूल्य निर्धारण करती है, वह भी किसानों को नहीं मिल पाया है। प्रारंभ में, धान 1150 रुपये और 1250 रुपये प्रति क्वींटल बिक चुका है। अभी किसान पुरानी प्राक्रृतिक आपदा की भरपाई नहीं कर पाये थे कि धान की कीमत कम होने के कारण वे और ज्यादा टूट गये हैं। अब समय आ गया है कि केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से संपर्क करके किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना चाहिए। किसान बहुत रोष में हैं और इस दिशा में सोचने लगे हैं कि जब उद्योगपतियों को अपने उत्पाद का खुद लाभकारी मूल्य निर्धारण करने का अधिकार है तो किसानों को यह अधिकार क्यों नहीं है? किसानों को उनकी फसल का मूल्य निर्धारण करने में बिचौलियों के हाथ में शोषण के लिए छोड़ दिया जाता है। वे अपने अनुसार प्रतिदिन मूल्य का निर्धारण करते हैं। साथ ही, वे किसानों से सस्ते मूल्य पर उनके उत्पादों को खरीद कर जमाखोरों को फायदा पहुंचाते हैं।

अध्यक्ष महोदया, अब समय है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से वार्ता कर किसानों के आर्थिक शोषण पर अंकुश लगाये और आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारों से मिलकर किसानों पर हो रहे शोषण को रोकने के लिए कोई नयी नीति बनाये।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री देवजी एम. पटेल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री राजीव सातव और कुमारी शोभा कारान्दलाजे को डॉ. उदित राज द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : मान्यवर, आज आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर हुई है। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका अधिकार से नम्बर आया है।

...(व्यवधान)

डॉ. भोला सिंह : बिहार संभावनाओं का राज्य है। विडम्बनाएं कदम-कदम पर इन्हें परेशान करती रही हैं। इसकी मिट्टी, इसकी जलवायु एवं मानवीय शक्ति तथा प्रकृति की भंगिमाओं ने इसके इन्द्रधनुषी स्वरूप का निर्माण किया है। असंख्य नदियां गंगा का हजारों किलोमीटर इसकी धरा को पखारना बूढ़ी गंडक, कोसी अधवारा समूह की नदियां इसका शाश्वत जलाभिषेक करती रहती हैं। पर राजनीति के दंश ने इसे लहूलुहान करके रखा है। यह बीमारू राज्य के रूप में आज भी कलंकित स्वरूप लिए हुए है। यह इसकी आकृति नहीं बल्कि राजनीति की दी हुई है।

बिहार सर्व धर्म सम्भाव प्रजातंत्र की जन्म भूमि एवं कई विराट प्रतिभाओं की जननी है। पर ये आज प्रति वर्ष भीषण बाढ़ और सुखाड़ से प्रताड़ित है। उत्तर बिहार में जहां प्रति वर्ष बाढ़ से करोड़ों की क्षति होती है वहीं दक्षिण बिहार प्रति वर्ष भयानक सुखाड़ का हिस्सा रहा है। राजनीति प्रति वर्ष अथवा प्रति पांच वर्ष में इसी बाढ़ और सुखाड़ को चुनाव का मुद्दा बना कर इसे अंगूठा दिखाती रही है। कोसी शोक नदी के रूप में आज भी इसके रग-रग को तोड़ती रही है। गंगा अपने कटाव और बाढ़ से इसे परेशान करके रखा है। अन्य नदियां भी अपनी उग्रता प्रति वर्ष प्रदर्शित करती रही हैं। ऐसी अवस्था में बिहार के प्राण केन्द्र के हाथ में गिरवी के रूप में पड़े हुए हैं। कोसी नेपाल से आती है। नेपाल की सरहद पर डैम बनाने की आवश्यकता है। उससे सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है। केन्द्र सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। आज भी पूर्व की स्थिति बनी हुई है। दक्षिण बिहार की नदियां बरसात में कहर ढाती हैं, चैत बैसाख में सूख जाती हैं।...(व्यवधान) अटल नदियों को जोड़ने की योजना के माध्यम से दक्षिण बिहार को धन्य-धान्य से भरा जा सकता था। वह भी निष्प्राण पड़ा हुआ है। अत: सरकार को सदन के माध्यम से आग्रह करते हैं कि बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए नेपाल में डैम बनाया जाए। उत्तर बिहार की नदियों को दक्षिण बिहार की नदियों से जोड़ दिया जाए। यदि ऐसा हुआ तो बिहार राष्ट्रीय सम्पदा का उच्चतम हिस्सा दे सकेगा। मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल श्री राजेश रंजन और श्रीमती रंजीत रंजन को डा. भोला सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं एक बहुत ही अहम मुद्दा उठा रहा हूं। जैसलमेर जिला है, उसमें रामगढ़-डांडेवाला गांव है जो पाकिस्तान के बार्डर पर सिमटा हुआ है। वहां आज से करीब 30-40 साल पहले गैस की डिस्कवरी हुई हुई थी। 20 साल पहले वहां कई कुएं खुदे थे लेकिन पता नहीं उन कुओं का कमर्शियल यूज नहीं किया गया। वहां 9 नवम्बर को बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसकी वजह से पूरे जैसलमेर जिले में त्राहि-त्राहि मच गई। वहां 35 किलोमीटर के रेडियस में कोई आबादी नहीं थी, वह बार्डर पर है। उसकी वजह से जान-माल का नुकसान नहीं हुआ। बाद में ओएनजीसी के लोग वहां आए, गुजरात की जीटीसी कम्पनी के करीब सौ साइंटिस्ट आए। उन्होंने वहां कंट्रोल कर लिया। मेरे कहने का मतलब है कि एक तरफ हमारा रिवैन्यू लूज़ हो रहा है। हिन्दुस्तान में गैस की कमी है। वहां वॉयबिलिटी है, उसका कमर्शियल यूज करना चाहिए। वहां पुराने कुएं हैं। लीकेज, विस्फोट का कारण है कि रख-रखाव नहीं था, पाइप पुराने थे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप पैट्रोलियम मंत्रालय को कहें कि गैस की कमी है तो उसका एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, वहां उसे यूज करना चाहिए। पुरानी गैस की जो लीकेज हो रही है, वह रिपेयर होनी चाहिए ताकि आगे से इस तरह न हो।

उस बार्डर से आगे सुई गैस करके पाकिस्तान का फील्ड है। वहां बहुत गैस पैदा हो रही है। वहां भी जैसलमेर बहुत बैकवर्ड जिला है। वहां गैस का प्लांट बनाकर या गैस का यूज होना चाहिए। यह मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.पी. चौधरी, श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा और श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को कर्नल सोनाराम चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख): अध्यक्ष महोदया, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला बालामऊ रेलवे स्टेशन से सीतापुर के मध्य चलने वाली पैसेंजर रेलगाड़ी संख्या 54321 व 54322 को निरस्त कर दिया गया है। उपरोक्त गाड़ी को निरस्त कर देने के कारण बालामऊ से सीतापुर के मध्य यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस ट्रेन से यात्रा करने वाले ऐसे स्टुडेंट्स भी हैं जो रोज इस ट्रेन से यात्रा करते थे, उनको बहुत दिक्कत आ रही है, वे लोग धरने देने जा रहे हैं। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आप जल्द से जल्द इस ट्रेन को पुनः शुरू कराएं।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष जी, जातीय जनगणना की रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, किस जाति की क्या आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति है इसके लिए बार-बार सदन में

आग्रह किया गया है लेकिन अभी तक रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया गया है, कौन भीख मांगने वाला है, कौन कच्चे मकान में रहते हैं, फ्रोर्थ ग्रेड की नौकरी कौन करता है, दिहाड़ी मजदूरी कौन करता है, कौन शोषण का शिकार हो रहा है, उनकी संख्या क्या है। यहां गृह राज्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, जातीय जनगणना की रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाए, इसमें विलंब न किया जाए, इसमें आनाकानी न किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री राजीव सातव को श्री जय प्रकाश नारायण यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, मैं 124 करोड़ की जनता की समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। पूरे देश में सबसे अत्यधिक परेशानी टॉल टैक्स को लेकर है, कुछ दिन पूर्व ट्रक एसोसिएशन ने ट्रक हड़ताल किया था, उसमें माननीय मंत्री गडकरी साहब से वार्ता भी हुई थी, वर्तमान सरकार इसे लेकर गंभीर चिंता प्रकट की है। टॉल टैक्स के मालिकों देश की आर्थिक व्यवस्था को हानि पहुंचाई जा रही है, उसकी चोरी हो रही है। पूरे देश में इससे ट्रक मालिक शोषित हो रहे हैं इसके साथ साथ आम आदमी का वक्त बर्बाद होता है, महिलाएं, बच्चे और बीमार आदमी परेशान होता है। आप इस संवेदनशील मुद्दे पर गंभीर है। जब 14,000 करोड़ रुपये टॉल टैक्स से भारत सरकार को आता है, ट्रक एसोसिएशन का कहना है कि हम 15,000 करोड़ रुपये टॉल टैक्स देने को तैयार हैं। इस देश में टॉल टैक्स को भारत सरकार समाप्त करें जिससे आम आदमी को परेशानी से निजात मिले।

माननीय अध्यक्ष : श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री राजीव सातव, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय और श्री दुष्यंत चौटाला को श्री राजेश रंजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री भगवंत मान (संगरूर): मैडम, सोशल मीडिया देश में लोकतंत्र का पांचवें स्तंभ के रूप में सामने आ रहा है। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर सरकार का दबाव बढ़ जाता है तो सोशल मीडिया ही सत्य को बताने का एकमात्र माध्यम रह जाता है। पिछले दिनों पर सोशल मीडिया पर जो एक्टिवस्ट है उस पर पुलिस का अत्याचार की खबरें आ रही हैं। कुछ विदेशों में जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनके परिजनों को थानों में बुलाकर जलील किया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकारों को झूठे केस में जेल में डाला जा रहा है। मैं इन्फॉर्मेशन और ब्रोडकास्टिंग मिनिस्ट्री से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मीडिया इमर्जेसी जो लग गई है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 66 ए धारा के तहत फेसबुक पर बोलने को क्राइम नहीं माना जाना चाहिए।

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): मेरे लोक सभा क्षेत्र में सिरोही जिला है, जहां फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है और अरावली पर्वत से घिरा हुआ है। वहां पानी की बहुत किल्लत है जिस वजह से पूरे जिले को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। एक स्कीम 1200 करोड़ रुपये की बनी थी, दूसरी स्कीम जो 200 करोड़ की है। पिछली बार आपने सालगांव का विजिट भी किया था। वहां पानी बहुत रहता है, इस वजह से हमारे पूरे जिले को पानी की समस्या से निजात मिल सकती है। सालगांव डैम और बत्तीशा नाल्लाह बन जाए तो सिरोही जिले को पानी की किल्लत नहीं रहेगी। यह कहा जाता है कि जल ही जीवन है, अगर जल बचाना है तो वहीं इसे रोकना पड़ेगा और इसी जल से हमारे जिले की समस्या दूर हो सकती है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि सिरोही जिले के लिए विशेष पैकेज दिया जाए ताकि बत्तीशा नाल्लाह का निर्माण हो। सालगांव डैम का काम वन विभाग की प्रक्रिया में रुका है, मेरी मांग है कि इसे भी जल्द क्लियर किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.पी. चौधरी को श्री देवजी एम. पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

दीपेन्द्र हुड्डा जी, एक मिनट में अपनी बात कहिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

माननीय अध्यक्ष : तब भी एक मिनट में बोलिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : माननीय अध्यक्ष जी, यह देश के भूतपूर्व सैनिकों और सैन्य बलों से जुड़ा हुआ मुद्दा है इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए तो सही, इसी में आधा मिनट चला जाएगा।

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA: Madam, I would like to express my gratitude for letting me to raise a very important matter concerning the issue of One Rank One Pension for the ex-servicemen. This issue has dominated the national headlines for many years now. This agitation had intensified especially after the Sixth Pay Commission, that is, after 2006.

Madam, this is a non-political issue. The proof of that lies in the fact that in 2011 when the UPA Government decided to address this issue, the Petition Committee which was constituted under the Chairmanship of Shri Bhagat Singh Koshyari ji from BJP, who was the Rajya Sabha Member of Parliament at that

time to look into this issue. Madam, Shri Koshyari ji is the Member of Lok Sabha now.

According to the Koshyari Committee definition, on 17th February, 2014, this House unanimously – that is why, Madam, I need your indulgence – accepted and approved One Rank One Pension for the ex-servicemen. Then, the new Government came into being and for some reason for one year, nothing moved on that front.

Then, the ex-servicemen started another agitation in May 2015 and this agitation is still going on for six months. इसके दबाव में काफी उम्मीद थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी लालकिले से घोषणा करेंगे लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंततः 17 नवंबर को 'वन रैंक, वन पेंशन' का नोटिफिकेशन आया। इसमें दो खामियां हैं जिससे आज भी एक्स सर्विसमैन आंदोलित हैं क्योंकि अभी तक वन रैंक वन पेंशन नहीं मली है। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें दो मुख्य खामियां अभी भी छोड़ी गई हैं, पार्लियामेंट ने 17 फरवरी, 2014 को इसे पास किया था, यूपीए ने पास नहीं किया था, सदन ने पास किया था।उसकी परिभाषा बदल कर, कोशियारी कमेटी की डेफिनेशन बदल कर...

माननीय अध्यक्ष : आप डिमांड बालिए। लंबा भाषण मत कीजिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: मैडम, पहली बात, पांच साल के रिव्यु का प्रावधान किया गया है।

HON. SPEAKER: I am sorry. You cannot make a lengthy speech.

… (*Interruptions*)

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA: Madam, this is not 'One Rank One Pension'. That is what the ex-servicemen are saying. They say that this is 'One Rank Five Pensions'. पांच साल का नहीं हर साल का रिव्यु होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: दूसरी बात, प्री मेच्योर रिटायरीज़ के लिए वन रैंक वन पेंशन का रास्ता बंद कर दिया गया है। यह देश के सेनाओं के लिए बहुत घातक बात है।

माननीय अध्यक्ष : अब मत बोलिए।

श्रीमती रमा देवी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी डिमांड रिकार्ड में नहीं जाएगी।

…(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आपको बात समय में कहनी नहीं आती है।

…(व्यवधान)

12.57 hours

(At this stage, Shri Deepender Singh Hooda came and stood on the floor near the Table.)

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record except what Shrimati Rama Devi says.

… (*Interruptions*)*

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी जगह पर जाइए। यह क्या हो रहा है?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए।

…(व्यवधान)

12.57 ½ hours

(At this stage, Shri Deepender Singh Hooda went back to his seat.)

माननीय अध्यक्ष : जब समय दिया तब आपने डिमांड नहीं रखी। यह तो कोई तरीका नहीं है।

…(व्यवधान)

* Not recorded.

12.58 hours

(At this stage, Shri Deepender Singh Hooda came and stood on the floor near the Table.)

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत बेलसंड प्रखंड नगर पंचायत में केंद्र सरकार की जेएनएनयूआरएम योजना के तहत 1487 गरीब लोग का घर बनाने का लक्ष्य था। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दीपेन्द्र जी, मैंने आपको एक मिनट में बोलने के लिए कहा था।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

... (*Interruptions*)... *

12.59 hours

(At this stage, Shri Deepender Singh Hooda went back to his seat.)

माननीय अध्यक्ष : रमा देवी जी, आप बोलिए।

श्रीमती रमा देवी : माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए भारत सरकार की तरफ से बिहार सरकार को 20 करोड़ 87 लाख रुपए का पूरा केंद्रीय अंश जारी भी किया जा चुका है। मुझे बहुत दुख के साथ आपके माध्यम से सरकार को सूचित करना पड़ रहा है कि भारी अनियमितता के कारण जिस उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया था, उसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है।...(व्यवधान) बेलसंड नगर पंचायत में उपरोक्त जेएनएनयूआरएम योजना में इतनी अनियमितत बढ़ती जा रही है कि जो गरीब लोग इसके असली हकदार हैं, उनका तो घर नहीं बना लेकिन बिचौलियों की कृपा से गैर जरूरतमंद लोगों का घर जरूर बन रहा है। ...(व्यवधान) मुझे जानकारी मिली है कि प्रत्येक घर पर बिचौलियों के माध्यम से नगर पंचायत के अधिकारी 20,000 से 50,000 रुपए तक उगाही कर रहे हैं। इस स्कीम की सामान्य प्रक्रिया यह थी कि लाभान्वितों को चिह्नित कर उनके एकाउंट बैंक में खाता खोला जाए तथा उसके बाद नगर पंचायत से उनके एकाउंट में आरटीजीएस कर दिया जाए।

* Not recorded.

13.00 hours

SHRI NINONG ERING (ARUNACHAL EAST): Hon. Madam Speaker, I would like to bring to your notice a very sensitive issue in regard to my State of Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh is among the Special Category State; and we are very grateful to the NITI Aayog that once again they have allowed the 90:10 Centre-State sharing… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Mr. Hooda, you must understand how to speak.

… (*Interruptions*)

SHRI NINONG ERING : Madam, Pasighat has been selected among the 98 Smart Cities. What I would like to bring to your notice is that because of the pressure of China, the financial institutions like ADB, World Bank and JICA, are not financing on this issue. Hence similar to that of the NITI Aayog, we would request the Government that they should also take up the Smart City of Pasighat in the 90:10 ratio so that, at least, we can show to the people of North-East and specially from Arunachal Pradesh that Arunachal Pradesh is an integral part of India and special attention is very much necessary and the Act East Policy should be implemented on this issue. Thank you.

13.01 hours

(At this stage, Shri Deepender Singh Hooda came and stood on the floor near the Table.)

HON. SPEAKER: Now, Shrimati Krishna Raj. Conclude within a minute and not more than that.

… (*Interruptions*)

13.02 hours

(At this stage, Shri Deepender Singh Hooda went back to his seat.)

… (*Interruptions*)

श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहाँपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं...(व्यवधान) जिस तरह से हमारी भारत सरकार पूरे देश में हरियाली भरे रास्ते का एहसास कराती है और हरित क्रान्ति

लाकर पूरे देश में...(व्यवधान) सड़कों को, यात्रा को सुखद बनाने का एक अच्छा प्रयास कर रही है। वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिल्ली और लखनऊ की दूरी तय करने वाला हमारा राष्ट्रीय 24 मार्ग वर्ष 2011 में स्वीकृत हुआ था लेकिन आज भी उसी गति से चल रहा है। ...(व्यवधान) इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उसकी गति जो दिल्ली और लखनऊ को जोड़ती है जिसमें हमारा बरेली से लखनऊ का जो रास्ता है, वह बहुत ही कष्टदायी है और जो 156 कि.मी. का रास्ता है, वह एकतरफा ध्वस्त पड़ा हुआ है जिसके कारण से आम जन-जीवन अस्त-व्यस्त है।...(व्यवधान)

दूसरे, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इस सड़क पर पिछले एक वर्ष में 350 हादसे हुए हैं और 227 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरा आपसे निवेदन है कंपनी जो भी कार्य कर रही है, उस पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए, कार्य को प्रगति की ओर ले जाने के लिए सरकार को निर्देर्शित करें। यह मेरी आपसे विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैंरो प्रसाद मिश्र एवं श्री केशव प्रसाद मौर्य को श्रीमती कृष्णा राज द्वारा उठाये गये विषय के साथ सम्बद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

हुड्डा जी, आप सब लोग भी समझ लीजिए। मैंने पहले ही बोला था कि ज़ीरो ऑवर में जो डिमांड है, वह एक मिनट में रखनी है, लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं देना है। दीपेन्द्र जी, आप यंग हैं, अभी आपको बहुत जिंदगी में आगे जाना है, आपको इस बात को समझना चाहिए। ये तरीके ठीक नहीं हैं। बिना आपके नोटिस के होते हुए मैंने आपको एलाउ किया। अब जो भी डिमांड है, उसको बोलते जाओ और बैठ जाओ।

...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: मैडम, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात को पूरा करने का मौका दिया है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: You put your demand only.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Do you want to speak or not?

... (*Interruptions*)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : मैडम, दूसरी बात यह है कि अभी जो वन रैंक वन पेंशन का नोटिफिकेशन आया है, इसमें प्री- मैच्योर रिटायरीज को वन रैंक वन पेंशन...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिए नहीं तो आपका यह समय भी जाएगा।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : मैडम, ऐसे बोलने का क्या तरीका है?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : तो मत बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : ये एक्स-सर्विसमैन के लिए इश्यूज उठा रहे हैं।...(व्यवधान) मैडम, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं।...(व्यवधान) ये बीजेपी के सांसद क्या हमें एक्स-सर्विसमैन की बात नहीं उठाने देंगे?...(व्यवधान) मैडम, किसी को नहीं रोका गया। सबने अपनी बात रखी है।...(व्यवधान) मैडम, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप डिमांड तो रखिए कि आप क्या कहना चाहते हैं? आप बोलते जाइए नहीं तो यह समय भी समाप्त हो जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: मैडम, एक नोटिफिकेशन में प्री-मैच्योर रिटायरीज का मामला रखा गया। ...(व्यवधान) प्री-मैच्योर रिटायरीज का मतलब यह है कि जो रियाटरी लेगा, उनको वन रैंक वन पेंशन नहीं मिलेगी।...(व्यवधान) हमारे देश की जो कैबिनेट है, ...(व्यवधान) उसी ने यह एक फैसला लिया है कि 3.1 प्रतिशत लोगों को...(व्यवधान) मैडम, मैं वॉक-आउट करता हूं।

13.04 hours

(At this stage, Shri Deepender Singh Hooda left the House.)

HON. SPEAKER: You just do not know how to make a demand.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री राजव सातव को श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा उठाये गये विषय के साथ सम्बद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने लॉटरी से 20 और लोगों को फ्राइडे होने के नाते समय दिया और सबको एक एक मिनट के लिए समय दिया लेकिन मैं समझता हूं कि ...(व्यवधान) देश के 90 प्रतिशत गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के लिए जहां एक तरफ सदन चिंता कर रहा है कि आज भी देश के गन्ना किसानों का मूल्य बाकी है और उत्तर प्रदेश में 4000 करोड़ रुपया बाकी है।...(व्यवधान) दूसरी तरफ विडम्बना है कि चीनी मिलें भी नहीं चलाई जा रही हैं। आज बस्ती की चीनी मिलों को लेकर वहां के किसान आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं।...(व्यवधान) पांच लोगों की हालत खराब हो गई। फोर्स्ड फीडिंग आमरण अनशन पर कराई गई। आज गंभीर संकट पैदा हो गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि आज बस्ती चीनी मिल या खलीलाबाद

चीनी मिल बंद पड़ी है। पूर्वान्चल की देवरिया भट्टी चीनी मिल को चलाने के संबंध में सरकार राज्य सरकार को निर्देशित करें कि आवश्यक प्रभावी कदम उठाए जिससे कैश क्रॉप जो गन्ना है, उससे किसानों की जिंदगी, उनकी बेटी की पढ़ाई, बीमार बाप का इलाज और कम से कम लोगों की शिक्षा का काम हो सके। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री केशव प्रसाद मौय और श्री शरद त्रिपाठी को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री शेर सिंह गुबाया (फ़िरोज़पुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान उन किसानों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिन्हें देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। आज हालात इस तरह के हो गए हैं कि वह रीढ़ की हड्डी ही टूट रही है। किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य नहीं मिलता है। मैं अपने क्षेत्र की बात आपको बताना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में 11, 21 की पैडी और कीनू की फसल होती है। पिछली बार 11, 21 की पैडी चार हजार रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी थी। इस बार किसानों से 1600 रुपए के हिसाब से पैडी ले ली गई लेकिन आज उस पैडी का रेट 2600 से 2800 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। किसानों को 800 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से घाटा पड़ रहा है और वे मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं।

महोदया, मैं आपकी तरफ से सरकार से मांग करता हूं कि उन किसानों को 1600 रुपए और 2800 रुपए प्रति क्विंटल के बीच के नार्मल रेट के मुताबिक मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा कीनू की फसल के बारे में कहना चाहता हूं। एबोर-फाल्का एरिया से कीनू आता है। कीनू पांच रुपए किलो मंडी में बिक रहा है। सरकार की तरफ से मार्केट में उसका रेट फिक्स होना चाहिए।

महोदया, कॉटन की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है। एक एकड़ में से एक क्विंटल कॉटन भी नहीं मिली है।

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Hon. Speaker Madam, in our country, the research scholars are very less among the working people compared to other countries. If we compare it with the other countries, India has four researchers for 10000 working people. Even Kenya and Chile which are smaller than our country have six and seven researchers respectively. India's publications generate very less on an average than other science focused nations.

Our country has very less scientists because Indian born researchers go abroad for better prospects and a very few foreign scientists settle in India. In our

country, there are only two lakh full time researchers with 14 per cent of them being women. The problem is that a lot of talented people who has interest in science are doing their engineering and then jumping to study management courses. The Government should come forward to attract and retain talented young people as scientific researchers. In India, the problem was of infrastructure. We have built good infrastructure but there is an overall lack of environment for good research. ISRO, IISc and IITs are doing very well but this is pushing researchers to go out of India to other nations for better prospects.

Madam, as per the latest statistics, our country is registering very less number of applications. The research institutes are still lagging behind other nations. A domestic and foreign patent filed per one million population in India is at 17 compared to 4451 in South Korea and 3716 in Japan.

Madam, I request the Government should identify the talented research scientific people so that we reach the target compared to other nations in the world.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Through you, Madam, I would like to invite the kind attention of hon. Railway Minister to the concern regarding Railways' decision of shifting the Chief Administrative Office from Kochi to Allahabad. The development works related to the Railway in Kerala have dealt a severe blow with the shifting of the Chief Administrative Office from Kochi to Allahabad. The move follows a confidential report sent to the Railway Board suggesting that the office in Chennai could monitor the development works in Kerala and save the money spent on Kochi counterpart. This was not the first time the lobby had tried to weaken the Chief Administrative Office which has put Railway development in Kerala on fast track.

The Chief Administrative Office in Kochi was started in 2012 resulting in a huge leap in development in Kerala. The office was set up in Kochi to coordinate activities in Kerala which had long lagged in the development of Railway infrastructure. The office in the rank of Additional General Manager had a clear brief. The idea was to do away with the need of sending each file to the Southern

Railway headquarters in Chennai for permission. The office was granted to Kerala in return for its demand for a peninsular zone after the formation of the Salem Division that split Palakkad.

It should be noted that of the Rs. 360 crore granted to Kerala in 2011-12 Budget, only Rs. 163.56 crore was utilized. However, Rs. 400.12 crore was spent in 2014-15 though the budgetary allocation was only Rs.357.55 crore. Madam, I am concluding.

The Chief Administrative Office and the Chief Engineer's Office differ in power. The CE only signs contracts below Rs.3 crore. Though there were only three big contracts signed per year before the setting up of the Chief Administrative Office, 40 big contracts per year on an average were signed after that. The office did a commendable job in untangling red tapes and talking things over with other offices, including that of the Chief Minister. With the shifting of the CE, development work has been derailed. Though Kerala received Rs.530 crore in 2015-16, only Rs.170 crore has been spent halfway into the financial year. A lobby is working to stop the money for development in Kerala because unutilized fund eventually goes to other States. Madam, I am concluding.

Therefore, I am requesting the hon. Minister, through you Madam, to stop this initiative. We should retain the CE Office in Cochin itself. Otherwise it will create problems for Kerala. The entire railway development will be in trouble. Therefore, we are requesting the Minister to stop this initiative.

HON. SPEAKER: Shri P. Karunakaran, Dr. A. Sampath, Shri Mullappally Ramchandran and Shri M.I. Shanavas are permitted to associate with the issue raised by Shri K.C. Venugopal.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र बांदा एवं चित्रकूट से गुजरने वाली झांसी-मानिकपुर रेल लाइन का दोहरीकरण न होने से आम लोगों व यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आए दिन इस व्यस्त रूट पर घंटों ट्रेनें लेट होती हैं। यह सबसे पुरानी रेल लाइनों में से एक

है। इस हेतु पूर्व में भी कई बार माननीय रेल मंत्री जी को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

अस्तु, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी व सरकार से अनुरोध है कि झांसी-मानिकपुर रेल खण्ड व बांदा-कानपुर रेल खण्ड की लाइनों का दोहरीकरण व विद्युतीकरण यथाशीघ्र कराकर इस गंभीर समस्या का समाधान कराने की कृपा करें।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : माननीय अध्यक्ष महोदया, दिनांक 18.8.2015 को शून्यकाल के दौरान घटवार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का मुद्दा उठाया गया था। इस संबंध में मुझे सरकार द्वारा अक्तूबर, 2015 में जवाब भी प्राप्त हुआ, जो जनहित की बजाए सरकारी जवाब था, जो पूर्व से एक सरकारी संस्कृति के रूप में प्रचलित है परंतु वर्तमान सरकार एक लोक-कल्याणकारी सरकार के स्वरूप में है, जो कार्य में विश्वास करती है।

उत्तर में बताया गया है कि जब तक यह समुदाय अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यताप्राप्त थे ये औचित्य के आधार पर बाहर किये गये हैं, उन्हें मान्यताप्राप्त किये जाएंगे। इस कार्य हेतु टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। परंतु टास्क फोर्स की रिपोर्ट शीघ्र प्रकाशित नहीं करने के कारण उन्हें न्याय मिलने में विलम्ब हो रहा है। आपसे आग्रह है कि झारखण्ड के घटवार जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु मेरे द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर, अवलोकन करके शीघ्र न्याय दिलाने का काम करें।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से राजस्थान और हरियाणा के एक अहम विषय को माननीय ऊर्जा मंत्री तक पहुंचाना चाहता हूँ।

कल तारांकित प्रश्न संख्या 61 के उत्तर में उन्होंने मेरा नाम लेकर जवाब दिया कि ढांणियों में बिजली पहुंचाना सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वर्ष हरियाणा प्रदेश के लिए 316 करोड़ रुपये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए दिये गये हैं। जब कि अकेले इस योजना के तहत हिसार जिले का बजट 192 करोड़ रुपये का है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष : आपको पूछना नहीं है, अपनी बात रखनी है।

श्री दुष्यंत चौटाला : जो 316 करोड़ रुपये का बजट है, उसमें केवल हिसार के लिए 192 करोड़ रुपये का प्रावधान है ताकि हर घर तक बिजली पहुंचाने की जो सोच सरकार की है, उसे वह पूरा कर पाए।

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आज भी किसानों के संबंध में पहला प्रश्न किया गया था और यहाँ पर भी बहुत-से माननीय सदस्यों ने किसानों के संबंध में अपनी बात रखी है।

मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि किसानों की बढ़ती हुई आत्महत्या के बारे में अभी तक औसत लगाया जाए, कृषि राज्य मंत्री मेरे बगल में बैठे हैं, मैं उनसे आंकड़े ले रहा था, तो पता चला कि अभी तक तीन लाख किसानों ने देश में आत्महत्या की है। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करना ही चाहिए। कृषि को एक उद्योग का दर्जा देना चाहिए और उसके लिए अलग से बजट में प्रावधान करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : कृषि मंत्रालय पर यह लम्बा भाषण हो जाएगा।

श्री नाना पटोले : इस देश में कृषि मंत्रालय का अलग से बजट बनना चाहिए तभी हम देश में किसानों की आत्महत्या को रोक सकेंगे। यही मांग मैं आपके सामने रखता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : सर्व श्री भैरों प्रसाद मिश्र, पी.पी. चौधरी, गजेन्द्र सिंह शेखावत तथा कुमारी शोभा कारान्दलाजे, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री नाना पटोले द्वारा उठाये गये विषय से संबंध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI ANTO ANTONY(PATHANAMTHITTA) : Madam, the water level in Mullaperiyar dam has reached 141 feet height. Cracks and leaks are detected and the water is flowing on.… (*Interruptions*) The dam is situated in an earthquake area.… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : अभी कुछ हो नहीं रहा है।

…(व्यवधान)

SHRI ANTO ANTONY: If anything worst happens, it will affect 35 lakh lives of our people.

Our Chief Minister has unequivocally stated that the water is for Tamil Nadu and safety for Kerala. So, there is the necessity for a new dam. The intervention of the State Government is required. … (*Interruptions*) We are looking at the demands of Tamil Nadu very positively.… (*Interruptions*) We are ready to give water to Tamil Nadu. …. (*Interruptions*) We only need the safety. It

will affect the life of 35 lakh people in our State. … (*Interruptions*) That is our demand. Madam, we need your intervention in this regard. Thank you.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: It is OK. He has only demanded it. Nothing has been done.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2:15 pm.

13.16 hours

The Lok Sabha then adjourned till
Fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.

14.45 hours

*The Lok Sabha re-assembled at *Forty-Five Minutes past Fourteen of the Clock*

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Minister.

… (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, it is due to the negligence of this Government… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: You can mention this during the speech.

… (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): I would like to know whether the Government is going to pass the Bill today. We are left with only 30 minutes. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: We will see. At 3.30 p.m. we will see.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): I do not think that there is much in this Bill. … (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL : Please do not disturb the Private Members' Business.

HON. DEPUTY SPEAKER: Yes, at 3.30 p.m. we will have Private Members' Business. It would not be disturbed.

---

* At 1415 hours quorum bell was rung. No quorum was made. At 14.19 hours quorum bell was rung again and no quorum was made. At 14.25 hours once again quorum bell was rung and no quorum was made. Thereafter, the Additional Secretary informed the members present as follows:

> "There is no quorum. So, the House cannot meet; and we cannot start the House till there is a quorum. Hon. Deputy Speaker has directed that the House will re-assemble at forty-five minutes past Fourteen of the Clock. "

14.46 hours

HIGH COURT AND SUPREME COURT JUDGES (SALARIES AND CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL, 2015 Contd..

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): Hon. Deputy-Speaker, Sir, yesterday I moved the High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill, 2015, which was introduced by me and requested to take it for consideration.

We are fully aware of the fact that this Government has taken several initiatives to repeal the obsolete laws and to identify patent errors, redundant provisions etc., in legislation with a view to rectify the errors and delete the redundant provisions.

The Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958 and the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Act, 1954, govern salaries, allowances, pension etc., of Judges of the Supreme Court and that of the High Courts respectively. With the passage of time, certain provisions of the Act have become redundant and out-dated. Therefore, a review of these Acts has been undertaken by our Government. There are certain provisions in these two Acts which relate to the time when officers of the Indian Civil Service (ICS) were appointed as Judges. There are certain other provisions which relate to Judges of former Indian High Courts or Judges who were entitled to get allowances for joining time on return from leave out of India. These provisions have become redundant as, at present, there is no ICS Judge or there is no Judge from former High Courts or there are no Judges from abroad. The provisions relating to determination of leave allowances of Judges also need to be simplified. Hence, we undertook these reviews and have come up before the Parliament with this Bill.

At the same time, the Supreme Court, while disposing of a Writ Petition filed by one Justice Ramakrishnam Raju, has given a direction in its Judgment

dated 31.3.2014 that a period of ten years be added to the service of those High Court Judges who have been appointed from the Bar, for the purpose of calculation of their pension. You are fully aware that the Judges from the Bar will be elevated at the age of about 50 to 55 years to the High Court. Automatically, what happens is that a minimum 14 years of service is required to get a full pension. It may not be possible for those Judges because they used to establish their office for a very lengthy time and they have become some senior Advocates or something like that. If at the age of 62, he retires and does not get the full pension benefit, automatically it will be discrimination. For that reason, the Judgment also said that ten years of their service should be added for calculation of pension. Earlier, a similar provision was made for the Supreme Court Judges in the year 2005. The Act of 1954 has to be amended to give effect to this direction of the Supreme Court with effect from 1.4.2004. Practically, we all know that One Rank One Pension must be the norm in respect of the constitutional office. It is also observed by the Court that when persons holding constitutional office retire from service making discrimination in fixation of their pensions depending upon the source from which they are appointed is a breach of Articles 14 and 16(1) of the Constitution. The financial implication is very small. It is about Rs.6 to 7 crore for arrears of pension and a recurring implication of about Rs.75 crore per annum.

Keeping in view the need to delete certain provisions in these Acts which have become redundant and also to implement the judgment of the Supreme Court, it is proposed to amend the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act 1958 and High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Act 1954. This will bring clarity in the provisions of these two Acts and comply with the directions of the Supreme Court also. So, this Bill has been placed before the Parliament for Consideration.

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill further to amend the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 and the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958, be taken into consideration."

SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR): Thank, you Mr. Deputy Speaker, Sir, for giving me this opportunity to take part in the discussion on the Bill to further amend the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act 1954 and the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act 1958.

Sir, this is a very important Bill because the Parliament is dealing with the problems of the judges of High Court and the Supreme Court. Therefore, the ruling Government should have taken this very seriously. We wasted nearly 30 minutes of time for want of quorum. It is very unfortunate. This is a very important Bill. Judges may also observe as to what sort of interest the parliamentarians are showing towards their problems.

HON. DEPUTY SPEAKER: You pointed out the lack of quorum, that is alright. But what they would be thinking is not for you speak here.

SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA: Sir, under articles 221 and 225 of the Constitution of India, the salaries and other allowances of judges of High Court and Supreme Court are to be dealt with by the Parliament. At the outset I would like to make it clear that our party, the Indian National Congress, wholeheartedly supports this Bill.

As the hon. Law Minister rightly pointed out, need for the enactment arose because of a judgment delivered by the hon. Supreme Court in writ petition 521/2002 which was delivered on 31-32014. That writ petition was filed by some aggrieved judicial officers who had retired. In that judgment the hon. Supreme Court made one observation, "No valid reason as to why the experience of the bar cannot be treated as equivalent for the same purpose". They found out that there is some anomaly with regard to the quantum of pensions of the High Court judges

who are directly appointed from the bar to the bench and the judges who are elevated from the respective State judicial services.

In fact the hon. Supreme Court is right in saying so. We have been seeing that an advocate who has put in more than 20 years of service is appointed as a High Court judge directly at the age of 55 or 56 years. I know some cases where a High Court judge was appointed at the age of 59 or 60 years. They put in only two or three years of service. We have got some instances in Karnataka High Court. … (*Interruptions*) and in Calcutta High Court also.

At the same time, it is very rare to see that a judicial officer who is appointed as Munsif Magistrate has been elevated to High Court having put in more than 25 to 30 years of service. That is also there. So, absolutely the Supreme Court is justified in saying that there is some anomaly, and it is the duty of the Parliament to rectify that anomaly. Accordingly, this Government has rightly come before the Parliament with this Bill and we have to wholeheartedly support this Bill because there is some anomaly.

There is some feeling among the people concerned that the judges are underpaid. As far as my knowledge goes – and I am subject to correction – for the last 65 years only thrice the salaries of High Court and Supreme Court Judges have been increased. Now, the salary of a High Court Judge is Rs. 80,000 and the Chief Justice of High Court gets only Rs. 90,000. The salary of a Supreme Court Judge is only Rs. 90,000 and that of the Chief Justice of India is only Rs. 1,00,000.

We must also look upon the conditions of how the judicial officers are living. It is the responsibility of this country to see that the judges who are sitting there and delivering justice also lead a respectable life with this meagre salary. I think I will be justified if I say that the salary that has been given to the High Court Judges and the Supreme Court Judges is meagre. That is why this is the right time the Government should think of increasing the salary of both High Court Judges as well as Supreme Court Judges. We must also see that they lead a respectable life. That is for the Government to decide. It has got a direct impact on

the pension that they are going to get. When a High Court Judge retires after two or three years and if there are some restrictions that he cannot practice in the same court, the fixation of pension has got some impact and it depends on the salary which he gets.

There are about 371 vacancies in the various High Courts as against sanctioned posts of 1,071. This is one part. Secondly, we are not getting efficient, honest and dedicated advocates who have got lucrative work in the High Courts to come forward to accept judgeship with this meagre salary. The fact that there are so many vacancies in the various High Courts is one part. I do not say that the salary which they are getting is the only reason for these advocates not accepting judgeship but that is one of the major factors. Unless you attract them with some good salary or some benefits you cannot expect efficient advocates who are also honest and who maintain integrity to become High Court or Supreme Court Judges. That is why this is the right time.

I have seen the life of the Judges. I have seen sometimes that really for want of finances they suffer. The hon. Law Minister is himself an advocate. He must be knowing the problems of the Judges and the Subordinate Judicial Officers. The same problems are there for the High Court Judges also. I have sometimes seen that the Subordinate Judicial Officers are not able to get even one suit stitched with the salary they get. Of course now the respective State Governments are to some extent increasing the salaries of the Subordinate Judicial Officers also. But for the last 65 years only the salaries of the High Court and Supreme Court Judges have increased. This is the right time the State Governments and the Government of India thought of increasing the salaries of the High Court and Supreme Court Judges as provided under the provisions of Articles 221 and 125 of the Constitution respectively.

We have no objection to an increase in the salaries of the Judges. Let us give more perks and other benefits also. Let us make them live more comfortably. We have no objection to rectify the anomaly also. With all this being the need of

the hour, the long and heavy pendency in various High Courts and the Supreme Court is also of serious concern.

15.00 hours

I would request the hon. Minister of Law to think of bringing in the Judicial Accountability Bill. Sir, the people of this country expect parliamentarians and legislators to be accountable to them. Similarly, they have every right to seek that judges are also accountable to them. This is a serious matter. So, you should think of bringing in the Judicial Accountability Bill.

The hon. Law Minister is from Karnataka and he represents Bengaluru city. We are proud of him. Likewise, the hon. Chief Justice of India, who retired only yesterday, also belonged to Karnataka. He was a judge in Karnataka and was also practising in Bengaluru. The present Chief Justice, who took over yesterday, served the Karnataka High Court for more than 10 years. The present Chief Justice was also a High Court judge at Bengaluru. Why I am pleading this is, Bengaluru is the central place for the southern part of the country.

Sir, my request to the Union Government in general and the hon. Law Minister in particular is, this is the right time to see that a circuit bench of the Supreme Court is established at Bengaluru. With these words, I thank you for the opportunity given. Our Party wholeheartedly supports this Bill which seeks not only to rectify the anomaly but also to give other perks and allowances which they are entitled to get under Article 125 as also Article 221 of the Constitution of India. Thank you.

SHRI SATYAPAL SINGH (SAMBHAL): Thank you very much Deputy-Speaker, Sir. I rise here in the support of this proposed Bill. जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर यह बिल लाया गया है, उसके साथ-साथ सरकार का यह धर्म है, यह कर्तव्य है कि सामान्य आदमी को न्याय मिल सके, इंसाफ मिल सके और इंसाफ तभी मिलेगा जब हमारे हाई कोर्टों के अंदर 395 वैकेन्सिज हैं, वे वैकेन्सिज भरी जायें। आज हाई कोर्ट के अच्छे एडवोकेट्स हाई कोर्ट का जज क्यों नहीं बनना चाहते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण यह बताया गया है कि जितना पैसा एक अच्छा एडवोकेट कमाते हैं। लोग कहते हैं कि Category 'A' advocate never want to become the High Court judges. I am not saying Category 'B' advocates are bad but they generally become the judges of the High Courts. How to attract the good advocates is the basic question before the Government.

मूल मुद्दा यह है कि सामान्य आदमी को न्याय कैसे मिले? हमारे यहां जिस प्रकार से कोर्टों की कमी है, उसी प्रकार से जजों की भी कमी है। इंगलैंड के अंदर लोग कहते हैं कि for one million of population there are 51 judges available; in Australia, there are 58 judges, in Canada there are 75 judges and in America the number of judges is 103 while in India the average judges are 10.5 per 10 lakh of population. So, the Government must think of ways to increase the number of judges in the High Courts and lower judiciary to give justice to the common man.

सबसे बड़ी बात यह है कि हिन्दुस्तान के अंदर या सारी दुनिया के अंदर जब तक समाज सुरक्षित नहीं है, तब तक न्याय नहीं है। हम लोग कहते हैं कि न्याय तब होता है जब कानून की दृष्टि में सभी लोगों को बराबर माना जाये और उन्हें एक तराजू में तौला जाये, हमारा संविधान भी यह कहता है, लेकिन वास्तव में ऐसा ग्राउंड पर दिखाई नहीं देता है। एक गरीब आदमी जहां पुलिस की वर्दी से डरता है वहां काले कोटों से भी डरता है, उससे भी घबराता है। किसे, कैसे ठीक किया जाए कि गरीब आदमी को न्याय मिले। कई वर्षों पहले इंडिया में चीफ जस्टिसेज़ की कौन्फ्रैंस हुई। उस समय के हमारे राष्ट्रपति - I do want to take his name - mentioned in the Conference of Chief Justices that the court in India is not a cathedral but they is casino and here justice depends on how you throw the dice. The Judges are not here to do justice but to decide the cases according to evidence on record. गरीब आदमी को कोर्ट में सुनवाई के लिए वर्षों लग जाते हैं, लेकिन पैसे वाले आदमी के लिए हमारे कोर्ट, केवल नीचे के कोर्ट की बात नहीं है, हाई कोर्ट की नहीं है,

यह दुर्भाग्य की बात है कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट याकूब मेमन, एक आतंकवादी के लिए रात के ढाई बजे खुल जाता है लेकिन गरीब आदमी के लिए नहीं खुलता है। हमें इन बातों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा कि गरीब आदमी को न्याय कैसे मिले।

दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि जिन राज्यों में हाई कोर्ट की ज्यादा बैंचेज होनी चाहिए, वहां बैंचेज बहुत कम हैं। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जहां 11 करोड़ पौपुलेशन है, वहां 3 प्लस 1, 3 बैंचेज महाराष्ट्र में हैं, 1 बैंच गोवा में है। उसके मुकाबले यूपी जिसकी पौपुलेशन 22 करोड़ है, वहां केवल मात्र सवा बैंचेज हैं। एक मुख्य बैंच इलाहाबाद में है। 62.5 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक इलाहाबाद की बैंच है और 12.5 के लिए लखनऊ की बैंच है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 जजों की संख्या निर्धारित है। उसे सरकार 200 करने वाली है। इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में केवल मात्र 74 हाई कोर्ट जज काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा वेकैंसीज़ हैं। ये जज कहां से लाए जाएं। अभी पीछे वहां से 19 जजों का सलैक्शन किया गया। कैसे सलैक्शन हुआ। 6 जज लखनऊ बैंच से आए जहां केवल साढ़े बारह जिले हैं और 13 जज इलाहाबाद से आए हैं जहां 62.5 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसलिए मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि यूपी में जहां 22 करोड़ की जनसंख्या है, वहां हाई कोर्ट की कम से कम 4 नई बैंचेज खोली जाएं। मैंने इस बात को पिछली बार भी निवेदन किया था कि अगर एक हाई कोर्ट बैंच 12 जिलों के ऊपर चल सकती है तो 12 जिलों में क्यों 4 बैंचों की यूपी में शुरुआत नहीं करते। आज अच्छे जज नहीं मिल रहे हैं क्योंकि अच्छे जज मिलेंगे जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, हाई कोर्ट की बैंचेज नहीं हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि मेरठ, आगरा, गोरखपुर, बनारस और बुंदेलखंड में कम से कम 4 बैंच किए जाएं। मैं आदरणीय लॉ मिनिस्टर से रिक्वैस्ट करता हूं कि सबसे पहला यूपी में मेरठ में बैंच खोला जाए। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा केसेज अगर पैंडिंग हैं तो वे मेरठ रीजन के हैं। वैसे भी मेरठ का एक ऐतिहासिक स्थान है। इस देश में 1857 का युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले मेरठ में शुरू हुआ।

मुझसे पहले वक्ता कह रहे थे कि जहां उनकी सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, उनकी कंडीशन अच्छी करना चाहते हैं, साथ ही ज्युडिशियल एकाउंटेबिलिटी बिल लाने की भी इतनी ही जरूरत है। आज इस देश में अगर सबसे ज्यादा आजादी किसी को मिली है, जिसे पूर्ण आजादी कहते हैं, अगर किसी को पूर्ण आजादी मिली है तो ज्युडिशियरी को मिली है। ज्युडिशियरी का नीचे का कोर्ट किसी प्रकार का निर्णय दे, चाहे कितना भी गलत निर्णय दे, उसे क्रिटिसाइज करने का किसी को अधिकार नहीं है। उसके बारे में न कोई लिख सकता है, न कोई बोल सकता है, न हाई कोर्ट का जज उसके बारे में कुछ करता है न सुप्रीम

कोर्ट का जज कुछ करता है। इसलिए जब तक ज्युडिशियल एकाउंटेबिलिटी बिल नहीं आएगा तब तक गरीब आदमी को कभी भी ठीक से न्याय नहीं मिल पाएगा। आज पुलिस के पास किसी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 60-90 दिन की अवधि होती है, ऐसा नहीं करने पर एकुज्ड का बेल आऊट हो जाता है, क्या हम इस प्रकार का उदाहरण अपने कोर्ट के लिए नहीं पेश कर सकते। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में दोनों पार्टियों को आधे-आधे घंटे का टाइम दिया जाता है, वहां एक घंटे से ज्यादा किसी भी केस में समय नहीं दिया जाता, क्या हम अपने देश में ऐसा नहीं कर सकते जिससे उन्हें समय सीमा के भीतर जजमेंट देना पड़े। इस बिल का उद्देश्य है, कॉमन आदमी को जल्द न्याय मिले, सही न्याय मिले। मैं न्याय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जस्टिस मालीमथ कमेटी की रिपोर्ट जो बहुत सालों से धूल खा रही है उसे तुरंत लागू किया जाए, जिससे गरीबों को न्याय मिल सके। हमारे कौटिल्य ने एक बात लिखी थी कि न्याय व्यवस्था के दो मुख्य उद्देश्य हैं, 'सर्वधर्म कर्म अभिप्तो वर्तते शेषुवशेषु राजनस्यः सर्वभूत हितरेतः' यह कौटिल्य ने कहा है, न्याय व्यवस्था का दो मुख्य उद्देश्य हैं, प्रत्येक मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन कर सके, समाज में लोक कल्याण को प्रतिष्ठित किया जा सके। जब हम ऊपर से लेकर नीचे तक न्याय व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे और जब तक अच्छे लोगों का उसमें सलेक्शन नहीं होगा तब तक कॉमन आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। मैं न्याय मंत्री जी के इस बिल का समर्थन करता हूं।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I, on behalf of my party, whole-heartedly support this Bill. It is because the Government had no other alternative but to bring this Bill in view of the directions of the Supreme Court, otherwise the Government would have been liable for contempt of court.

This Bill was needed. The object of the Bill regarding the 10 years addition for being eligible for pension for the lawyers was very much needed. I support the Bill. In our House in the last year we discussed about the National Judicial Appointment Bill and almost all the States had accepted the provisions and Constitutional amendment accordingly was made. But the Supreme Court has struck it down. We had to accept that. In our constitutional scheme of things, this Parliament has the power to engraft the Constitution and the Judiciary has the powers to test the Constitution on grounds of constitutional validity. I am not on that. We have to accept the fact the Supreme Court is the final interpreter of the Constitution.

Sir, I am on the point of appointment of judges from the Bar. My friend was mentioning about Grade A, Grade B, Grade C etc. This collegium system is still very severely criticized. I do not know what law would be laid down by the Constitution Bench of the Supreme Court. But sincerely we are not getting good lawyers because of the collegium function is not properly done till now.

Sir, I am giving you an example which is a fact. In fact, I heard it yesterday only. This was a great shock to me. In our High Court there was a good judge, Justice Bhaskar Bhattacharya. He was transferred as Chief Justice of the Gujarat High Court. He became very popular. When he was the Chief Justice of the Gujarat High Court, he persuaded a lawyer whose age was, at that point of time, 42 years.

He was giving income tax of Rs. 1 crore and his return was Rs. 3 crore. By this you can imagine how he has grown up at the age of 42 years.… (*Interruptions*) Sir, I am mentioning a very serious issue. In Gujarat High Court, one advocate was giving income tax of Rs. 1 crore and Rs. 3 crore was the return. Naturally, he is a brilliant lawyer. Otherwise, it cannot be done. Those who are in the profession will understand that at the age of 42 years, it is impossible for a lawyer to give a return amounting to Rs. 3 crore. His father is also a very good lawyer.

The Chief Justice persuaded him to give consent for becoming a judge. What was the salary then? It was Rs. 80,000 to Rs. 90,000. He agreed to that salary. What happened after three days? Justice Bhaskar Bhattacharya was superseded for being appointed as a judge of the Supreme Court. The next day, the lawyer came and said, "Sir, I am ready to sacrifice this. But can you give me this assurance that I would not be superseded in future because of the collegium system?" And the gentleman did not accept that. This is a very unfortunate incident of the country.

The collegium system is failing and it is not the question of Grade A or Grade B. In the collegium system, if he likes the person, then the person is good and if he does not like the person, then he is bad. If a lawyer every time says, "Yes, Me Lord, you are right.", then he is a very good lawyer. If he opposes, then it is the other way. The collegium system has failed. The debate will be continuing. I would request the hon. Minister for Law on this aspect. I was talking with one of my colleagues in my profession. If required, out of Parliament, you may call for a national debate on this subject as to what should be the appointment procedure of the judges in the High Court and the Supreme Court.

Regarding the salary of the judges, I agree with my friend who spoke from the Congress Party. This is really a small amount. No lawyer will come forward for this amount. At the same time, I would request the hon. Law Minister to constitute a Judicial Commission to fix up the salaries of judges. Do not club it

with the Secretaries and the Cabinet Secretary. They are holding a very high post. Do not compare them with your Secretaries. The Government should constitute the Commission and let them fix the salaries of the judges.

So far as infrastructure is concerned, I have a friend in Uttar Pradesh. I came to know that there are 168 sanctioned posts in Allahabad High Court and I have been told that 50 per cent is there and 50 per cent is vacant. There are a large number of vacancies in the country. Immediate steps should be taken to fill up the vacancies in every district and in every State.

Infrastructure has to be improved. Speedy justice is not a slogan or a dialogue. Speedy justice means that justice has to be delivered.

My friend, who just now spoke, told to limit the time. If you limit the time so far as Members of Parliament are concerned, then no Member of Parliament can complete his speech within the time allotted to him. How can a case be completed within the time limit in a court of law?

Complexities are there in cases. Therefore, it is impossible to accept the proposition to limit the time for the purpose of arguing cases.

In our Kolkata High Court in 1960s, there was a great Chief Justice whose name was Phani Bhusan Chakravorty. When that Chief Justice retired from the service, within seven days, an offer came to him. The offer was to be the Governor of a State. What did he say to the hon. Prime Minister at that point of time? He said, ‘do not make this offer to any judge’. If you make such offers to judges, then the judges in this country will start thinking that if they deliver some judgement in favour of the ruling party, then they may be appointed as Governor in some State. It is very unfortunate. It is extremely unfortunate that an ex-Chief Justice of India of this country has been offered governorship in one of the States. This should not have been done. I will request the hon. Law Minister to increase the salary and pension of the judges if required. But make a law that after their retirement, the judges will not be accommodated in any position. This should apply to IAS and IPS officers also. They should not be shown any favour after their retirement.

Otherwise, what will happen is, before their retirement – the period of six months or one year or two years before their retirement is very important – if they know that if they can favour the Government by giving an order, they will also be favoured with some appointment after their retirement, then they will do it. I believe that judiciary is one of the pillars which has strengthened the democracy in our country.

Yesterday, I was telling one of my friends that the present Chief Justice has said that if the judiciary is allowed to function properly, then India will be number one in the world. From this chair, taking this opportunity, I would like to just tell you, Mr. Deputy-Speaker, Sir, that if a law is made that after retirement no judge, no IAS officer, no IPS officer, should be accommodated in any post in this country, then, of course, India will be the number one in the world. It is bound to be number one in the world.

Why are you making this appointment for three years and five years? Why are you bringing in lawyers who are 58 or 59 years old for just three years? It is a case of accommodation. I do not want to embarrass the judiciary today by giving an illustration, which will completely embarrass the judiciary of the country. I do not want it because I always respected judiciary. What will the lawyers who are 58 years or 59 years old do if they are made judges just for two years or three years? They will do nothing. There will be no performance. But because of this amendment, ten years of their service will be added and pensionary benefits will be given to them accordingly. If at all they need to be appointed, appoint them at least when they are 45 years old. If they are really eligible, if they are really qualified, and if you feel that they need to be made judges, then appoint them at the age of 45 or 50, but why at the age of 60, just for two years for the purpose of giving them pension just after two years? This is just to show favour to a person. It should not be done. It should not be encouraged. It should be stopped.

Regarding circuit bench, I agree with what my friend has said. In fact, I went to the hon. Law Minister before this speech started and requested him to

bring a constitutional amendment to start circuit benches. I do not know whether you have any experience of Delhi or not. See what is happening in the Supreme Court at Delhi. The Delhi lawyers enjoy so much monopoly in the Supreme Court. The fees start from Rs. 5 lakh or Rs. 6 lakh or Rs. 8 lakh or Rs. 10 lakh or Rs. 20 lakh or Rs. 25 lakh. This monopoly has to be checked. If the Circuit Bench is there all over India, I am sure no advocate can dare to ask for this amount of fees from the people. Therefore, I would request the hon. Minister to make a constitutional amendment. I know you will be facing a great deal of opposition from the lawyers of Delhi itself because the Delhi lawyers will be the first to oppose it saying that there should be no Circuit Bench because they are the most beneficial ones if the Supreme Court is here only. Door-step justice is not just a word to be in the books. If door-step justice has to be delivered, then the Circuit Bench of the Supreme Court must be there in all the regions of this country. It has to be there. It should be given.

Sir, eight months have gone since we passed the National Judicial Appointment Commission Bill. A lot of vacancies have cropped up. In fact, 50 per cent work in every High Court has gone come because of the vacancies. I would request the present hon. Chief Justice of India to speed up the process of filling up the posts of Judges.

With these words, I conclude. I am grateful to you that I have been given this chance to speak.

DR.K. KAMARAJ (KALLAKURICHI): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I would thank you for permitting me to speak on this Bill.

The salaries of High Court and Supreme Court Judges were initially fixed in Schedule-II of the Constitution and could only be altered by a constitutional amendment. Since 1986, after the 54th Amendment of the Constitution, they are governed by Parliamentary law, the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954, and the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958.

The High Court and the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill, 2015 is further to amend the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 and the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958.

The above-mentioned Acts regulate the salaries and conditions of services of the High Court and the Supreme Court Judges. With the passage of time, certain provisions in the aforesaid Acts have become a spent-force and out-dated. This proposed amendment in these Acts rectifies certain provisions relating to determination of provisions of leave allowances of judges in both High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954 and the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958.

In a Writ Petition filed in the hon. Supreme Court by the former Judges of the various High Courts of the country as well as by the Association of the Retired Judges of the Supreme Court and the High Courts elevated from the Bar, a prayer was made for addition of ten years of practice as an advocate to the service as a Judge of the High Court for the purpose of computing pension on par and similar with ten years of service added to the service of the Supreme Court Judges. The petitioners said that while Part-I and Part-III Judges hold equivalent posts, they are not similarly situated with regard to pension and retirement benefits which are a breach of Articles 14 and 21 of the Constitution and “One Rank One Pension” must be the norm in respect of a constitutional office.”

The petitioners had noted that the number of years practised as an advocate should be taken into account and be added to the service as a Judge of the High Court for the purpose of determining the maximum pension permissible under Part-I of the First Schedule to the High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954. They had maintained that in respect of Part-III of the First Schedule, which deals with the Judges elevated from the State Judicial Service, almost all the Judges get full pension even if they have worked as a Judge of a High Court for two or three years and their entire service is added to their service as a Judge of the High Court for computing pension under this Part. For this reason, the members of the Subordinate Judiciary get more pension than the Judges elected from the Bar on retirement.

According to the Supreme Court's view, if the service of a judicial officer is counted for fixation of pension, there is "no valid reason" as to why the experience at Bar cannot be treated as equivalent for the same purpose.

HON. DEPUTY-SPEAKER: You can continue next time. We are taking up Private Members' Business.

15.30 hours

MOTION RE: 14TH AND 15TH REPORTS OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take up Private Members' Business.

Now, we shall take up Item No.10.

SHRI KAMAKHYA PRASAD TASA (JORHAT): With your permission, I beg to move:

> "That this House do agree with the Fourteenth and Fifteenth Reports of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 12th August and 2nd December, 2015, respectively."

HON. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That this House do agree with the Fourteenth and Fifteenth Reports of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 12th August and 2nd December, 2015, respectively."

The motion was adopted.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Item Nos.11, 12 and 13 – Shri Kalikesh Narayan Singh Deo – not present.

15.31 hours

PRIVATE MEMBERS' BILLS -Introduced

(i)Supreme Court of India (Establishment of a Permanent Bench at Jabalpur) Bill, 2015*

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के उच्चतम न्यायालय की जबलपुर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the Supreme Court of India at Jabalpur."

The motion was adopted.

श्री राकेश सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Item No.15 – Shri Chandrakant Khaire – not present.

Item No.16 – Shri Prem Das Rai - not present.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 4.12.2015.
** Introduced with the recommendation of the President.

15.31 ½ hours

(ii) State of Telangana (Special Category Status and Financial Assistance) Bill, 2015*

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to confer special category status to the State of Telangana, provide for special financial assistance to the State for the purposes of promoting the welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Sections of citizens, development of backward districts and exploitation and proper utilization of its resources and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to confer special category status to the State of Telangana, provide for special financial assistance to the State for the purposes of promoting the welfare of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Sections of citizens, development of backward districts and exploitation and proper utilization of its resources and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI B. VINOD KUMAR : I introduce **the Bill.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Item Nos.18 & 19 – Shri Yogi Adityanath – not present.

Item Nos. 20, 21, 22 and 23 – Shrimati Supriya Sule - not present.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 4.12.2015.

** Introduced with the recommendation of the President.

15.32 hours

(iii) Unwed Tribal Women (Protection and Welfare) Bill, 2015*

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for protection from sexual exploitation and welfare of unwed tribal women.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for protection from sexual exploitation and welfare of unwed tribal women."

The motion was adopted.

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: I introduce the Bill.

15.32 ½ hours

(iv) Constitution (Amendment) Bill, 2015*
(Amendment of article 58, etc .)

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

डॉ. भोला सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 4.12.2015.

15.33 hours

(v)Constitution (Amendment) Bill, 2015*
(Amendment of articles 275A and 371K)

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

डॉ. भोला सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूँ।

15.34 hours

(vi)Constitution (Amendment) Bill, 2015*
(Insertion of new article 31)

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

डॉ. भोला सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 4.12.2015.
** Introduced with the recommendation of the President.

15.34 ½ hours

(vii) Air (Prevention and Control of Pollution)Amendment Bill, 2015*
(Insertion of new Section 17A)

SHRI FEROZE VARUN GANDHI (SULTANPUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981."

The motion was adopted.

SHRI FEROZE VARUN GANDHI : I introduce the Bill.

15.35 hours

(viii) Disaster Management (Amendment) Bill, 2015*
(Amendment of section 4, etc.)

SHRI FEROZE VARUN GANDHI (SULTANPUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Disaster Management Act, 2005.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to amend the Disaster Management Act, 2005."

The motion was adopted.

SHRI FEROZE VARUN GANDHI : Sir, I introduce** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 4.12.2015.
** Introduced with the recommendation of the President.

15.35 ½ hours

(ix)Constitution (Amendment) Bill, 2015*
(Substitution of new article for article 340)

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री राजीव सातव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No. 31 – Shri Om Prakash Yadav – Not present
Item No. 32 – Shri Om Prakash Yadav – Not present
Item No. 33 – Shri A.T. Nana Patil - Not present

15.36 hours

SIXTH SCHEDULE TO THE CONSTITUION (AMENDMENT) BILL,2015*
(Amendment of Sixth Schedule)

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Sixth Schedule to the Constitution of India in its application to constitution of District Councils and powers of the District Councils and Regional Councils.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 4.12.2015.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Sixth Schedule to the Constitution of India in its application to constitution of District Councils and powers of the District Councils and Regional Councils."

The motion was adopted.

SHRI VINCENT H. PALA: Sir, I introduce the Bill.

15.36 ½ hours

(xi) Constitution (Amendment) Bill, 2015*
(Amendment of the Seventh Schedule)

SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT (JODHPUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT : Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 4.12.2015.

15.37 hours

(xii) Gazetted Officers of the Central Government* (Compulsory National Disaster Response Training) Bill, 2015

SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT (JODHPUR): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for compulsory national disaster response training for all able bodied gazetted officers of the Central Government and for matters connected therewith.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory national disaster response training for all able bodied gazetted officers of the Central Government and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT: Sir, I introduce** the Bill.

15.37 ½ hours

(xiii) Prohibition of Racial Discrimination Bill, 2015*

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to prohibit the racial discrimination on the grounds of race, ethnicity, colour, ancestry or origin.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to prohibit racial discrimination on the grounds of race, ethnicity, colour, ancestry or origin."

The motion was adopted.

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN: Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 4.12.2015.
** Introduced with the recommendation of the President.

15.38 hours

(xiv) Witnesses (Protection of Identity) Bill, 2015*

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for protection of identity to threatened witnesses in criminal cases involving serious offences, procedure and mechanism for such protection and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for protection of identity to threatened witnesses in criminal cases involving serious offences, procedure and mechanism for such protection and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA : Sir, I introduce the Bill.

15.38 ½ hours

(xv) National Road Transport Safety and Miscellaneous Provisions Bill, 2015*

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to significantly reduce the high number of road accidents resulting in deaths and injuries by establishing a protective framework for all class of road users, including vulnerable road users; fixing accountability on and establishing minimum safety standards for road users, owners and vehicle manufacturers; enhancing enforcement and improving overall road discipline and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to significantly reduce the high number of road accidents resulting in deaths and injuries by establishing a protective framework for all class of road users, including vulnerable road users; fixing accountability on and

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 4.12.2015.

establishing minimum safety standards for road users, owners and vehicle manufacturers; enhancing enforcement and improving overall road discipline and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA: Sir, I introduce the Bill.

15.39 hours

(xvi) Cancer Patients (Free Medical Treatment) Bill, 2015*

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for free medical treatment for cancer patients in Government hospitals.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for free medical treatment for cancer patients in Government hospitals."

The motion was adopted.

SHRI P. KARUNAKARAN: Sir, I introduce the Bill.

15.39 ½ hours

(xvii) Special Financial Assistance to the National Capital Territory of Delhi Bill, 2015*

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आवास, जल स्वच्छता, सड़कों, विद्यालयों, कौशल विकास से संबंधित कार्यों और महिलाओं, बच्चों और शहरी ग्रामीणों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को विशेष वित्तीय सहायता दिए जाने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 4.12.2015.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the National Capital Territory of Delhi for the purpose of implementation of development works relating to housing, water, sanitation, roads, schools, skill development and welfare schemes for women, children and poor people living in the urban villages and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री महेश गिरी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No. 42 – Dr. Shashi Tharoor - Not present. Item No. 43, Shri Janardan Singh Sigriwal.

15.40 hours

(xviii) Poor and Destitute Agricultural Workers (Welfare) Bill, 2015*

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गरीब और निराश्रितों तथा गांवों में रहने वाले ऐसे अन्य कृषि कर्मकारों के लिए कल्याण उपायों तथा मृत्यु अथवा स्थायी निःशक्तता के मामलों में प्रतिकर के भुगतान, वृद्धावस्था पेंशन, चिकित्सीय सहायता, महिला कर्मकारों के लिए प्रसूति और शिशुकक्ष सुविधाओं के लिए एक कल्याण निधि की स्थापना और काम की शर्तों के विनयमन तथा उससे संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for welfare for the poor and destitute and such other agricultural workers living in villages and constitution of a Welfare Fund for payment of compensation in cases of death or permanent disability, old-age pension, medical assistance, maternity and creche facilities for the women workers and for regulating the conditions of work and for matters connected therewith or incidental thereto."

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 4.12.2015.

The motion was adopted.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.41 hours

(xix) Widows (Protection and Maintenance) Bill, 2015*

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपेक्षित, परित्यक्त और निराश्रित विधवाओं के संरक्षण और भरण-पोषण के लिए ऐसी विधवाओं हेतु एक कल्याणकारी बोर्ड की स्थापना करके राज्य द्वारा किए जाने वाले उपायों और तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the measures to be undertaken by the State for the protection and maintenance of neglected, abandoned and destitute widows by establishing a Welfare Board for such widows and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

HON. DEPUTY SPEAKER: Item No. 45, Shri Raju Shetty – not present.
Item No. 46, Shri Sushil Kumar Singh – not present.
Item No. 47, Shri Gopal Shetty – not present.
Item No. 48, Shri Gopal Shetty – not present.
Item No. 49, Shri Gopal Shetty – not present.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 4.12.2015.

15.41 ½ hours

(xx) Minimum Wages (Amendment) Bill, 2015*
(Amendment of section 3, etc.)

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Minimum Wages Act, 1948.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Minimum Wages Act, 1948."

The motion was adopted.

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER: I introduce the Bill.

15.42 hours

(xxi) Aligarh Muslim University (Amendment) Bill, 2015*
(Amendment of section 12)

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Aligarh Muslim University Act, 1920.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Aligarh Muslim University Act, 1920."

The motion was adopted.

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 4.12.2015.

15.42 ½ hours

(xxii) Constitution (Scheduled Caste) Order (Amendment) Bill, 2015*
(Amendment of paragraph 3)

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order 1950.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order 1950."

The motion was adopted.

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER: I introduce the Bill.

15.43 hours

(xxiii) Constitution (Amendment) Bill, 2015*
(Amendment of articles 15 and 16)

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 4.12.2015.

15.43 ½ hours

(xxiv) Constitution (Amendment) Bill, 2015*
(Amendment of article 51A)

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

15.44 hours

(xxv)Constitution (Amendment) Bill, 2015*
(Insertion of new articles 16A and 29A)

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 4.12.2015.

15.44 ½ hours

(xxvi) Supreme Court of India (Establishment of a Permanent Bench at Ahmedabad) Bill, 2015*

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि अहमदाबाद में भारत के उच्चतम न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the Supreme Court of India at Ahmedabad."

The motion was adopted.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करती हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 04.12.2015.
** Introduced with the recommendations of the President.

15.45 hours

COMPULSORY VOTING BILL, 2014 ....Contd.

HON. DEPUTY SPEAKER: Now we are taking up Bills for consideration and passing – Item No. 57. Further consideration of the following motion moved by Shri Janardan Singh Sigriwal on the 13th March, 2015, namely:-

> "That the Bill to provide for compulsory voting by the electorate in the country and for matters connected therewith, be taken into consideration."

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सीग्रीवाल जी जिस बिल को लेकर आए हैं, उसके बारे में मैं कुछ बातें सदन और देश के सामने रखना चाहता हूं। 2013 में श्री गोपाल कृष्ण गांधी ने एक लैक्चर देते हुए कहा -

> "I mean to diminish no individual, institution or phase in our history when I say that India is valued the world over for a great many things, but for three over all others: The Taj Mahal; Mahatma Gandhi; and India's electoral democracy."

दूसरी बात यह है कि 1978 में सुप्रीम कोर्ट का एक बढ़िया जजमैन्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमैन्ट देते हुए कहा -

> "It needs little argument to hold that the heart of the Parliamentary system is free and fair election periodically held, based on adult franchise, although social and economic democracy may demand much more."

कम्पलसरी वोटिंग ठीक है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसके लिए तरह-तरह के आर्गूमैन्ट्स हैं, कोई पक्ष में बोल सकते हैं और कोई विपक्ष में बोल सकते हैं। सीग्रीवाल जी जिन चीजों को लेकर आए और जो गुजरात में सरकार ने लागू किया। लेकिन इस देश में वह सिचुएशन आई है कि नहीं आई है। एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है और वह यह है कि इस डेमोक्रेसी को खतरा किससे है, हमें पहले यह देखना पड़ेगा कि इसे खतरा किससे है। खतरा यह है कि जो मनी पावर है, वह दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ब्लैक मनी का जो यूज इलैक्टोरल सिस्टम में है, वह दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम लोग सांसद बनकर आते हैं और हम लोग इन चीजों को देखते हैं कि डिमांड बढ़ती जा रही है, चीजें बढ़ती जा रही हैं, पैसे कहां से आयेंगे और इसके लिए जो करप्शन बढ़ रहा है, उसके लिए हम लोग इस सिस्टम को कहीं से प्योरिफाई

करने के लिए सोच नहीं पा रहे हैं। मेरा यह मानना है कि मेरी सबसे पहली जरूरत जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर दिखाई देती है, नहीं तो एक समय ऐसा आयेगा कि यहां जो केवल बड़े लोग हैं, इनफ्लुएंशियल लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वही इस पार्लियामैन्ट, असेम्बली, लोकल बॉडीज को या मुखिया को 3 टीयर जो कांस्टीट्यूशन है या अधिकार है, उसमें वह चलाते हुए नजर आयेंगे, गांव, गरीब, किसान, मजदूर की बात करने वाले महिला की बात करने वाले जो हम लोग हैं, वे कोई भी इस पार्लियामैन्ट के सदस्य नहीं हो पायेंगे। सवाल यह है कि उन चीजों के बारे में हम क्या सोचते हैं।

दूसरा क्रिमिनल एलिमेन्टस का मुद्दा है, यह चर्चा बराबर होती है कि क्रिमिनल एलिमेन्ट्स हैं, कई एनजीओज भी हैं, जो क्रिमिनल एलिमेन्ट्स हैं। अब क्रिमिनल को नहीं आना चाहिए, यह बात सही है। हम लोग इन चीजों को कर रहे हैं, लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि क्रिमिनल किसको बना दिया जाता है। जैसे मैं अपना उदाहरण बार-बार देता हूं कि जब मैं 2009 का चुनाव लड़ने के लिए गया तो मैं बड़े फख्र के साथ बोलता था कि मैं और मेरा पूरा परिवार, चाहे नाना की तरफ से हो चाहे दादा की तरफ से हो, किसी भी परिवार के ऊपर 107 का कोई भी केस नहीं है। मैं आपके सामने ऐसा कैन्डीडेट हूं, कि जिसके

15.47 hours (Dr. Ratna De (Nag) *in the Chair*)

ऊपर न कोई सिविल डिस्प्यूट है और न क्रिमिनल डिस्प्यूट है। लेकिन 2009 में जिस दिन मेरा चुनाव खत्म हुआ, मेरे और मेरी वाइफ के ऊपर 307 का मुकदमा हो गया। मतलब आप यह समझिये कि 14 दिन के अंदर मैं इस देश का एक ड्रेडिड क्रिमिनल हो गया। 353 में जैसे इसी पार्लियामैन्ट ने कानून पास कर दिया कि आप जो कोई धरना, प्रदर्शन, अनशन, ब्लाकेड या अन्य कुछ करेंगे तो 353 का केस आपके ऊपर लग जायेगा। इस पार्लियामैन्ट में यह कैसे पास हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन यहां जो मैक्सिमम मैम्बर्स ऑफ पार्लियामैन्ट हैं, मैं क्रिमिनल की बात नहीं करता, कोई क्रिमिनल होंगे, लेकिन जो मैक्सिमम मैम्बर्स ऑफ पार्लियामैन्ट हैं, उनके ऊपर यही केस है। यदि किसी दूसरे की राज्य सरकार है तो किसी के ऊपर चेन खींचने का केस है, किसी के ऊपर गोली चलाने का केस है, किसी के ऊपर 353 का केस है तो जो क्रिमिनल एलिमैन्ट है, उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता है या क्रिमिनेलिटी हम किसे मानेंगे और इस पार्लियामैन्ट्री डेमोक्रेसी में क्रिमिनल प्योरिफिकेशन् कैसे हो, यह दूसरा सवाल है, जो आज हमारे सामने खड़ा है।

तीसरा सवाल यह है कि इलैक्शन पिटिशन है, आज आरटीआई का ज़माना आ गया है, ठीक है आरटीआई अच्छा कानून है, आरटीआई एक ट्रांस्पेरेंट सिस्टम है, उससे कहीं न कहीं एक डर है, लेकिन आरटीआई के कारण क्या हुआ है? यदि आप ब्लॉक-ब्लॉक में देखेंगे तो आरटीआई एक्टिविस्ट पैदा हो गए हैं। आरटीआई के नाम पर आपकी ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई है। आरटीआई के नाम पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका दादा क्या कर रहा था, आपका चाचा क्या कर रहा था, आपका फूफा क्या कर रहा था, आपने किस योजना में कितना पैसा दिया। जैसे एक एमपीलैड फंड है, उसमें एक एम.पी. को क्या अधिकर है? उसको केवल एक रिकमेंड करने के अलावा क्या अधिकार है? कौन सी एजेंसी काम करेगी, क्या करेगी, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आरटीआई हो गई। कई एक जगह होता है कि कोई आपका बैंक अकाउंट खोल दिया या बैंक अकाउंट आपने खोला है, हो सकता है कि आप उसको भरते हुए, उसमें कितना पैसा जमा है, एक आइडिया के तौर पर आपने दिया कि कितना पैसा हो सकता है, कल को उसमें इंट्रेस्ट बढ़ जाए और यदि दो-चार रूपया, पांच रूपया बढ़ जाए, मान लीजिए कि 31 मार्च का आपने सीएसी लिया कि 31 मार्च तक यह स्थिति है, जिस दिन आप नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, उस दिन आपका कोई पांच रूपया बढ़ गया, उसके आधार पर एक इलैक्शन पिटिशन हो गया और इलैक्शन पिटिशन को कितने दिन में डिस्पोज़ करना है, दूसरा इलैक्शन पिटिशन मान लीजिए गलती से हो गया या सही बात है, तो उसके डिस्पोज़ल पर कोर्ट कितना वक्त लगाती है, चार साल-पांच साल लड़ते रहिए, तब तक एक पूरा सैशन खत्म हो जाता है तो सवाल यह है कि उसके बारे में सोचने का सवाल है।

चौथा, इंटरनल डैमोक्रेसी, जो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में है, सभी राजनीतिक दल इसके शिकार हैं, चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे दूसरे की पार्टी हो चाहे तीसरे की पार्टी हो कि इंटरनल डैमोक्रेसी नहीं है। आप यदि कोई बात सहजता से कहना चाहते हैं तो कह पाने की स्थिति में हैं या नहीं हैं और यदि नहीं हैं तो आप आइड्योलॉजी से किस तरह गाइडिड हैं या आपका केवल उद्देश्य एम.पी. बनना है, एम.एल.ए. बनना है, मंत्री बनना है या जिंदाबाद करना है या जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। सबसे बड़ी ओथ हम यहां लेते हैं, ऑफिस सीक्रेसी की ओथ लेते हैं कि भारत के संविधान के प्रति हमारी निष्ठा होगी और हम जो कुछ भी करेंगे, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। जब हम एम.पी. भी बन कर आते हैं तो यही करते हैं, लेकिन कभी यदि अपने गिरेबान में झांकने का प्रयास कीजिए तो आपको यह समझ में आएगा कि हम इंटरनल डैमोक्रेसी के तौर पर जो बातें, यहां मान लीजिए कि वेल में लोग आ जाते हैं, मैं सभी एम.पी. से पूछना चाहता हूँ कि वे चर्चा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। यहां हमें जनता ने चुन कर चर्चा के लिए भेजा है या इसी तरह से कहा है कि पार्लियामेंट को एकदम ब्लॉक कर देना है या अन्य चीजें कर देनी है। इसके पीछे जो रीजन होता है कि हम अपनी आत्मा से विपरीत जा कर, क्योंकि इंटरनल डैमोक्रेसी में लगता है

कि पार्टी के डिक्टेशन को यदि हम नहीं मानेंगे तो शायद हमें कल को टिकट नहीं मिलेगा या शायद हमारे ऊपर कोई कार्यवाही हो जाएगी, कोई व्हिप जारी हो जाएगा, तो इस तरह के सिचुएशन में, उस रिफॉर्म्स की आवश्यकता है कि इंटरनल डैमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए और जो पॉलिटकल पार्टीज़ में ट्रांस्पेरेंसी होनी चाहिए कि उसकी फाइनेंशियल ट्रांस्पेरेंसी होनी चाहिए कि पैसा कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, जो पैसा दे रहा है, वह हमारी चीजों को, हमारे कानून को कहीं प्रभावित करने का प्रयास तो नहीं कर रहा है, वह दबाव तो नहीं डाल रहा है। इस पैसे से आम जनता के प्रति जो हमारी कमिटमेंट है, वह तो खत्म नहीं हो जाती है।

मेरा कहना है कि इन सारी चीजों के पहले, इन तीन-चार चीजों के बारे में यदि हम रिफॉर्म्स की बात करते, चीजों की बात करते तो मुझे लगता है कि उसके बाद आता कि यह कंपलसरी वोटिंग का क्या सवाल है। इसके ऊपर मैं आपको बताऊ कि मैं कोई पहला आदमी नहीं हूँ, जो यह बातें कर रहा है, सन् 1990 में दिनेश गोस्वामी की एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने इन सारी चीजों को यह करते हुए कंपल्सरी वोटिंग के बारे में भी बात की थी। दिनेश गोस्वामी साहब फाइनली इस कनक्लुज़न पर पहुंचे कि पहले इस तरह के रिफॉर्म्स को हम कर लें, यदि उसके बाद हम कंपल्सरी वोटिंग पर जाते हैं तो ज्यादा सुविधा होगी। उसी तरह से सन् 1993 में एन.एन. वोहरा साहब, जो अभी जम्मू-कश्मीर के गवर्नर हैं, उनकी कमेटी बनी और उन्होंने सबसे ज्यादा जो ज़ोर डाला कि जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलटिक्स हो रहा है, आज तो मान लीजिए कि काफी ट्रांस्पेरेंसी आ गई है, काफी सिस्टम में बदलाव आ गए हैं, उसमें लॉ मिनिस्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन सन् 1993-94 के जो हालत थे, वे यह थे कि नेता कौन हो रहा था? नेता जो था, वह अपराधी हो रहा था। मैक्सिमम राजनीतिक पार्टियों के लोग, खासकर जो रीजनल पार्टियाँ थीं, रीजनल पार्टियों के जो लोग जीत रहे थे, मैं दूसरे की बात नहीं करता, मैं बिहार, झारखंड का सबसे ज्यादा उदाहरण देता हूँ, मैं बहुत ज्यादा कोई प्रीच नहीं करना चाहता हूँ। उस वक्त सिचुएशन यह थी कि जो जनता का नेता बन रहा था, वह गुंडा बन रहा था, इसी कारण से एन. एन. वोहरा कमेटी ने क्रिमिनिलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात कही, इलेक्टोरल रिफार्म्स की बात कही, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि अभी वह मौका नहीं है कि हम किसी आधार पर अभी कंपल्सरी वोटिंग की तरफ जाएंगे। इसके बाद इंद्रजीत गुप्ता ने इसके बारे में काफी डिलेबरेशन किया। उनकी रिपोर्ट वर्ष 1998 की है। उन्होंने जो विशेष बात कही, वह विशेष बात यह कही कि इलेक्शन की स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। मुझे लगता है कि यह बहुत ही बेहतर है, यह सभी राजनीतिक दलों के सोचने का सवाल है कि यदि स्टेट फंड करता है, यदि सरकारी फंड के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो कहाँ बैनर लगेगा, कहाँ पोस्टर लगेगा, कहाँ मंच बनेगा, कहाँ माइक लगेगा, कहाँ डिबेट होगी, कौन पोलिंग एजेंट बनेगा, कौन से पोलिंग बूथ पर

जाएंगे तो ये सारी चीजें ट्रांसपरेंट तरीके से होंगी। इससे एक सिचुएशन डेवलप होगी कि जो काबिल आदमी है, डेमोक्रेसी में काबिल आदमी का मतलब यह है कि जो जनता के बीच में सेवा करता है। काबिल आदमी से मेरा मतलब कोई पढ़े-लिखे आदमी से नहीं है। मेरा मतलब यह है कि जनता की जो समस्याये हैं, उसके साथ जो रूबरू होंगे। इस संबंध में एक इंद्रजीत गुप्ता कमेटी बनी। इसके बाद वर्ष 1999 में लॉ कमीशन को एक जिम्मेदारी दी और उसने इलेक्टोरल रिफार्म्स के लिए काफी कुछ रिकमेंडेशन किये, जिसके आधार पर हमने 2000, 2001, 2002, 2003 में इतनी चीजें कर ली हैं, जिसके कारण अब हमें लगता है कि काफी कुछ ट्रांसपरेंट सिस्टम हो गया है।

इसके बाद सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमीशन, वीरप्पा मोइली साहब जो पूर्व कानून मंत्री थी, उन्होंने कहा, लेकिन कुल मिलाकर यह था कि सारे कमेटियों की जो रिपोर्ट थी, जितनी भी रिपोर्ट अभी तक आई हैं, उन सभी रिपोर्टों ने यह कहा है कि अभी वह मौका नहीं आया है, जहाँ हम कंपल्सरी वोटिंग की तरफ जा सकते हैं।

इसके बाद राइट टू वोट का अधिकार हमें कांस्टीच्यूशन ने दिया है। उसमें आर्टिकल 326, इसमें सबसे इंपोर्टेंट आर्टिकल 326 है। आर्टिकल 326 यह कहता है कि "Every person who is a citizen of India shall be entitled to be registered as a vote at any such election." वह इतना ही कहता है, लेकिन वही जब यह कहता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उसमें ड्यूटी जो पार्ट 4 (ए) में जो कांस्टीट्यूशन की फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उसको ड्यूटी के बारे में नहीं माना गया है मतलब राइट नहीं कहा गया है। जो कांस्टीट्यूशन का 4 (ए)है, वह यह कह रहा है कि यह राइट तो है, लेकिन यह ड्यूटी के आधार पर दिया है, इसको ऑब्लिगेट्री नहीं माना है, इसको परमानेंट नहीं माना है। इसी कारण से अभी हम जो संविधान की बात कर रहे हैं, हमने अभी 125वीं ऐनवर्सरी के तौर पर पूरे संविधान के ऊपर चर्चा की। कांस्टीच्युएंट एसेंबली में भी इसके ऊपर लगातार चर्चा चली थी। जब चर्चा चली तो जो आयंगर साहब थे, उनका एक विचार था कि कंपल्सरी वोटिंग उस वक्त कर देनी चाहिए। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, उसमें उनका सपोर्ट कई लोगों ने किया था। उसमें पंडित ठाकुर दास भार्गव, देशबंधु गुप्ता, प्रभुदयाल हिम्मत सिंह थे, जहाँ से आज मैं मेंबर ऑफ पार्लियमेंट हूँ, उसके एक क्षेत्र से प्रभुदयाल हिम्मत सिंह भी कभी मेंबर आफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, भूपिन्दर सिंह मान मतलब इन सारे लोगों ने कहा कि कंपल्सरी वोटिंग के बारे में देश को आगे बढ़ना चाहिए। यह दो बार हुआ, एक कांस्टीच्युएंट असेम्बली में हुआ और जब वे लॉ मिनिस्टर बन गए तो जब पार्लियामेंट में डिबेट चल रही थी तो उस वक्त भी हुआ, लेकिन उस वक्त डॉ. बी.आर.अम्बेडकर ने इन चीजों को निगेट किया और कहा कि भारत एक ऐसा देश है,

जहाँ अगड़े की बात होती है, पिछड़े की बात होती है, गाँव की बात होती है, गरीब की बात होती है, इसीलिए कभी भी किसी हालत में कंपल्सरी वोटिंग के लिए इस देश को आगे नहीं जाना चाहिए। मैं यह कह रहा हूँ कि जिनकी 125वीं ऐनवर्सरी हम मना रहे हैं, जिस संविधान की बात कर रहे हैं, वे हमसे बड़े तेज थे, उन्होंने एक-एक चीज के ऊपर चर्चा की और उन्होंने भी यह कहा कि अभी इस देश की सिचुएशन ऐसी नहीं है, जिसमें कंपल्सरी वोटिंग होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वर्ष 1946-47 की जो सिचुएशन थी और आज की सिचुएशन ऐसी है, जिसमें कोई इतना बड़ा परिवर्तन नहीं हो गया है कि कंपल्सरी वोटिंग की तरफ हम जा पाएं।

16.00 hours

2001 में एक कंसलटेशन पेपर निकाला गया और उसके बाद एक तारकुंडे कमेटी बनी। तारकुंडे कमेटी ने जो कंपलसरी वोटिंग पर कहा, वह इस सदन के लिए जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा -

> "We have seriously considered the desirability of making it compulsory for voters to cast their votes in these elections. It appears to us that compulsory may be resented by the voters and may prove counter-productive. It is desirable that compliance with the duty to cast one's vote should be brought about by persuasion and political education rather than compulsion. Moreover, the implementation of a law of a compulsory voting is likely to be very difficult and may lead to abuse. "

जहाँ शिक्षा नहीं है, अभी भी बिहार का वोट डालते हुए हमने यह कहा कि लोग जाति से ऊपर नहीं उठ पाए, लोग अपने कुनबे से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। वहाँ यदि आप कंपलसरी वोटिंग की बात करेंगे ...(व्यवधान)

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): I object to this. बिहार के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत सोच-विचार से उन्होंने वोट दिया है, जात पर न पात पर उन्होंने वोट दिया है। उनको मालूम है कि देश के लिए क्या अच्छा है, क्या खराब है।

श्री निशिकान्त दुबे: हमने यह नहीं कहा कि देश ने क्या कहा।

SHRI TATHAGATA SATPATHY: Let us never deride people.

श्री निशिकान्त दुबे : हमने यह नहीं कहा कि देश ने क्या कहा, हमने यह नहीं कहा कि सत्पथी साहब ने क्या कहा। हमने यह कहा कि हमने क्या कहा। हमने अपनी पार्टी की बात कही है और हमको अपनी बात

करने का पूरा अधिकार है। इसीलिए सत्पथी साहब शायद मेरी बात से सहमत होंगे। मैंने तो तारकुंडे साहब ने क्या कहा, उसको क्वोट किया और उसके कंटैक्स्ट में वे बातें कहीं।

कंपलसरी वोटिंग के लिए ऐसा नहीं है सीग्रीवाल साहब 16वीं लोक सभा में पहली बार बिल लेकर आए हैं, इस सदन में इससे पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है। 2003 में आगरा के सांसद भगवान शंकर रावत जी इस बिल को लाए थे और 2009 में जे.पी.अग्रवाल साहब भी इस बिल को लाए थे। इसलिए माननीय सदस्य बधाई के पात्र हैं कि 1952 के बाद से तीसरी बार ऐसा हुआ है कि हम इस सदन में इन बातों को डिसकस कर रहे हैं। उस वक्त के तत्कालीन लॉ मिनिस्टर मोइली साहब थे, उनकी बात से मैं एग्री करता हूँ, उन्होंने उस वक्त जो कहा, वह सही कहा। Mr. Moily cautioned against such a move observing that it was coercive, difficult for the Government to implement and ignorant of causes of non-voting such as illness, pre-occupation and use of force by political parties. ये जो तीन बातें हैं जो मोइली साहब ने कहीं, ये भी पोलिटिक्स में ध्यान देने वाली बातें हैं। वे कह रहे हैं कि एक तो गवर्नमैंट के लिए इसको इंप्लीमैंट करना मुश्किल है। इंप्लीमैंट करना मुश्किल इसलिए है कि जैसे हमारे यहाँ, खासकर ईस्टर्न इंडिया के, जहाँ से श्री सत्पथी भी आते हैं, वे सारी चीज़ों का कंटैस्ट करते रहते हैं कि बिहार है, ओडिशा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, बंगाल है, हम लोगों के यहाँ बेरोज़गारी एक बड़ी समस्या है। बेरोज़गारी एक बड़ी समस्या होने के कारण लोग कमाने के लिए कहीं न कहीं दूसरी जगह जाते हैं। जब वे दूसरी जगह जाते हैं तो कोई पंजाब में काम कर रहा है, कोई कश्मीर में काम कर रहा है, कोई दिल्ली में काम कर रहा है, कोई मुम्बई में काम कर रहा है। आप यदि ज़बर्दस्ती करेंगे कि वह वोट डालने जाएँगे तो वह अपनी नौकरी छोड़कर जाएँगे, वे अपना पैसा खर्च करके जाएँगे। तो इसको इंप्लीमैंट करना आप समझिए कि कितना मुश्किल होगा। वह कहेंगे कि या तो हमको पैसा दीजिए। इतने लोगों को एक जगह से ले जाना, लाना, यह सबसे बड़ा सवाल है। गवर्नमैंट के लिए इंप्लीमैंट करना सचमुच मुश्किल का काम है जैसा उन्होंने कहा।

दूसरी बात उन्होंने कही कि मान लीजिए कोई बीमार है। हमारे यहाँ कई जगह है कि हमारे यहाँ बीमारी का सर्टिफिकेट देने के बाद भी कई लोगों को लगता है कि बहाना बना रहा है। लेकिन सचमुच का कोई बीमार हो सकता है। मैं आपको बताऊँ कि जब से मैं यहाँ दिल्ली आया हूँ पिछले 25 सालों से, साल में दो-तीन दिन छूट जाएँ तो अलग बात है, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं है कि कोई न कोई आदमी एम्स में इलाज कराने के लिए निश्चित तौर पर यहाँ पड़ा हुआ न हो। यदि एक आदमी यहां इलाज कराने के लिए निश्चित रूप से पड़ा हुई है तो उसके साथ उसके पूरे परिवार के लोग यहां मौजूद होते हैं तो इलनैस के कारण आप कैसे कम्पैल कर सकते हैं। आप तो कहिएगा कि एक आदमी का सर्टीफिकेट देगा, लेकिन यह

हिन्दू वे ऑफ लाइफ है, हिन्दू सोसायटी है तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि किसी दूसरे देश की तरह एक आदमी यदि बीमार है तो एक ही आदमी जिम्मेदार है। डॉक्टर यदि सर्टीफिकेट देगा तो एक ही आदमी की बीमारी का सर्टीफिकेट देगा। लेकिन उसका कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई वाइफ है, कोई चाचा है, कोई भतीजा है, कोई रिश्तेदार है, वह भी उसकी तीमारदारी में लगा हुई रहता है। उसे वह किस तरह का सर्टीफिकेट देगा, आप तो उसको नहीं मानिएगा, आप तो कहिएगा कि नहीं, यह बड़ा मुश्किल है।

तीसरा, प्रीऑक्यूपेशन है। प्रीऑक्यूपेशन यह है कि किसी दिन आपने वोट का तय कर दिया है, लेकिन किसी का कोई शादी-विवाह है। हमारे यहां तो एक जोइंट फैमिली का कांसैप्ट चलता है। आप तो ऐसा नहीं कहते हैं कि उस दिन कोई पूजा-पाठ नहीं होगी, कोई शादी-विवाह नहीं होगा, कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, ऐसा इस देश में सम्भव नहीं है। प्रीऑक्यूपेशन के कारण भी यह सम्भव नहीं है। इन कारणों से इन चीजों का इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है, लेकिन इन चीजों की बहस एक इतने बड़े मुद्दे पर चल रही हैं कि 2009 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया। अतुल सरलोंडे ने सुप्रीम कोर्ट में एक पी.आई.एल. की और अप्रैल, 2009 में दो जज की बैंच ने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट दिया और मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है। उसमें जस्टिस बालाकृष्णन साहब, जो कि बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने और जस्टिस सदाशिवम साहब थे, जिनकी अभी चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा:

> "We are not agreeable to your suggestion that electricity and water connection should be cut if anyone does not vote. These are inhuman methods to make a voter go to the polling booth."

जो पी.आई.एल. करने वाले थे, पी.आई.एल. करने वालों ने कहा कि आप इलैक्ट्रिसिटी और वाटर कनैक्शन काट दीजिए। कम्पलसरी वोटिंग यदि आप कराना चाहते हैं, जिसके बारे में मैं बाद में डैलीब्रेशन करूंगा तो किसी न किसी इकोनोमिक सैंक्शन की तो बात आप करते हैं तो ये जो पी.आई.एल. कर्ता थे, ये एक कदम और आगे बढ़े और ये कहते हैं कि पीने का पानी और बिजली काट दो। यदि इस तरह से सिस्टम से आप कम्पलसरी वोटिंग नहीं करेंगे तो आपका पीने का पानी काट देंगे, मतलब आदमी बिना खाने के तो रह सकता है, लेकिन बिना पानी पिए हुए वह कितने दिन रह सकता है, आप इसे समझिये।

हम और आप सभी जन-प्रतिनिधि हैं, यदि चुनाव में या गांव में सबसे महत्वपूर्ण आज कोई विषय है तो वह ट्रांसफार्मर लगाना है, गांवों में बिजली देना है। यदि आप अपने एम.पी.लैड फंड से कहीं किसी गांव में इलैक्शन के समय या इलैक्शन से पहले ट्रांसफार्मर लगा देते हैं तो गांव का गांव आपको वोट करता है कि इन्होंने मुझे बिजली दी और यदि आप ये दो काम करेंगे तो आपको लगता है, सीग्रीवाल साहब, मान लीजिए कि जैसे आपका बिल हम पास कर देंगे तो कहेंगे कि इसी के कारण हमको बिजली और पानी नहीं

मिल रहा है तो क्या होगा। सवाल यह है कि इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है, जो आपका बिल आया है या जो कम्पलसरी वोटिंग के लिए कहते हैं, वे इसके पीछे तीन-चार रीज़न देते हैं कि क्या होगा। सबसे पहला रीज़न देते हैं कि उससे वोटर टर्नआउट इन्क्रीज़ हो जायेगा। अभी जब चुनाव होता है तो अर्बन एरियाज़ में मुश्किल से 40, 45, 50 परसेंट वोट होता है और रूरल एरियाज़ में 60-65 परसेंट होता है। लोक सभा में 55 से 60 परसेंटेज के आसपास है, विधान सभा में भी लगभग उतना ही होता है। लोकल बॉडीज़ में थोड़ा बढ़ जाता है। इसके पीछे एक रीज़न है कि उससे टर्नआउट का एक बेसिक इन्क्रीज़ हो जायेगा। इसमें 1997 में एक डिबेट हुई, उसमें जो आर्ग्यूमेंट दिया गया, इसमें 171 देशों का1997 में एरेन लिस्फार्ट ने अमेरिका में एक आर्टीकल लिखा। उसने 171 देशों के पूरे डाटा को लिया और उसमें 28 देशों के डाटा को विशेष तौर पर लिया, जहां आज की तारीख में कम्पलसरी वोटिंग है। आपको आश्चर्य होगा कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, वह केवल 7.37% है। 171 देशों के डाटा में से 28 वैसे देश हैं, जहां कम्पलसरी वोटिंग है। 171 देशों के डाटा को अगर आप देखेंगे तो उसमें 7.37% का ही दोनों के बीच डिफरेंस है। इसलिए जो लोग यह आर्ग्यूमेंट करते हैं कि इससे वोटर टर्न आउट बढ़ जाएगा, तो यदि इस आर्टिकल और इस डाटा को आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि उससे यह पर्पस सॉल्व नहीं होता है।

इसके बाद एक इन-ह्यूमन सजेशन है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वह वाटर हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, और तीसरा बीपीएल कार्ड के बारे में आप कह सकते हैं कि वे बीपीएल कार्ड के लिए इंटाइटल नहीं हैं, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत मुफ्त बिजली के लिए वह इंटाइटल नहीं है। लेकिन, हमारे यहां जो सिचुएशन है, वह दूसरी है। हमारे यहां गरीबों को सिखाने की बात नहीं है। दूसरे 28 देशों में, जहां यह कानून लागू हुआ है, वहां तो ये चीज़ें समझ में आती हैं। पर, हमारे यहां यह उलटा है। मैंने यह बात की कि अर्बन वोटिंग परसेंटेज कम है और रूरल वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, तो यह यह दर्शाता है कि जो लोग अपने आप को ज्यादा पढ़ा-लिखा हुआ मानते हैं, ज्यादा रिच मानते हैं, उनकी सोच इस चुनावी सिस्टम के प्रति कम है। लेकिन, जिनके बारे में हम बराबर कहते हैं कि जो गरीब लोग हैं, वे इसके बारे में नहीं सोचते हैं, तो हक़ीकत यह है कि वे ही ज्यादा सोचते हैं और वे ही ज्यादा परसेंटेज में वोट देते हैं। जब आप इसके लिए सैंक्शन लगाने की बात करेंगे तो आप इसमें क्या करेंगे? मान लीजिए कि आप इसके लिए किसी अमीर के घर की बिजली काट देंगे, तो वह क्या करेगा? उसके पास इतना पैसा है कि उस स्थिति में वह जेनरेटर यूज कर लेगा। मान लीजिए आप किसी अमीर व्यक्ति को पानी नहीं देंगे, तो उसके लिए टैंकर से पानी आ जाएगा। बीपीएल और एपीएल कार्ड की उसको आवश्यकता ही नहीं है। मान लीजिए कि आप किसी के ऊपर 50 हजार रुपए, किसी को एक लाख रुपए तो किसी को दो

लाख रुपए का लगा देंगे, तो अमीर आदमी तो उसे दे भी सकता है, पर गरीब आदमी कहां से देगा? सवाल यह है कि यहां अमीर और गरीब के बीच में जो इतनी खाई है और गांव का आदमी, गरीब आदमी, किसान, शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब के लोग हमारे यहां ज्यादा पैमाने पर वोट करते हैं। अमीर और गरीब के बीच में आपको एक खाई बनानी पड़ेगी, तभी आपका यह सिस्टम लागू हो पाएगा।

इसके बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि इससे पॉलिटिकल पार्टीसिपेशन और डिबेट ज्यादा बढ़ेगा, मतलब इससे ज्यादा से ज्यादा लोग पॉलिटिक्स में आएंगे। उन्हें लगेगा कि चुनाव एक ऐसा अधिकार है, जिसमें सबकी सहभागिता और सबकी ऊर्जा की आवश्यकता है। इसलिए लोग पॉलिटिक्स के प्रति आकर्षित होंगे। जैसे हम लोगों का पायजामा-कुर्ता पहनना खतरनाक हो गया है। लोगों को लगता है कि इन्हें कोई काम नहीं है, तो यह नेता बन गया होगा। जिस तरह से यह सिचुएशन है, यह फैक्ट है। इस सिचुएशन को बिगाड़ने में हम लोगों का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि हम एक-दूसरे को एक्सपोज़ करने के लिए ऐसे तुले रहते हैं कि कोई अच्छा काम भी करता है, तो उसे नहीं बताते हैं।

मान लीजिए कि हम सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर कोई डिबेट करते हैं। मैं जिस कमेटी में हूं, उसमें मैं बार-बार कह रहा हूं कि सीएजी को इस पार्लियामेंट का पार्ट होना चाहिए। उसकी जो कमिटमेंट है, वह पार्लियामेंट के प्रति होनी चाहिए। पर, इसमें क्या होता है? वे अफसर हैं। उन्होंने वर्षों तक किसी न किसी मंत्री के नीचे काम किया है। वह चाहे इलेक्शन कमिश्नर बन रहा हो, सीएजी बन रहा हो या सीवीसी बन रहा हो। खड़गे साहब लोकपाल वाली कमेटी में हैं। वे संयोग से यहां बैठे हैं। वह अधिकारी आपके पीछे-पीछे घूमते रहते हैं कि मुझे यह बना दीजिए, मुझे मेम्बर बना दीजिए, कमेटी का चेयरमैन बना दीजिए। खड़गे साहब, आप बताइए, ऐसे अधिकारी आपके पास आते हैं या नहीं? लेकिन, जब वह उस कुर्सी पर बैठ जाता है तो हम उसे एक फुलप्रूफ बॉडी मान लेते हैं और यह मान लेते हैं कि वह जो कह रहा है, वह सही कह रहा है।

HON. CHAIRPERSON : Shri Dubey, please stop for a while.

Hon. Members, since the time allotted for discussion of this Bill is almost complete and as there are eight more Members to take part in the discussion on the Bill, the House has to extend time for further discussion on the Bill.

If the House agrees, the time for discussion of this Bill may be extended by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, I have a strong objection to this aspect because the Bill has already taken six hours and almost all the speakers have spoken at length and the discussion is getting prolonged. The next Bill to be considered or taken up by this House is the Rights of Transgender Persons Bill which was passed by the Rajya Sabha. I would like to know whether the Government is serious about it. Though the Government is not there, I would like to know whether this House is serious in taking up the Bill of the deprived and the disempowered section of society, that is, transgenders.

This is quite unfortunate to see that discussion on this Bill is being prolonged like anything. Even after six hours, the lengthy discussion is still going to take place. So, I have a strong objection to extending the time for discussion on this Bill because the other Bill should also be given an opportunity to be moved before this House so that a fruitful discussion on the Bill relating to transgenders may also take place. Otherwise, a bad message will be going because somebody or this House is trying to scuttle the movement of this Bill relating to transgenders which was passed by the other House. So, my submission is that the other Bill may also be taken into consideration. Otherwise, such a message from this House is going.

Specially, this Bill is in the Private Members' Bill section and the Government has no role. This is my personal right and that right is being infringed. So, I would like to have a ruling from the Chair on this point.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): मैडम, जो प्रेमचन्द्रन जी ने कहा, गवर्नमेंट उस पर बहुत सीरियस है। लेकिन जो कंपल्सरी वोटिंग बिल है, यह भी बहुत सीरियस है। यह भी प्राइवेट मेंबर लेकर आए हैं। हाउस का सेंस लेकर आगे चलिए। अगर लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यह मना कैसे कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करना लोगों का अधिकार है। हम उसमें भी इंट्रेस्टेड हैं। ...(व्यवधान)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: It has already been discussed for six hours. … (*Interruptions*)

श्री अर्जुन राम मेघवाल :यह प्रैक्टिस रही है कि हाउस आगे बढ़ता रहा है। ...(व्यवधान) ऑवर्स बढ़ते रहे हैं, यह प्रैक्टिस रही है।

HON. CHAIRPERSON: Let me know the decision of the House.

If the House agrees, the time for discussion may be extended by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI D.V. SADANANDA GOWDA): Madam, as far as Rights of Transgender Persons Bill is concerned, there is no reservation either by the Government or by the House. That is my opinion. A wrong message should not go to the public as if we are scuttling the debate on the Bill relating to transgenders. We do not have any reservation as far as that matter is concerned.

I would also submit that the Compulsory Voting Bill is also one of the important Bills because the whole country wants to have electoral reforms. For that reason, this discussion cannot be curtailed. The Members should be given an opportunity to participate in the discussion.

HON. CHAIRPERSON: Shri Dubey, please complete your speech.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Madam, I do have a strong objection. Please take the sense of the House.

HON. CHAIRPERSON: I have already told.

If the House agrees, the time for discussion of the Bill may be extended by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: This is the opinion of the House.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Dubey, please continue.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam Chairperson, then I have to make a serious objection, but that will embarrass the Government. I do not want to do that.

HON. CHAIRPERSON: Please do not bring that.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : You count your Members and then talk.

SHRI NISHIKANT DUBEY: Kharge *saheb*, this is the time for Private Members' Business.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Does it prohibit raising the question of quorum? … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Dubey, please continue.

श्री निशिकान्त दुबे : धन्यवाद महोदया। अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इससे लोगों को लगता है कि इसमें क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और डिबेट का जो स्तर है, वह ऊपर हो जाएगा। मैं दो उदाहरण देना चाहूँगा कि वर्ष 2007 में हूग ने एक एनालिसिस किया। उसने बेल्जियम के इलेक्शन डाटा का, जहाँ कंपल्सरी वोटिंग है और क्यूबेक प्रोविन्स का डाटा लिया। बेल्जियम में नॉलेज इफेक्ट्स क्या है कि सैंक्शन है, बेल्जियम ने अपने नागरिकों को एक सैंक्शन लगा रखा है, इसीलिए वे कंपल्सरी वोट करते हैं कि वोटेड टू एवाइड सैंक्शन। क्यूबेक, जहां कंपल्सरी वोटिंग है, वहां वोट होता है क्योंकि उनको भी दूसरे प्रकार का फाइनैंशियल सैंक्शन है। विदेशों में ज्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या इस तरह के छोटे कंट्रीज हैं, उसमें फाइनैंशियल सैंक्शन बहुत बड़ा विषय है।

उन दोनों का डाटा लेने के बाद रिसर्चर हूग ने एक समरी थी कि

> "… though a sufficient motivator for getting an uninformed voter to the polls, avoiding forgoing money cannot be assumed to be a sufficient motivator for getting him or her to learn more about politics…".

वे जबर्दस्ती वोट करने चले जाते हैं। वोट नहीं करने से उनको कोई फाइनैंशियल खतरा हो जायेगा, विदेशों में वह मोर और लेस है, हमारे यहां " तेते पांव पसारिए, जेती लांबी शौर" है, मतलब हमारे पॉकेट में जितना पैसा होगा, उतना ही पैसा हम खर्च करेंगे। लेकिन विदेशों में जो सिस्टम है, वह आपको पता है कि लोग क्रेडिट काड्र्स पर चलते हैं। यदि उनके क्रेडिट काड्र्स पर फाइनैंशियल सैंक्शन लग जायेगा तो कहीं न कहीं वे मर जायेंगे, उनके लिए वह सबसे महत्वपूर्ण है। बेल्जियम और क्यूबेक का जिसने रिसर्च किया, वह रिसर्चर कह रहा है कि इतना होने के बावजूद भी जो लोग वोट कर रहे हैं, उनको भी पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता है, पॉलिटिक्स से क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, किस पॉलिटिकल पार्टी का क्या आइडियोलॉजी है, कौन सी चीजें हैं? लोग कहते हैं कि इससे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और डिबेट बढ़ेगा, कम्पलसरी वोटिंग जहां लागू है, उसमें यह लागू हुआ कि उससे ये चीजें तय नहीं होती हैं। इसके बाद एक और थ्योरी है। आस्ट्रेलिया की थ्योरी सबसे महत्वपूर्ण है कि आस्ट्रेलिया में जो कम्पलसरी वोटिंग हुयी, उसमें वह 123 प्रतिशत इंक्रिज हुआ और उसमें यह देखा गया कि डाँकी वोटिंग, जो इस डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज्यादा मौत वाली बात है कि कहीं कम्पलसरी वोटिंग हो गयी। आस्ट्रेलिय जैसे जगह में डाँकी वोटिंग हो रही है और वह कह रहा है कि

> "… which occurs when apathetic voters simply choose the first name on a ballot…".

उनको कुछ पता ही नहीं है कि वह किस को वोट डालने जा रहा है। उनको वोट डालना है तो वोटर लिस्ट या बैलेट में जो पहला नाम है, उसी को वोट देना है। यह डाँकी वोटिंग है। मतलब आप यह समझिये कि जहां कम्पलसरी वोटिंग लागू है, वहां की यह स्थिति है। वर्ष 1984 में मैकलिस्टर ने वहां के बारे में बहुत बढ़िया स्टडी की है कि

> "… Australian candidates with a surname in the first third of the alphabet; whereas, such effects were not visible in the British elections …".

मतलब यह कि आस्ट्रेलिया में उन्होंने पहले नम्बर से लेकर तीसरे नम्बर तक लिस्टेड लोगों को वोट दे दिया, यह इन्होंने कहा। लेकिन ब्रिटेन में ये चीजें लागू नहीं हैं। ब्रिटेन में लोग पार्टी, आइडियोलॉजी और उनके किए हुए कामों के नाम पर वोट देते हैं, जो हिन्दुस्तान में लागू है। मेरा कहना है कि आस्ट्रेलिया के मॉडल को भी आप लेंगे तो वहां ये चीजें संभव नहीं हैं। इसीलिए उसने अपने रिसर्च में कन्क्लूड किया।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: वर्ष 2014 में डाँकी वोटिंग हो गयी।

श्री निशिकान्त दुबे : इसका मतलब यह है कि खड़गे साहब ने जबर्दस्ती वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सारे उम्मीदवारों को नाम नम्बर एक से नम्बर तीन के बीच में डाल दिया होगा, इसलिए डाँकी वोटिंग हुयी। इसके लिए आपका धन्यवाद। उसने कंक्लूड किया।

> "… To conclude, there is no evidence that individuals will seek out more information in a bid to fulfill their voting obligation; and compulsory voting will not necessarily improve the quality of civic engagement… ".

मैकलिस्टर का रिसर्च इन चीजों को कंक्लूड करता है। इसके बाद तीसरा सवाल इक्वैलिटी की बात करता है। इसके बारे में, मैं बहुत बोल चुका हूं कि इक्वैलिटी यह है कि दूसरे देशों में जहां-जहां ये चीजें लागू हैं कि जो नौकरीपेशा लोग हैं, जो गांव-गरीब, किसान लोग हैं, वे कम वोट करने जाते हैं और शहर के लोग ज्यादा वोट करते हैं। हमारे यहां वह सिचुएशन अलग है। यदि हमारे यहां वह उल्टा है, तो हमारे यहां वह भी पैमाना नहीं हो सकता है। उसके बाद कॉन्स्टीटूशनली जो रिप्रजैंटेटिवनेस लोगों को लगता है कि गांव का गरीब किसान, शेड्युल्ड कास्ट, शेड्युल्ड ट्राइब का जो रिप्रजैंटेशन है, दूसरे जगह लगता है कि जिसकी ज्यादा हिस्सेदारी होगी, जिस एरिया के जहां लोग होंगे, वे यदि ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका रिप्रजैंटेशन इस डेमोक्रेसी में बढ़ जाता है।

कम्पलसरी वोटिंग में लोग इन चीजों को बताते हैं। हमारे यहां ये चीजें नहीं हैं। हमारे यहां सिचुएशन है कि हमने शैडयूल्ड कास्ट्स के लिए सीट रिजर्व कर रखी है, शैडयूल्ड ट्राइब्स के लिए सीट रिजर्व कर रखी है, अभी हम महिला रिजर्वेशन की भी बात कर रहे हैं।...(व्यवधान) बात कर रहे हैं, करेंगे, नहीं करेंगे, वह सरकार तय करेगी, यहां जितने विद्वान लोग हैं, वे तय करेंगे। मैं केवल यह कह रहा हूं कि कर रहे हैं। यहां दो एंगलो-इंडियन पीछे बैठे हुए हैं। उनके समुदाय का कैसे रिप्रैजैंटेशन होगा, उसके लिए भी हमने दो सीट रिजर्व कर रखी है। सारे सैक्शन का जो रिप्रैजैंटेशन है, वह हमारे यहां पहले से कौन्सटीट्यूशन में मौजूद है। इसीलिए कम्पलसरी वोटिंग से हमारी वे चीजें बढ़ेंगी, यह जरूरी नहीं है या उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

नोटा का जो जजमैंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटा एक ऑप्शन हो सकता है और नोटा के आधार पर जो लागू हुआ, उसमें आर्टिकल 19 (1) बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 19 (1) की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा --

> "…a fine distinction between the right to vote and the freedom of voting as a species of freedom of expression."

यह सुप्रीम कोर्ट ने नोटा के सवाल पर कहा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन, संविधान में हमने मौलिक अधिकार दिया हुआ है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन क्या है - किसी को वोट देना। जैसे हम कहते हैं कि हिन्दू कोई धर्म नहीं है, हिन्दू एक कल्चर है और हिन्दू वे ऑफ लाइफ है। यह फैक्ट है कि हिन्दू वे ऑफ लाइफ है। यदि आप पूजा करना चाहते हैं, मंदिर में जाना चाहते हैं, भगवान को प्रणाम करना चाहते हैं, तो बहुत बढ़िया है, आप हिन्दू हैं। यदि आप पूजा नहीं करना चाहते, मंदिर में नहीं जाना चाहते तो भी आप हिन्दू हैं। पूजा करने और नहीं करने से, पूजा पद्धति को मानने न मानने से आपकी हिन्दू आइडैंटिटी पर कोई खतरा नहीं है। उसी तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन में वोट डालना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, वोट नहीं डालना चाहते तो भी बहुत बढ़िया बात है, कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं, नोटा लागू करना चाहते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन को रोकने के लिए कहें कि वोट डालना ही है। कई लोगों को लगेगा कि हमें वोट नहीं डालना है। कौन्सटीट्यूशन का आर्टिकल 19 (1), नोटा के जजमैंट के समय सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कहीं। यदि आप कम्पलसरी वोटिंग पर जाएंगे...(व्यवधान)

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : सभापति महोदया,...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : मैडम, उनसे इंट्रोड्यूस करवा लीजिए।... (व्यवधान) मेरा भाषण बहुत लम्बा चलेगा, आप इंट्रोड्यूस कर लीजिए। सभापति महोदया, सुप्रिया सुले जी को इंट्रोड्यूस करने दीजिए, उसके बाद मैं अपना भाषण कंटीन्यू करूंगा।...(व्यवधान) मैं अभी एक घंटा बोलूंगा। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Shri Nishikant Dubey, please complete your speech.

श्री निशिकान्त दुबे : मैं लम्बा बोलूंगा।...(व्यवधान) मैं आर्टिकल 19(1) की बात कर रहा था और नोटा है, सुप्रीम कोर्ट, एक ऑब्जर्वेशन मैं पढ़ चुका, दो और ऑब्जर्वेशन हैं। उसने कहा --

> "The decision taken by a voter after verifying the credentials of the candidate either to vote or not is his right of expression under Article 19 (1) (a) of the Constitution.
>
> Thus coercing the citizens to be involved in the democratic process contravenes their freedom of expression while reeking of liberalism."

यह सुप्रीम कोर्ट ने नोटा के जजमैंट के बारे में कहा। इसके बाद फाइनली

> "Finally, political science perspectives on the complexity of democracies argue that democracies need to accommodate dissent and diversity of views. This includes the option of disengagement, namely, "right to abstain, to withhold assent, to refrain from making a statement or from participating", if people believe, "voting is mistaken, undesirable, unnecessary or immoral"."

ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट कहीं हैं और जब उसने अपने जजमेंट में ये बात कही तो हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कंस्टीट्यूशन का कस्टोडियन है। आप फंडामेंटल राइटस पर अटैक करने की बात करते हैं।

HON. CHAIRPERSON : Shri Dubeyji, how much time will you take? I would like to know whether we can permit Shrimati Supriya Sule to introduce the Bills.

SHRI NISHIKANT DUBEY: I have said that if you permit Shrimati Supriyaji, I have no problem. I have no issue.

HON. CHAIRPERSON: Okay, thank you.

16.31 hours

PRIVATE MEMBERS' BILLS -Introduced....Contd.

(xxvii) Waste Segregation and Collection Bill, 2015*

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for proper handling and disposal of household waste by prescribing norms and fixing duties on citizens and municipal authorities with regard to segregation and collection of municipal solid wastes and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is :

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for proper handling and disposal of household waste by prescribing norms and fixing duties on citizens and municipal authorities with regard to segregation and collection of municipal solid wastes and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRIMATI SUPRIYA SULE: I introduce** the Bill.

16.31 ½ hours

(xxviii) Environment (Protection) Amendment Bill, 2015*
(Insertion of new Chapter IIIA)

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Environment (Protection) Act, 1986.

HON. CHAIRPERSON: The question is :

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Environment (Protection) Act, 1986."

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 4.12.2015.

* *Introduced with the recommendation of the President.

The motion was adopted.

SHRIMATI SUPRIYA SULE: I introduce the Bill.

16.32 hours

(xxix)Compulsory Teaching of Financial Education in Educational Institutions Bill, 2015*

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for compulsory teaching of financial education in all educational institutions and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is :

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory teaching of financial education in all educational institutions and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRIMATI SUPRIYA SULE: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordintary, Part-II, Section-2 dated 4.12.2015.

16.32 ½ hours

(xxx) Mental Health (Amendment) Bill, 2015*
(Insertion of new Chapter IIIA)

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Mental Health Act, 1987.

HON. CHAIRPERSON: The question is :

> "That leave be granted to introduce a Bill to amend the Mental Health Act, 1987."

The motion was adopted.

SHRIMATI SUPRIYA SULE: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordintary, Part-II, Section-2 dated 4.12.2015

16.33 hours

COMPULSORY VOTING BILL, 2014 – Contd.

HON. CHAIRPERSON: Shri Nishikant Dubey to continue.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदया, दूसरा तर्क कम्पलसरी वोटिंग के लिए यह दिया जाता है कि इससे लोगों को बहुत बेनिफिट होगा, लेकिन कुछ चीजों को हम और आप आज नहीं समझ पा रहे हैं। मान लीजिए, किसी ने वोट नहीं किया, उसके लिए आप क्या करेंगे, शो-कॉज पूछेंगे, 80-85 करोड़ वोटर इस देश में होंगे, इनमें से आज वोट का परसेंटज लगभग 60% हैं, लगभग 30-35 करोड़ लोग इस देश में वोट नहीं करते हैं। अभी बिल के समय आपने कहा कि इतने केस पेंडिंग है, जज नहीं है, फाइनली तो कोर्ट में ही सुनवाई होगी, शो-कॉज पूछने के लिए कोई अधिकारी होगा। आप जिस इलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं उस प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन का कोई कॉडर हीं नही है, जो वहां अधिकारी होते हैं और चुनाव के समय आचार संहिता लागू हो जाती है, उनको जिलों में डेवलपमेंट का काम करना होता है चाहे वह कलेक्टर, बीडीओ, सीओ या और एक्जिक्यूटिव इंजीनियर हो, वे सारे लोग इस चुनाव में लग जाते हैं कि यह चुनाव दो-तीन महीने में खत्म हो जाता है। लगभग 30-35 करोड़ वोटरों ने वोट ही नहीं किया, शो-कॉज पूछने के लिए कितना लंबा प्रोसेस है, पूरे देश के डेवलपमेंट के सारे कामों को आप रोक देना चाहते हैं।

दूसरी बात है कि क्या बेंच के लिए सरकार के पास पैसा है? लाख केस सुनने के लिए, जज नहीं हैं, हाई कोर्ट में जज नहीं है, लोअर ज्यूडिशयरी में जज नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं हैं। जब भारत अलग हुआ था, अलग रीज़न में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बना, तब 33-35 करोड़ की पापुलेशन थी। अब पापुलेशन बढ़ती जा रही है और इस हिसाब से कोर्ट्स की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इनको सुनने के लिए कितने जजों की आवश्यकता होगी? वर्ष 2003 में भगवान शंकर रावत की कम्पलसरी वोटिंग पर चर्चा का जवाब देते हुए तत्कालीन लॉ मिनिस्टर ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी और मुझे लगता है कि हमारे लिए भी यह बात सोचने वाली है। के. वेंकटपति तब लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने 2003 में कहा - Such a participation in democratic process should better come out from the people voluntarily rather than by coercion or allurements. मतलब किसी को इंसेन्टिव दे देंगे। उस वक्त जो चर्चा भगवान शंकर रावत ने शुरु की, उसमें कहा गया कि वोटर को कुछ इन्सेन्टिव दे दें। मान लीजिए कि कोई वोटर बाहर से वोट डालने आता है, उसे आने-जाने का किराया दे दीजिए, टीए दे दीजिए, चीजें दे दीजिए, डीए दे दीजिए। तब कहा गया - A sense of duty in this regard should inform the people on their own, and it is the sense of duty which should be the motivating

factor in impelling people to turn up at the polling station in larger numbers. इसमें हमारी और आपकी ड्यूटी बनती है, लोगों की ड्यूटी बनती है, अपने आप की ड्यूटी बनती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह देश पाप और पुण्य से चलता है। यदि कोई कहे कि यह देश पाप और पुण्य से नहीं चलता या बड़े और छोटे के रिगॉर्ड से नहीं चलता है, तो मैं कहना चाहता हूं -

अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलभ्।

जैसे ही खड़गे साहब खड़े होते हैं, मैं बैठ जाता हूं। मैं इसलिए बैठ जाता हूं क्योंकि वह हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं, कोई ज्ञान की बात कर रहे होंगे, हमें गाईड करने की बात कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई जबरदस्ती है इसलिए मेरे कहने का यही मतलब है कि यह देश पाप और पुण्य से चलता है। देश में इतनी पुलिस फोर्स नहीं है जो कंट्रोल कर सके, क्राइम को कंट्रोल कर सके, चीजों को कंट्रोल कर सके। समाज में निर्भया जैसा कांड हो जाता है तो दिल्ली जैसा शहर उमड़ पड़ता है जबकि निर्भया हर किसी की बेटी नहीं थी, रिश्तेदार नहीं थी। इंडिया गेट पर लोग गए, उनको लगा कि देश में यह गलत हुआ है और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। उसी तरह जब तक हमारे मन में नहीं होगा कि डेमोक्रेसी हमारी है, देश हमारा है, कांस्टीटुएशन हमारा है, इसमें हमारे पार्टिसिपेशन की आवश्यकता है, जब तक लोग एक्टिव होकर नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा और यदि आप चाहेंगे कि जबदस्ती करा लें तो भी कुछ नहीं होगा।

महोदया, मैं आपको इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं, हम पार्लियामेंट में बैठे हैं, जब हमारी इच्छा होती है, हम सैंट्रल हॉल में चाय पीने के लिए चले जाते हैं, जब इच्छा होती है घर में खाना खाने चले जाते हैं। मेरी जब इच्छा होती है मैं इस कुर्सी से उठता हूं और खड़गे जी के पास चला जाता हूं प्रेमचन्द्रन जी के पास चला जाता हूं, तथागत जी के पास चला जाता हूं। यदि कहा जाए कि आप आते हैं, तो 40 नंबर पर ही बैठना है, 11 बजे से लेकर जब तक पार्लियामेंट का ताला बंद नहीं होता है, तब तक बैठना है, तब यहां कितने एमपी बैठेंगे? सवाल यह है कि जब हमें लगता है कि हमारी ड्यूटी है और आप उस तरह की जब तक एजुकेशन या अवेयरनेस लागू नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें सक्सेफुल नहीं हो पाएंगी। ...(व्यवधान) अभी हमारे बड़े भाई शत्रुघ्न जी आ गए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैं जब बोलता हूं, वह या तो टीवी पर देखते हैं या यहां आ जाते हैं, जैसे अभी टीवी पर देखते हुए आ गए हैं।...(व्यवधान)

महोदया, दुनिया में 28 देश हैं जहां कम्पलसरी वोटिंग है। मैं उसका एक कम्पेरेटिव चार्ट देना चाहता हूं कि कौन से देश हैं, उनकी क्या बातें भारत से अलग हैं। अब आप समझें कि 28 देशों में से 14 देशों ने लागू किया है, ये बहुत छोटे देश हैं, बेल्जियम, लिचेन्सटाइन, लक्समबर्ग, नौरु और एक कन्टोन

स्विट्जरलैंड का है। आप इन सब देशों को देखें, ये हमारे ब्लॉक के बराबर है भी या नहीं, यह भी नहीं पता है। इतने छोटे-छोटे कंट्रीज हैं कि एक पंचायत का इलैक्शन, एक ब्लॉक का इलैक्शन, एक जिले का इलैक्शन, मान लीजिए कि जिले के बराबर यदि कोई देश हो गया तो उसको तो आप किसी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, यहां तक कि हमारे यहां कई ऐसे राज्य हैं जहां कमपलसरी वोटिंग यदि नहीं भी है तो भी 85-90 प्रतिशत- सिक्किम जैसे राज्य जो हैं जहां टोटल वोट ही पांच लाख के आसपास है। इसी तरह से गोआ है जहां टोटल वोट ही 12-13 लाख के आसपास है, जैसे लक्षद्वीप है, जहां टोटल वोट, जैसे लोक सभा के एम.पी. जो जीतकर आते हैं, वहां टोटल वोट ही 48-49 हजार हैं। मान लीजिए कि इस तरह की चीजों में यह संभव है और 14 देश जो हैं, वे छोटे-छोटे हैं लेकिन जो देश इतना बड़ा है जहां 130 करोड़ का बेस है, उसमें ये चीजें कैसे संभव है? यह सोचने वाली बात है।

इसी तरह से जो दूसरे तरह के देश हैं, जैसे आस्ट्रेलिया, ब्राजील, लिक्वीडर, सिंगापुर, पेरू और उरुग्वे है। इन देशों के बारे में यदि आप देखेंगे कि इटली और नीदरलैंड में भी यह कानून लागू था। इटली भी एक अच्छा देश है और नीदरलैंड भी एक बड़ा देश है और इन दोनों देशों ने यानी 1993 में इटली ने और 1967 में नीदरलैंड ने, यानी हमसे पहले नीदरलैंड ने जब लागू किया था तो 1967 में उन्होंने यह सोचा कि इससे हम आम जनता को फायदा पहुंचाने के बदले नुकसान कर रहे हैं तो नीदरलैंड ने 1967 में इसको एबॉलिश कर दिया, इटली ने इसको 1993 में एबॉलिश कर दिया। ग्रीस में भी जिसके यहां उसका एनफोर्समेंट कमपलसरी था, वह वाला क्लॉज 1995 में खत्म कर दिया। जहां जहां यह लागू हुआ, वहां वहां यह फेल भी हुआ और फेल होने के बाद उसको कहीं न कहीं उन लोगों ने वापस किया। उसके बाद ग्रीस ने जब ये आइडिया खत्म कर रहे थे तो इसको खत्म करते हुए ग्रीस ने कहा कि:

"Is compulsory voting a dying phenomena in Western Europe? Perhaps in a few years, it will only be kept as a ghost in country's Constitution without any intention to enforce it."

SHRI MALLIKARJUN KHARGE(GULBARGA) : He has to speak on behalf of 282 Members. So, he has to justify from all of them.

श्री निशिकान्त दुबे : खड़गे साहब, आप तो बड़े हैं। हमेशा अच्छा होता है कि खराब से खराब भाषण में भी आपको बैठना पड़ता है क्योंकि आपकी मजबूरी है। ...(व्यवधान)

श्री तथागत सत्पथी (धेंकानाल) : आप इटली के बारे में बोलिए। सब सुनेंगे।...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे: मैडम, फिजी ने इसको 2014 में खत्म कर दिया। वहां भी यह लागू था और चिली ने 2012 में खत्म कर दिया। आप यह समझिए कि जहां जहां कमपलसरी वोटिंग थी, यानी मैं सदन को केवल यह बताना चाहता हूं कि जहां जहां कमपलसरी वोटिंग लागू हुई, वहां वहां यह सफल नहीं हुआ। मैंने अभी आपको जो उदाहरण दिये, फिजी ने 2014 में और चिली ने 2012 में इस कानून को खत्म कर दिया। इसी के बाद आस्ट्रिया ने जो उसका ट्रॉयल डिस्ट्रिक्ट था, जिसको वे रीनेम करना चाहते थे, उसके लिए 2004 में कमपलसरी वोटिंग का कानून खत्म कर दिया।

उसी तरह से जहां पर यह कमपलसरी वोटिंग है, जिसके बारे में मैंने आपको कहा, आस्ट्रेलिया जहां कि डीफॉल्टर्स को फाइन देना पड़ता है यदि आप वोटिंग के लिए नहीं जाते हैं तो फाइन देना पड़ेगा। उसके कारण आस्ट्रेलिया में भी यह चर्चा शुरु हो चुकी है कि हम इन चीजों को किसी और चीजों के साथ जोड़कर देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, आस्ट्रेलिया की अभी रीसेंट रिपोर्ट आई है कि वहां जो रिजेंटमेंट है कि वहां की सरकारें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, वहां भी फुल मेनडेट की सरकार नहीं बन पा रही है। इस कारण से आस्ट्रेलिया में भी इस तरह की चीजें चालू हो गई है और पेरू यह कह रहा है कि हम इस चीज को यदि लागू करते हैं तो पहले जैसे वोटर आइकार्ड के आधार पर जब आप ठप्पा मारते थे तो उसमें कुछ चीजों के लिए आप एलीजिबल थे। सोशल सिक्योरिटी के काम के लिए आप योग्य थे, इसे लागू रखना है या नहीं? पेरू में यह डिस्कशन का पार्ट है। इसके अलावा ब्राजील में महत्वपूर्ण बात यह चल रही है कि उसकी परिस्थिति कुछ भारत जैसी है। उसमें गरीब लोग उतनी पेनल्टी दे पाने की स्थिति में अपने आपको नहीं पाते हैं और इस कारण उन्होंने ब्राजील में एक ग्रुप बना रखा है और वे अगले चुनाव के लिए सारी राजनीतिक पार्टियों से कमिटमेंट चाह रहे हैं कि इस बार तो हम आपको वोट दे रहे हैं लेकिन अगली बार यदि वोट देने जाते हैं तो आप इसे खत्म करेंगे या नहीं, ऐसा ब्राजील में चल रहा है।

इसी कारण भारत सरकार ने लॉ कमिशन बनाया था। लॉ मिनिस्टर सदन में मौजूद हैं। उनका कंक्लूजन मार्च, 2015 में आया है। लॉ कमिशन ने अपनी रिपोर्ट यह दी है कि कहीं से भी कम्प्लसरी वोटिंग नहीं होनी चाहिए और उसके बारे में उन्होंने कहा हैः-

> "Thus the Law Commission does not recommend the introduction of compulsory voting in India and in fact, believes it to be highly undesirable for a variety of reasons described above such as being undemocratic, illegitimate, expensive, unable to improve quality of political participation and awareness, and difficult to implement."

15 मार्च 2015 को माननीय सदानंद गौड़ा जी को लॉ कमिशन ने दिया है और लॉ कमिशन ने बहुत ही डेलिब्रेशन किया है। उसने 270 पेज की रिपोर्ट दी है। उसमें ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं। मेरा उन

माननीय सदस्य से आग्रह है जो इस विषय को लेकर आए हैं और सरकार से भी कि कम्प्लसरी वोटिंग के स्थान पर कई दूसरी चीजें करने की आवश्यकता है क्योंकि हम जिस डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, उसमें पजामा-कुर्ता पहनना आजकल दुष्कर हो गया है। लोगों का कहना है कि कोई काम नहीं है तो पजामा-कुर्ता पहन लिया है। यदि आप अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं तो लोग कहेंगे किसी न किसी से कमीशन ली होगी। कहीं हवाई जहाज में परिवार के साथ जा रहे हैं तो कहेंगे कि किसी न किसी ने अरेंजमेंट कर दिया होगा। किसी पांच सितारा होटल में खाना खा रहे हैं तो कहेंगे कि किसी मोटी पार्टी को पकड़ रखा है। हमने इसमें बहुत पारदर्शिता की है लेकिन कुछ न कुछ ऐसा है जिसे बदलने की बात है। मेरा कहना है कि सैक्शन 77 रिप्रेजेंटेटिव्स पीपल्स एक्ट है, उसमें आथोराइज केंडिडेट के द्वारा जो इलेक्शन एक्सपेंसिस हैं, वे सैक्शन 77(1) जो है, जो डेट आफ नोटिफिकेशन से एप्लाई होता है, इसमें एक अमेंडमेंट की आवश्यकता है। उसके पहले भी कोई पोलिटिकल पार्टी अगर लगातार पैसा खर्च करती है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम सीटिंग एमपी हैं, हम कोई न कोई रैली करते रहते हैं, लोग सोचते हैं कि हम इलेक्शन कमिशन को बताते हैं कि हमने दस लाख खर्च किया या इतने पैसे खर्च किए, तो लोग कहते हैं कि झूठ की खानापूर्ति करने के लिए कह रहे हैं। मेरा मानना है कि सैक्शन 77(ए) में आपको बदलाव करने की आवश्यकता है।

दूसरी बात यह है कि पालिटिकल पार्टीज को जो चंदा मिल रहा है, उसमें पारदर्शिता नहीं है। मेरा दूसरा आग्रह है कि सैक्शन 182(1) जो कम्पनीज एक्ट वर्ष 2013 का है, उसमें संशोधन करना चाहिए कि जो पैसा पालिटिकल पार्टी को कम्पनियां दे रही हैं, वे बोर्ड आफ डायरेक्टर्स अपने आप तय कर लेते हैं जबकि आपको पता है कि कम्पनियों में इक्विटी मुश्किल से दो परसेंट, चार परसेंट, दस परसेंट होती है और 90 परसेंट पैसा कम्पनियों में आम लोगों का है। इसके लिए एनुअल जनरल मीटिंग की आवश्यकता है। एजीएम के बिना ही बोर्ड आफ डायरेक्टर्स उसे पास कर लेते हैं। मेरा मानना है कि आप इसमें अमेंडमेंट कीजिए कि जो पालिटिकल पार्टी को चंदा दिया जाएगा, वह एजीएम से तय होगा न कि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स से तय होगा। इसके अलावा जो डिस्क्लोजर है, 78 रिप्रेजेंटेशन आफ पीपल्स एक्ट का, उसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। एक न्यु सैक्शन 78 (ए) लगाने की आवश्यकता है जिससे कि जो डिस्ट्रिक्ट इलैक्शन आफिसर है, वह अपनी वेबसाइट पर इंस्पेक्शन करता है, दौरा करता है कि किस आफिसर ने क्या चीजें की हैं और कौन-सी नहीं की है। हमारे और आपके ऊपर आचार संहिता का केस लग जाता है। मान लीजिए कि खंभे पर पोस्टर लगा है और केंडिडेट दूसरी जगह पर है, जिस दिन पोस्टर लगा है, उसमें केंडिडेट को मतलब ही नहीं है। आपका कोई विरोधी ऐसा काम कर देता है तो आपके ऊपर आचार संहिता का केस हो जाता है। अगर कहीं हेलीकाप्टर गलत लैंड हो गया और जो प्रचार करने जा रहा

है, उसे तो पता ही नहीं है कि उसे कहां उतारा जा रहा है। उसे तो यह पता है कि उसे यहां जा कर भाषण देना है। इन चीजों में जो पारदर्शिता नहीं है, उन्हें चेंज करने की आवश्यकता है। इसके अलावा इन्नर पार्टी डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी पालिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो आइडियोलोजी के कारण ज्वाइन करता है। जब हम यहां एमपी बनकर आते हैं तो पार्टी की आइडियोलोजी तो रखते हैं लेकिन हमारा जो महत्वपूर्ण काम है कि हमारे यहां की जनता की जो समस्याएं हैं उनका क्या होगा। वहां सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है लेकिन यहां किसी न किसी कारण संसद चलने नहीं देते हैं या पालिटिकल पार्टी के दबाव में हमें काम करना पड़ता है इसलिए इन्नर पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इसके लिए क्या सुधार किए जा सकते हैं, यह सोचने की बात है।

HON. CHAIRPERSON : There are eight more Members to speak. Shri Dubey, please conclude.

SHRI NISHIKANT DUBEY: I will conclude within three to four minutes. इसके बाद प्रपोरशन आफ रिप्रेजेंटेशन जो है, कई एक इलाके पालिटिकल पार्टी में ऐसा होता है कि शहरों के ज्यादा लोग आ जाते हैं और गांव का प्रतिनिधित्व कम होता है। किसानों का प्रतिनिधित्व कम हो जाता है, इसके लिए पारदर्शिता होनी चाहिए कि पूरे पोलिटिकल सिस्टम में सभी का प्रतिनिधित्व बराबर का होना चाहिए। अलग-अलग वर्ग का कैसे रिप्रेजेंटेशन हो, यह भी देखने की जरूरत है।

एंटी डिफेक्शन लॉ एक मौकरी बन गया है। हमने जिस आधार पर इसे बनाया था, वह काम नहीं कर पा रहा है, तो हम इसे कैसे स्ट्रेनदेन कर सकते हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो मैंने अपने तक़रीर में कही कि इलेक्शन कमीशन का एक कैडर होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन आज भी इंडिपेंडेंट नहीं है। स्टेट के ऊपर और बहुत-से लोगों के ऊपर उसे निर्भर करना होता है। इसलिए इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के लिए इसका एक कैडर होना चाहिए।

मैं पेड न्यूज़ के संबंध में कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, तो कोई इलैक्ट्रोनिक मीडिया वाला या कोई प्रिंट मीडिया कहता है कि इतना पैसा दीजिए तो हम आपको इतना समय देंगे। श्री चौहान साहब इस सदन के सदस्य हैं, उन्हीं के केस में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, मुझे लगता है कि आज वह समय आ गया है कि पेड न्यूज़ और एडवर्टिजमेंट के बारे में कदम उठाना है।

इसके बाद ओपीनियन पोल की बात आती है। अभी ओपीनियन पोल का कितना बुरा हाल हुआ, अभी आपने देखा है। किस तरह से ओपीनियन पोल लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करता है और इससे जो दो-चार प्रतिशत फ्लोटिंग है, वह प्रभावित होता है। इस रिफॉर्म से ओपीनियन पोल पर क्या असर होगा, इलेक्शन पीटीशन पर क्या असर होगा?

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जब चुनाव लड़ने जाते हैं, तो हमारे लिए अलग वोटिंग रजिस्टर बना हुआ है कि किनको-किनको वोट करना है। विधान सभा के लिए अलग है, मुखिया के लिए अलग है, जिला परिषद यानी पंचायती राज सिस्टम के लिए राज्य ने अलग से व्यवस्था की है। लोक सभा चुनाव का अलग से है। यहाँ तक कि बूथ का भी अलग से है। मेरा यह कहना है कि पूरा देश एक है। एक ही देश में अलग-अलग बूथ कैसे हो सकते हैं। वोटर्स का जो रजिस्ट्रेशन है कि कौन किसमें वोट देगा, उसमें उसका अलग वोट है, इसका कारण यह होता है कि जिन्होंने मुखिया के चुनाव में वोट दिया है, जिन्होंने जिला परिषद के चुनाव में वोट दिया है, जब लोक सभा का चुनाव आने लगता है, तो उनका नाम कटा हुआ नज़र आने लगता है। वे इस भरोसे में रहते हैं कि मेरा नाम उसमें ऑलरेडी मौजूद है। मेरा यह कहना है कि इस सिस्टम में एक बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है कि वोटर लिस्ट एक ही होगा चाहे वह लोक सभा का हो, चाहे विधान सभा का हो, चाहे पंचायत चुनाव का हो। पोलिंग स्टेशन भी एक ही होना चाहिए ताकि लोगों को पता चल पाए। नहीं तो, होता यह है कि कोई मुखिया के चुनाव में अपने गांव में वोट देते हैं और जब लोक सभा का चुनाव होता है, तो तीन किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। उनको यह अंदाजा ही नहीं होता है कि ये सारी चीजें होती हैं। मेरा यह मानना है कि आज समय यह है कि ब्लैक मनी कैसे खत्म होगी, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी, जब ये सब काम कर लेंगे, जब यह देश इतना परिपक्व हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हो जाएगा, तब कम्पलसरी वोट का समय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : धन्यवाद मैडम। श्री निशिकान्त दुबे ने सारी महाभारत का वर्णन कर दिया है, अब ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं बचा है। वह इतना निर्दयी हैं, यह मुझे पहले पता नहीं था कि सारी बातें उन्होंने बता दीं, मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा है।

मैडम, हम पहली बार देख रहे हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल में इनिशिएटर के अलावा भी इतने सदस्यों को बोलने का मौका दिया गया। जो जिम्मेदारी निशिकान्त दुबे जी को दी गयी थी, ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : ये बुफे सिस्टम में आए हैं, जो पहले आया, उसने खा लिया।

श्री अधीर रंजन चौधरी : श्री निशिकान्त दुबे जी के ऊपर जो दायित्व सौंपा गया था, उसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाया है।

I want to participate in the discussion on the Bill introduced by Shri Janardan Singh 'Sigriwal'under the nomenclature - Compulsory Voting Bill, 2014. It is intending to provide for compulsory voting by the electorates in the country and for matters connected therewith.

The concept of compulsory voting had also been initiated earlier in this House and outside the House as well. It is not a new concept that is being examined. Over the years, the concept of compulsory voting has been discussed in various fora of our country and in the global arena also.

In the Statement of Objects and Reasons, it has been stated that our country is the largest democracy in the world having a population of more than a billion. There is no dispute about it. But it is seen that only about 50 per cent of the eligible voters exercise their right to vote. In almost all the elections in the country, it has been observed that the number of actual voters – I would like to highlight it – is far below the number of eligible voters.

In the last Lok Sabha election, the eligible voters were accounted to be more than 81 crore. It is really a mindboggling aspect of Indian democracy that 81 crore eligible voters are there who are entitled to exercise their franchise in order to elect someone of their choice to run this country. So, naturally we are proud of it. It is the largest democracy in the world. It is a glorious democracy in the world and it is a vibrant democracy in the world.

17.00 hours

But in the same vein I would like to highlight that still India is in the process of evolution as a democracy. We, as a country, are yet to achieve the crown of matured democracy like the United States of America or other European countries. We are still recognised as an evolving democracy, rather than a matured democracy. So, what is sauce for the goose cannot be the sauce for the gander. So, we have to devise our own ways without compromising the basic tenets of democracy to run our country.

17.01 hours (Shri P.Venugopal *in the Chair*)

Therefore, we never exercised any kind of coercive measures in order to enhance the turn out of the electorate in our electoral system. We never encouraged any kind of coercive policy, rather we always encouraged the persuasive policy in order to enhance the voter turn out in our country. So, there is a widening gap between the number of actual voters and the number of eligible voters, as a result of which the average voting is also low. Therefore, my esteemed colleague has suggested that some sort of legislative measures should be initiated to encourage the citizens to exercise their votes in order to elect their representatives so that the results of the elections show the will of the electors and not just a segment of them.

Sir, it is a lucid argument. There is no denying it. If anyone of us can garner a single vote more than my immediate contestant, then I will be declared elected by a margin of even single vote. First past the post policy is being adopted in our country. But it does not mean, in any way, that the elected person who has won the election by a single vote and not even been able to garner more than 50 per cent of the votes is being represented by a majority of the electorate. However, he is elected. Naturally, there is some sort of contradiction and confusion in saying that elected representatives is representing the majority of the electorate. This cannot be established by this argument. But it has become the norm and practice of our country.

Here my esteemed colleague also spelt out that the problem of low voting percentage has become worse and the voting percentage has come down even below 50 per cent. In many cases, citizens were deliberately avoiding casting of votes or even boycott elections. Therefore, the Bill seeks to make voting compulsory for all the electorate subject to certain restrictions so that the voting percentage in the country is increased. However, the citizens who are physically incapacitated or have *bona fide* reasons have been given exemptions under the Act. Since voting is being made compulsory, punishment is also sought to be given to those who do not cast their votes. At the same time, incentives are also proposed for those who do exercise their right to vote without break or in spite of illness.

Here, in this legislative document, to ensure casting of vote, carrot and stick policy has been proposed. On the one hand, there has been a provision of punishment and on the other hand, there has been a provision of incentive. That means, both inducements and intimidations have been enshrined in this legislative document. This is a new phenomenon that has been inserted here. Inducement and intimidation or threat are the twin weapons that are being played in various parts of our country before, during and after elections.

कुछ रोज पहले बिहार में चुनाव हो रहे थे तो बंगाल में बिहार के रहने वाले पैसे वाले लोगों से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे पूछा कि बिहार में चुनाव कैसे हो रहे हैं तो उन्होंने कहा कि बिहार के चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। मैंने उनसे पूछा कि कौन जीतेगा? उन्होंने कहा कि बीजेपी जीतेगी। किसने पैसा डाला और कौन पानी की तरह से पैसा बहा रहा है, यह मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन उन्होंने कहा कि बिहार में पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है और समझ लो बीजेपी भारी बहुमत से जीत जायेगी। तब यह धारणा हममें भी पैदा हुई थी कि जिस तरीके की वहां हाई पिच कैम्पेन हो रही है, जहां के आसमान में उड़नखटोला छा गये थे, चारों तरफ उड़नखटोला ही उड़नखटोला आसमान में छा गये थे। लोग सोचते थे कि ये देवदूत लोग कहां से आ रहे हैं। हम लोगों ने भी सोचा था कि बिहार में नतीजा वैसा ही होगा, जो बीजेपी की सोच में है। लेकिन बाद में देखा कि common people have dashed the hopes of the ruling regime. It bears an eloquent testimony that our electorates cannot be induced provided they have been offered an access to exercise their

franchise. If they are able to cast their votes, many fortunes could be tumbled, as has been evident in various parts of our country.

सर, मैं भी बंगाल से आता हूँ। कुछ महीने पहले बंगाल में पंचायत और नगरपालिका के चुनाव हुए हैं। आप सब लोग टीवी पर देखें हैं। उस चुनाव में बेतहाशा दहशतगर्दी सबको देखने को मिली है। सौगत दादा यहां हैं। सौगत दादा बुरा नहीं मानोगे, लेकिन जो हुआ सो हुआ। ...(व्यवधान) कलकत्ता में दिन दहाड़े in the full glare of police, in the full glare of administration, गुंडागर्दी इस तरीके की हुई थी कि आम लोगों की हिम्मत वोट देने की नहीं हुई। स्टेट इलैक्शन कमिश्नर तो सूबे की सरकार के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनकी क्या हिम्मत है कुछ कहने की, उनकी बोलने की क्या हिम्मत है? वे तो खुद सरकार से डरते हैं। बिना कुछ बोले इलैक्शन कमीशन की सिक्युरिटी को उठा लिया जाता है। उनको डराने की कोशिश की जाती है, भड़काने की कोशिश की जाती है। समझ लीजिए कि बंगाल के जो चुनाव टीएमसी के जमाने में हुए, उसमें जो खून बहा और यह mockery of democracy देखने को मिला। यह हम सबके लिए शर्मिंदा की बात है कि जो सरकार कहती है कि हम लोग माँ मानुष और माटी की सरकार बनाएंगे, उसी के ज़माने में गुंडागर्दी और दहशतगर्दी देखते हुए, बंगाल के लोगों के साथ-साथ, पूरे हिंदुस्तान के लोग चौंक गए कि ये क्या देख रहे हैं। वह यह बंगाल है, जिस बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ले कर, रवींद्रनाथ टैगोर और नजीरूल इस्लाम हुए हैं, यह वह बंगाल है, जहा रामकृष्ण टैगोर से ले कर स्वामी विवेकानंद की भूमि है। सब लोग घबरा गए हैं। आज हमें जा कर लोगों को यह कहना पड़ता है कि घबराओ मत, क्योंकि छह महीने बाद वहां फिर चुनाव होने वाला है। हमारे यहां चुनाव होंगे, केरल में होंगे, असम में होंगे। अभी वहां के आम लोग यह कहते हैं कि भाई साहब आप चुनाव के बारे में बात करना शुरू किए हैं, लेकिन विधान सभा चुनावों में क्या हम लोग वोट डाल सकेंगे? क्या हमें वोट डालने का मौका मिलेगा? हमें कोई पीटेगा तो नहीं? हमें कोई मारेगा तो नहीं? आपको सुनने में अचरज होगा कि विपक्षी दलों के जो लोग हैं, जैसे कि हमारी पार्टी के लोग हैं, चुनाव आते ही सत्तारूढ़ पार्टी एक प्लान बना लेती है, कौन सा प्लान? जहां हमारे एक्टिव लीडर्स लोग हैं, हमारे वरिष्ठ लीडर्स लोग हैं, उन्हीं सबको तरह-तरह के झूठे इल्जाम से फंसाने की साजिश बन रही है, उनको सलाखों के पीछे किया जा रहा है। इसलिए कि चुनाव आने के पहले ही ये सारे किस्से खत्म किए जाएं। इसको कौन संभालेगा? इसको कौन रोकेगा? क्योंकि सत्ता और लॉ एण्ड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है तो इसको कौन रोकेगा? हॉ लोगों को हम यह भरोसा तो जरूर दिलाते हैं कि घबराओ नहीं, अगले चुनाव सेंट्रल इलैक्शन कमीशन करेगा। जब सेंट्रल इलैक्शन कमीशन करेगा तो बिहार जैसा वोटिंग होगा। यह हम उदाहरण के तौर पर आम लोगों को कहते हैं। उनको हिम्मत और ताकत देने के लिए कहते हैं। उनको हम लोग कहते हैं कि घबराओ नहीं, तुमने देखा नहीं कि बिहार में

किस तरीके के कड़े कदम उठाए गए। उसी तरह के कड़े कदम यहां भी उठाए जाएंगे, क्योंकि इलैक्शन कमीशन किसी पार्टी की बात नहीं सुनते हैं। यह भरोसा अब तक है। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, there are still eight Members who want to speak on this Bill. If the House agrees, the time for discussion of the Bill may be further extended by one hour.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: Shri Adhir Ranjan Chowdhury, please continue.

… (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): How can it be extended by one hour? I have already made a suggestion.

HON. CHAIRPERSON: Eight more hon. Members are there to speak.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Kindly hear me. My point is that the Bill which has been approved or passed by the Rajya Sabha is pending before this House. We should give priority to that Bill also. That is a matter which is related to the rights of the transgender persons in our society. So, definitely, that should also be taken into consideration.

HON. CHAIRPERSON: Already you have made that suggestion. Why are you raising it again?

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : महोदय, जब स्वीकृति हो गई है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है।...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : महोदय, आठ लोग बोलने वाले हैं तो कैसे होगा?...(व्यवधान)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: I have made the suggestion. Now, the time is extended and further extended.… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Eight more Members are there to speak. This is also an important Bill.

श्री निशिकान्त दुबे : वे लोग चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस पर आठ लोग बोलने वाले हैं।...(व्यवधान)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: I am strictly going by the rules. The time for the Private Members' Business is allotted by the Committee chaired by the Deputy-Speaker. Two hours' time has been allocated for this. Now, the time has exceeded by seven hours. My point is that extending the time further definitely gives a message that this House is not going to take up the Transgender Persons Bill. This is my point. Therefore, my point is that please conclude the discussion today. I may be allowed to at least move the Bill. Let us have the discussion on the 18th. Otherwise, this is the fourth time that my Bill is being listed and not taken up. Unfortunately, the House is prolonging the discussion on the Compulsory Voting Bill and denying the right of the deprived sections of the society… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Let him first complete it.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: The total time allotted to this Bill is two hours. The Mover has taken more than one hour. How much time will you allot? That is my question to the House.

HON. CHAIRPERSON: More Members are willing to speak. How can you deny the willingness of the Members? Eight more Members are there to speak. How can you deny them the chance?

श्री निशिकान्त दुबे : आप उन्हें बोलने से कैसे रोक सकते हैं?...(व्यवधान) यह आपका अधिकार है तो प्राइवेट मेंबर में और भी आठ लोगों का अधिकार भी है, वे बोलना चाहते हैं।...(व्यवधान) यह सरकारी बिल तो है नहीं।...(व्यवधान) आप कैसे आठ लोगों की बात को रोक सकते हैं?...(व्यवधान) सरकार ने कह दिया है और वह चाहती है कि आपका बिल आ जाए।...(व्यवधान)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Every Member is willing to speak. Members have the right to speak. It is a question of decorum of the House. How to conclude the discussion? Suppose all the Members want to speak. Will it be allowed? That is my question. That is why, we are fixing the time for a Bill.

HON. CHAIRPERSON: Let us first complete this Bill. Let us see later on.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I can understand it. He is very much anxious because the other Bill is in his name. Naturally, when he has taken the trouble of moving a Bill, he would expect that he should be able to speak. I make

this suggestion. Since many Members are interested, let the debate continue. In the meantime, after Shri Adhir Ranjan Chowdhury finishes his speech, let him be allowed to move that the Bill be taken into consideration.

HON. CHAIRPERSON: Prof. Roy, this is also an important Bill. Shri Premachandran, you can initiate the discussion on the 18th.

श्री निशिकान्त दुबे: ऑलरेडी जब भी यह डिस्कशन खत्म होगा, वह बिल लैप्स नहीं करेगा।...(व्यवधान) मैं केवल आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि जब यह बिल खत्म होगा, ऑटोमेटिक वह बिल सबसे पहले लिया जाएगा।...(व्यवधान) इसके बाद वही होगा।...(व्यवधान) वह लैप्स नहीं होगा।...(व्यवधान) मूव तो वे करते हैं, जौ लैप्स होता है।...(व्यवधान) वह बिल लैप्स नहीं होगा।...(व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल : महोदय, तब तो कोई बात ही नहीं है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The House agrees to extend the time by one hour. Shri Adhir Ranjan Chowdhury, please continue.

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदय, मैं अभी यह बात रख रहा था कि लोगों को हमें यह समझाना पड़ता है कि हिंदुस्तान में एक सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, आप डरो मत और चुनाव के समय आपके वोट डालने के मौके को सुरक्षित किया जाएगा। मैं इसलिए यह मुद्दा उठा रहा हूँ कि इससे यह साबित होता है कि आज भी हिन्दुस्तान में डैमोक्रेसी रहते हुए भी आम लोग चुनावों में भाग नहीं ले पाते हैं और इसीलिए चुनाव आयोग को करोड़ों रुपये खर्च कर फौज तैनात करनी पड़ती है। यह फौज हमें क्यों तैनात करनी पड़ती है? क्या यह हमारी डैमोक्रेसी की खामी नहीं है? हमारी डैमोक्रेसी की सबसे बड़ी खामी यह है कि - to ensure the electorates of casting their votes, we have to deploy our security forces and contingents while defraying the huge expenditure. I think, this is a glaring example of democratic deficit, rather I say, in our country. It is a deficit of democracy; it is a deficiency of democracy that we are witnessing in our country. My esteemed colleague, Shri Janardan Singh Sigriwal, with a lot of confidence, he has a clear vision and intention to bring this legislation, he intends to strengthen our democracy so that we may be recognised on par with other matured democracies in the world. But again I will say that only punitive measures cannot yield the desired results as has been sought after by bringing this legislation. I would like to quote Joseph A. Schumpeter –

"Democracy is a political method or an institutional arrangement for arriving at political - legislative and administrative - decisions by vesting in certain individual power to decide on all matters as a consequence of their successful pursuit of peoples' vote."

India is a democratic republic and we have attained our Independence by the sacrifice of the people of our country and by taking the conscience and consent of the common people into confidence, we have established the democratic republic. Democracy is not new in the world. Even in India also, democracy was nourished by our ancient civilization. However, modern democracy can be traced to the Athenian leader, Pericles who defined it as a government in which people are powerful. According to Abraham Lincoln, it is the government of the people, by the people and for the people. Since the times of Herodotus, the word `democracy' has been used to denote that form of government in which the ruling power of a State is largely vested not in any particular class or classes but in the members of community as a whole.

Sir, in a democracy, electorates play the central part of this institution. Election is the central and core activity in a democratic concept. Since elections are the life blood of democratic procedure, it is *via* the act of voting that democratic principles are protected. Electoral systems are the main tools in which the notions of participation and representation are transformed into reality. The main purpose of the electoral system is to exchange votes cast by electors, into seats in the Parliament. So, election and democracy could play a symbiotic role in strengthening of our country. That is why, more and more voters should participate in the electoral process so that our democratic institutions could be strengthened further. To achieve this result, we should think about the measures needed.

Here we are deliberating on compulsory voting. Compulsory voting has been experienced in many countries of the world. My esteemed colleague Shri Nishikant Dubey also had referred to many examples regarding compulsory voting

and its outcomes. Compulsory voting was first advocated by Alfred Deaking at the turn of the 20th Century. Voting was voluntary at the first federal elections. Compulsory enrolment for federal elections was introduced in 1911. In 1915, consideration was given to introduce compulsory voting for a proposed referendum. As the referendum was never held, the idea was not pursued. Here, compulsory voting was first considered by our Parliament in 1950 and the chief architect of our Constitution Dr. B.R. Ambedkar had rejected the idea as it was not suited for a country like India.

Sir, in the world, 28 countries indicate the trend towards which countries are moving globally. Here I would like to quote some references for your convenience. Compulsory voting was first introduced in Belgium in the year 1892. In Argentina it was introduced in 1914 and in Australia in 1924. What does it mean by compulsory voting? We are discussing about compulsory voting.

Compulsory voting is a system in which electors are obliged to vote in elections or attend a polling place on voting day. Here, the report of Dinesh Goswami Committee has also been cited which I do not want to repeat. Here, Tarkunde Committee Report is also relevant which I would like to mention; I quote:

> "We have seriously considered the desirability of making it compulsory for voters to cast their votes in these elections. It appears to us that compulsory voting may be resented by the voters and may on balance prove counter-productive. It is desirable that compliance with the duty to cast one's vote should be brought about by persuasion and political education, rather than compulsion. Moreover, the implementation of a law of compulsory voting is likely to be very difficult and may lead to abuse."

The compulsory voting was first introduced as per the report in 28 countries. But most of the countries are gradually rejecting the idea of compulsory voting. Even in Gujarat – it has been referred to Nishikant Dubey *ji* – where compulsory voting was introduced as a progressive measure, it has also been negated by the

High Court verdict. Naturally, the success of compulsory voting has not been very encouraging, that I can say.

Any compulsion affects the freedom of an individual. There is no dispute about it. A democratic type of Government means that it was built on the basis of respecting basic human freedoms and rights, particularly free choice. However, it can be violated if voting is made mandatory because people would not have the freedom to not express their opinion. As we enjoy the freedom to vote, the right to vote, in the same way, we also enjoy the right not to vote. … (*Interruptions*) It could push individuals who have no interest in taking part of building a Government for the people to vote. Although it could compel the citizens to educate themselves, there is also the possibility that those who are honestly not interested will be forced to vote. This could push people to choose candidates randomly, forfeiting the purpose of an election, which is to place deserving people in key positions. In other words, votes and consequently the budget spent for the polls will go to waste. It is not my personal opinion; it is the opinion of the experts also.

It could minimize right to express religion. It could take away people's rights to express their religion. There are religious sectors that discourage their members from participating in political events. Therefore, forcing them to vote explicitly violates their right to practise there religion.

Again, it would be unacceptable and unlawful to punish those who would choose not to vote. It would be a violation of the Fundamental Rights to punish people who refuse to practice their right to suffrage. Again, voting is a right – it is not a duty – which means that people should have the freedom to choose whether to vote or not.

Besides that imposing penalties and punishment to citizens, who have no interest in politics, would be unlawful because they did not harm anybody; they did not violate anyone's right; and they did not break any law. But in spite of all

they would be punished for committing no fault. That is, I think, contrary to any democratic concept.

Sir, compulsory vote means ballot papers with no appropriate marking, encourages informal votes. Informal vote means that ballot papers with no appropriate markings of voting rules could be used to cater for the large number of voters every election. We have already introduced NOTA in our electoral process.

Now, I would like to tell our hon. Law Minister that it will require a considerable amount of money to enforce such law. How will you mobilise the resources? If voting becomes compulsory, the Government will be compelled to punish those who violate it? It will require a large sum for law to be enforced. It would also involve finding out who may or may not have broken the mandate although there would be fines as a result of the violation of law. But this could not be enough to compensate what the Government has to spend to impose the law.

If the punishment is imposed, I think, only the poor and the marginal people would have been severely affected because the rich can afford to pay the fine. In the long run the poor and the marginal people will be hit hard if we try to quash themselves into casting their votes. It is all about making it fear for all parties involved. If enforcing mandatory voting would violate people's basic right to not vote then, it would not be a practical law.

Therefore, I would suggest that more and more awareness campaign should be conducted so that our common people, who are the electors of our country, may be aware that it is their fundamental right that needs to be exercised as a citizen of our country. So more and more persuasive measures, more and more educational measures and awareness measures should be resorted if we want more participation of electorates into our voting mechanism.

I would be thankful to my esteemed colleague Sigriwal ji because he has brought this legislation with an honest intention. But the fact is that in a country like India, where still we are languishing with illiteracy, people still believe in superstition and still where the witch hunt has been continuing unabated, I think, it

will not be the proper democratic diet for this country. Therefore, I would suggest that more and more persuasive measures need to be adopted before making any kind of compulsory voting mechanism.

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं सबसे पहले अभिनन्दन देना चाहूँगा सीग्रीवाल जी को, जो यह कंपल्सरी वोटिंग का बिल इस सदन में लेकर आए हैं।

महोदय, इस पूरी सृष्टि को यदि हम देखते हैं तो मुझे तीन बातें ध्यान में आती हैं। यह कहा जाता है कि एक विधि का विधान होता है, दूसरा देश का जो हम संविधान बनाते हैं, वह संविधान होता है और तीसरा मतदान होता है। विधि का विधान, यह कहा जाता है कि परमात्मा या प्रारब्ध से जो हमें मिलता है, उसे विधि का विधान हम कहते हैं, जो हमे प्रारब्ध में मिल जाता है। हम संविधान के तहत यह तय करते हैं कि हमारा भविष्य कैसा हो सकता है, हम संविधान बनाते हैं, एक विधि का विधान जहां भविष्य तय हो जाता है, एक संविधान जहां पर हम इस भविष्य को तय करते हैं कि यह कैसे होगा और एक मतदान है, जहां पर हम यह तय करते हैं कि भविष्य देने वाला कौन हो सकता है? यह हम उस मतदान के माध्यम से तय करते हैं।

इस भारत देश के अंदर जहां सुशिक्षित समाज बसता है, वहीं पर अशिक्षित समाज भी बसता है। यहां गरीबी-अमीरी है। भारत कई सारी भाषाओं और विविधताओं के साथ चलता है और अनेकता में एकता के सूत्र को लेकर जब भारत चलता है, वहां कई सारे असामंजस्य भी फैले हुए हैं। अगड़ा-पिछड़ा और मेजॉरिटी-माइनॉरिटी, ऐसी कई बातों की वजह से देश कई बार संघर्ष भी करता है। जब मतदान की बात आती है तो इस देश के अंदर लगभग 70-80 करोड़ जो मतदाता हैं, ये मतदाता जिनको मतदान का अधिकार है, सबसे पहले तो यह तय होना जरूरी है कि मतदान हमारा अधिकार है, या यह जिम्मेदारी है। जब इस मतदान के लिए वोटर काड्र्स बनते हैं तो मैं बड़े दुःख के साथ यह कहना चाहूंगा कि वोटर काड्र्स मतदान से ज्यादा, कौन-सी सुविधायें ज्यादा से ज्यादा उस मतदान पत्र या उस वोटिंग कार्ड के साथ मिल सकती हैं, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, न कि मतदान के ऊपर ध्यान दिया जाता है। मैं यह मानता हूं कि जो मतदान पत्र या पहचान पत्र मिलते हैं, उस पहचान पत्र के साथ-साथ मतदान का अनिवार्यकरण करने के लिए हम विचार करते हैं तो सुविधाओं का उसमें विचार करना बहुत आवश्यक है।

इस देश के अंदर कई जगहों पर 55 प्रतिशत मतदान होता है और कई जगह पर यह बड़ी मुश्किल से 40-45 प्रतिशत मतदान होता है। यदि यह माना कि 55 प्रतिशत मतदान हुआ और 55 प्रतिशत मतदान होने पर लगभग 10 पार्टियां वहां से चुनाव लड़ती हैं तो वह मतदान 10 पार्टियों में विभाजित हो जाता है और 45 प्रतिशत लोगों ने वहां मतदान ही नहीं किया है, उनमें ज्यादातर वे लोग होते हैं जो डिसिजन मेकर्स भी कहे जाते हैं। जो ज्यादा से ज्यादा यह प्रचार भी करते हैं कि सरकार यह काम नहीं

करती है, वह काम नहीं करती है, डिसिजन बनाने का काम समाज में करती है, लेकिन जब मतदान का समय आता है तो या तो वे छुट्टी पर चले जाते हैं या उसको हॉलीडे भी माना जाता है, वे मतदान नहीं करते हैं। लेकिन ये 55 प्रतिशत जो मतदान होता है, वह 10 पार्टियों में बंट जाता है और 12 प्रतिशत वोट प्राप्त करने वाली पार्टी चुनाव में जीत जाती है और उनकी सरकार बन जाती है। इस तरह से पारदर्शिता का महत्व भी खो जाता है। उस मतदान की सत्यता के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। यदि इस देश के अंदर हमें विकास लाना है तो मैं यह मानता हूं कि केवल विकास लाने से बात आगे नहीं बढ़ती है, उसकी शिक्षा भी बहुत जरूरी है कि उस विकास को कैसे भोगा जाये। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इसका बीड़ा उठाया है कि विकास के साथ शिक्षा पर भी उतना ही जोर दिया जा रहा है, जिसके बाद हम इस विकास को भोगते हुए, उस विकास को और तीव्र गति से आगे बढ़ायेंगे। उसी के साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा कि यदि मतदान की अनिवार्यकरण की प्रक्रिया को हम लागू करते हैं तो इसके प्रॉस और कॉन्स को भी ध्यान में रखना होगा। उसे ध्यान में रखते हुए मतदान करने के लिए शिक्षा और संस्कार की भी उतनी ही आवश्यकता है कि उस अधिकार और जिम्मेदारी को कैसे निभाया जा सकता है। कई देशों ने इसे लागू भी किया है।

भारत में हमारे विजनरी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी गुजरात में 2009 में इसका प्रस्ताव भी लेकर आए थे। इस प्रस्ताव के साथ विजन और स्वप्न यह था कि एक विकासशील भारत को भी जन्म दिया जाए और गुजरात जो विकास कर रहा है, उसमें तीव्र गति लाई जाए क्योंकि जब मतदान होता है, महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब मतदान होता है तो क्या होता है। 50 प्रतिशत या 55 प्रतिशत मतदान होता है। एक तबका जो मतदान नहीं करता और दूसरा तबका जो मतदान करता है, उसमें पोलिटिकल पार्टीज का बहुत ज्यादा इनफ्लुएंस भी होना शुरू हो जाता है। उसमें बहुत ज्यादा गरीब तबका होता है जो झुग्गी-बस्तियों में रहता है, पिछड़ी जातियों से आता है, जो अपना विकास नहीं कर पाया हो। बहुत सा तबका अशिक्षित होता है। ऐसे लोगों को जिनको शायद यह अनुभव नहीं हो पाता या वह समझ नहीं हो पाती कि उनके अधिकारों का उपयोग कैसे किया जाए, तो बहुत सारे प्रलोभनों को लाया जाता है। न्यूज में कई बार देखा गया है कि शराब की तस्करी होती है, शराब बांटी जाती है, पैसा बांटा जाता है या कोई प्रलोभन दिए जाते हैं। ऐसी बातें होने की वजह से अधिकार का दुरुपयोग भी होता है। कई ऐसे असामाजिक तत्व भी उसका लाभ उठा लेते हैं। एक गरीब व्यक्ति किसी प्रलोभन में आने के बाद पांच साल की और गरीबी खरीद लेता है। मेरा मानना है कि यदि हम अनिवार्य मतदान कर देते हैं उसके प्रॉज़ एंड कॉन्स देखकर कि कैसे इसका एक अच्छा निर्णय लेकर आया जाए, उसमें सुधार कैसे किया जाए, इन्फ्रास्ट्रक्चर भी डैवलप किया जाए।

जैसे हमारे भाई निशिकांत दूबे जी ने बहुत विस्तार से बात की कि इसके लिए सुधार लाने भी जरूरी हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा संस्कृति प्रधान देश है जिसमें शादी होती है, कई अनिवार्य चीजें आ जाती हैं। अगर अनिवार्य मतदान हुआ और उसमें दंडित करने की प्रणाली हुई तो क्या दूल्हे को घोड़े से उतारकर लेकर आएंगे कि तुझे शादी से पहले वोटिंग करना जरूरी है। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो, कोई आईसीयू में हो, इन सब बातों को भी ध्यान में रखकर इसके नियम-कानून बनने चाहिए। मैं यह भी मानता हूं कि मतदान अनिवार्य होने से जो दुरुपयोग होता है या प्रलोभन देकर एक निश्चित समाज के अधिकारों का जो दुरुपयोग होता है, कम से कम वह बंद हो जाएगा और पारदर्शिता आएगी। ऐसे प्रलोभन बंद हो जाएंगे और जो गरीब, पिछले लोग हैं जो शिक्षित नहीं हैं, ऐसे लोग हैं जिन्हें समझ नहीं है कि वोट के अधिकार का उपयोग कैसे करना चाहिए, वे उस प्रलोभन में नहीं आएंगे और हम अनिवार्य मतदान की वजह से देश के विकास में एक नया अध्याय भी जोड़ सकते हैं।

मैं एक और बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। मतदान अनिवार्य न होने की वजह से, आपको न्यूज चैनल में सुनने को मिलता है कि बहुत जगह फर्जी वोटिंग होती है। उसमें पारदर्शिता चुनाव प्राधिकरण लेकर आया जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। हम इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग पर आ गए। उस बदलाव के बाद ये चीजें कम हुई हैं लेकिन रुकी नहीं हैं। जब अनिवार्य मतदान होगा तो इसका फायदा भी मिल सकता है और दुरुपयोग भी बहुत हो सकता है। कहीं कोई व्यक्ति मतदान करने के लिए अनिवार्य है और इसकी वजह से फर्जी वोटिंग बढ़ सकती है। फर्जी वोटिंग को इनफ्लुएंस किया जाता है, इसमें समाज प्रताड़ित होता है। उनके अधिकारों का बहुत हनन होता है। मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कई तरह के चुनाव होते हैं। हमारे साथी श्री निशिकान्त दुबे जी ने ध्यान दिलाया था कि वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन अलग-अलग होते हैं फिर जब वोटिंग के लिए जाते हैं तो उसे पता भी नहीं होता है कि कहां वोट डालना है, पोलिंग बुथ बदल जाता है , उसकी वजह से भी दिक्कतें होती है। हमारे देश के अंदर कई तरह के चुनाव होते हैं इसके समय अल-अलग होते हैं, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, जिला परिषद् का चुनाव हो, या वार्ड का चुनाव हो, स्टेट इलेक्शन का चुनाव या केन्द्र सरकार का चुनाव हो, इनके समय अलग-अलग होने की वजह से आचार संहिता भी अलग-अलग होती है, इससे विकास का काम भी रुक जाता है। पांच साल में चार-पांच चुनाव होने की वजह से हर बार दो-तीन महीने का समय लगता है, सत्ता में जो पार्टियां होती हैं वह भी प्रयास करना शुरू कर देती है, एक सुझाव यह भी रखा जा सकता है कि बार-बार वोटिंग करने की वजह से लोगों में रुचि कम होती है, क्या हम देश में सारे चुनाव एक निश्चित समय में नहीं करा सकते जिससे लोगों की रुचि भी बढ़े और देश के विकास में कोई बाधा न आए। यह बहुत अच्छा प्रस्ताव हो सकता है, यदि इसे सदन के सामने लाया जाता है।

प्रधानमंत्री जी ने बहुत सुंदर बात कही थी कि यह देश बुलेट से नहीं बैलेट से चलता है। आज मतदान का दुरुपयोग होता है, जहां शासन पहुंच नहीं पाता, जो कमजोर होते हैं उनके ऊपर गन रखकर वोटिंग करवाई जाती है ऐसी जगह पर मतदान की ताकत तभी उभरकर सामने आ सकती है जब मतदान अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारी तय होगी, हमें अनिवार्य मतदान के लिए उन सुविधाओं को भी लाना पड़ेगा नहीं तो उसका भी दुरुपयोग होगा। पूरे देशवासियों को मतदान की ताकत का पता चलेगा। 25 जनवरी, मतदान दिवस की घोषणा होने के बाद उसे उत्सव के रूप में मनाने की बात आई, इससे थोड़ा-बहुत बदलाव आएगा, इस तरह की जागरूकता भी बढ़नी आवश्यक है। अभी अधीर रंजन भाई और निशिकान्त जी ने बहुत अच्छी बात कही, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसमें कैडर का भी होना बहुत जरूरी है, इसे कैडर बेस्ड बनाया जाए, मतदान के समय इलेक्शन कमीश्न का कैडर न होने की वजह से कोई व्यक्ति लड़के को लेकर जाता है और खुद ही बटन दबा देता है, जागरूकता न होने की वजह से भी दिक्कतें आती हैं। अनिवार्य मतदान के साथ-साथ बहुत सारे सुधार भी इलेक्शन कमीशन में लाने पड़ेंगे, तभी हम अनिवार्य मतदान के लिए आगे बढ़ पाएंगे। अनिवार्य मतदान के लिए जो अलग-अलग एजेंसियां इलेक्शन कमीशन के साथ काम करती हैं। अभी जो व्यवस्था है उसे ही हम अभी पूरा कर पाने में समक्ष नहीं हो पा रहे हैं। जो एजेंसियां वोटर कार्ड बनाती हैं या वोटिंग के लिए जो मतदान होता है, बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि वक्त पर एजेंसियां वोटर कार्ड नहीं दे पातीं। वोटिंग एजेंसियां सही वक्त पर वोटिंग कार्ड पहुंचा नहीं पाती हैं और जब शख्स वोट डालने जाता है, उसके पास वोटिंग कार्ड नहीं होता है, उसे वोट देने का अधिकार है लेकिन वह वोट नहीं कर पाता है। इसकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अनिवार्य मतदान के साथ अभी जो व्यवस्था है, उसके साथ सुधारवादी आयोजनों, प्रयोजनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मतदान की व्यवस्था के साथ जागरुकता का प्रोग्राम चलाया जाए तो देश का विकास होगा, हम तीव्र गति से आगे बढ़ सकते हैं।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री निनोंग इरिंग (अरुणाचल पूर्व) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। प्रिय मित्र जनार्दन सीग्रीवाल जी ने अनिवार्य मतदान विधेयक, 2014 को सदन में प्रस्तुत किया है। इस बिल को लेकर उनकी मंशा और विचार बहुत अच्छा है। देश में जब चुनाव होता है तो कई जगह पर 50 प्रतिशत तक ही वोटिंग होती है इसलिए शायद उन्होंने सोचा होगा कि मतदान को कम्पलसरी क्यों न बनाया जाए। हमारे छोटे भाई निशिकान्त जी, अधीर रंजन जी और महेश जी ने जो वक्तव्य रखे हैं, उसे सुनकर ऐसा लगा है कि इस पर ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। इस विधेयक में कुछ प्रस्ताव रखे गए हैं, जैसे जुर्माने की बात कही है, अगर कोई मतदान नहीं करता तो जुर्माना लगेगा, कारावास की सज़ा होगी, राशन कार्ड जब्त होगा। You have kept some sections. इस तरह से लोगों को लगेगा कि जो अधिकार उन्हें संविधान से मिले हैं, उनको छीना जा रहा है और इससे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक में बाधा आ जाएगी।

वैसे तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं अपने अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताना चाहूंगा कि वहां की आबादी सिर्फ 13 लाख है लेकिन उसमें आप देखिए कि वहां जो एरिया है, वह 83000 स्कवेयर कि.मी. है, तो आप सोचिए कि अगर ऐसा कानून लागू कर देंगे क्योंकि वहां एक-दो ऐसी जगह हैं, जैसे अंजाव है, दिवांग वैली है, तमांग जिला है, जहां के लोगों को पहुंच पाना असंभव है। अगर आप वोटिंग उससे जबर्दस्ती कराएंगे तो कई ऐसी जगह हैं जहां लोगों को तीन-चार दिन या एक सप्ताह वोटिंग करने में लग जाएगा। वहां टीम्स जाती हैं। जहां पुलिस स्टेशन होता है, वहां से भी लोगों को दो-तीन दिन का समय लेकर आना पड़ता है। हालांकि यह आवश्यक है कि मतदान जरूर हो। देश को हम किस प्रकार बनाएंगे, सरकार कैसे बनाएंगे, लोगों में विकास के जो कार्यक्रम लेते हैं, चाहे वह संसद में हो या विधान सभा में हो, मतदान के प्रति जो जागरूकता है, उसे तो हम सबको बढ़ाना होगा। जिस प्रकार से आप इस विधेयक को हमारे बीच में लाए हैं, उसकी हम प्रशंसा करते हैं लेकिन अगर कम्पलसरी वोटिंग होगी, उसमें हमारे जैसे इलाके में बहुत सारी कठिनाइयां महसूस करनी पड़ेगी।

इसलिए मैं सोचता हूं कि जो आपका प्रस्ताव है, लोगों को ज्यादा जागरूक कराना अच्छा होगा क्योंकि लोगों को जो वोटिंग का कमपलशन है कि किस पार्टी को वह वोट करना चाहते हैं। जैसे अधीर रंजन जी ने कहा है कि आजकल तो नोटा की भी सुविधा दी गई है कि यानी किसी विधायक या सांसद को या किसी प्रतिनिधि को नहीं चुनना चाहते हैं तो आप नोटा को भी दे सकते हैं। इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रस्ताव हैं, मैरिट्स और डीमैरिट्स हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि समय भी हो रहा है।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Ering, you may continue your speech next time.

The House stands adjourned to meet again on Monday, i.e., 7th December, 2015 at 11 a.m.

18.00 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 7, 2015/ Agrahayana 16, 1937 (Saka).